लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक-सभा

गुरूवार, २४ फरवरी, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १३९।।

श्री एस० एन० दास : इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, जिस की संख्या १६६ है। दोनों पर एक साथ विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सुविधाजनक रहेगा ? क्या श्री तिवारी उपस्थित हैं ? नहीं, वह यहां नहीं हैं। हमें प्रश्न संख्या १३९ पर विचार करना चाहिये।

औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम

*१३९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या वित्त मंत्री २५ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम ने कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी नियोजकों ने निगम में पूंजी दी है अथवा पूंजी नियोजन की इच्छा प्रकट की है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) आशा की जाती है कि यह अगले महीने के आरम्भ में कार्य आरम्भ कर देगा।

(ख) हां, श्रीमान्; निगम द्वारा जारी की गई विवरणिका—जिस की प्रति सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है—में इस तथ्य का उल्लेख है कि कतिपय विदेशी नियोजक निगम के शेअरों के एक अंश में पूंजी देने के लिये सहमत हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या विदेशी नियोजक ब्रिटेन अथवा अमरीका तक ही सीमित हैं, अथवा किन्हीं अन्य देशों ने भी इन शेअरों में पूंजी लगाने की इच्छा व्यक्त की है ?

श्री बी० आर० भगत : वे नियोजक ब्रिटेन और अमरीका के हैं।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भावी नियोजक और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के बीच वार्ता सम्पन्न हुई है। पिछली बार सरकार की ओर से व्यक्त किया गया था कि अभी वार्ताएं चल रही हैं।

श्री बी० आर० भगत : विवरणिका में उन के नाम दिये गये हैं जिन्होंने ब्रिटेन और अमरीका की ओर से अंशदान किया है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का सम्बन्ध है, उन्होंने प्रस्तुत निगम को १ करोड़ डालर का अग्रिम ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं निगम के संचालक बोर्ड में विदेशी सदस्यों की संख्या एवं उन आधारों को, जिन के कारण उन्हें सम्मिलित किया गया है, जानना चाहता हूं।

श्री बी० आर० भगत : यह गैर-सरकारी निगम है तथा मैं संचालकों के नाम तत्क्षण नहीं बता सकता हूं। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात संचालक हैं और दो अंग्रेज़ अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा एक अमरीकी अंशधारियों का। कुल मिला कर ग्यारह संचालक हैं; ग्यारहवां सदस्य भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित हुआ है।

श्री गाडगील : संचालक बोर्ड में विदेशियों के प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त, निगम की प्रगति में कितने विदेशी नियोजित किये गये अथवा नियोजित किये जाने वाले हैं ?

श्री बी० आर० भगत : यह एक गैर-सरकारी निगम है और मैं अभी नहीं बता सकता हूं कि कितने व्यक्ति नियोजित किये जाने की संभावना है, लेकिन वर्तमान में एक है।

श्री गाडगील : क्या मैं आदरसहित यह निवेदन कर सकता हूं कि सरकार ने ब्याज से मुक्त ७ १/२ करोड़ रुपयों का दान दिया था?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इस प्रश्न पर वह केवल जानकारी के सम्बन्ध में पूछ सकते हैं। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रयुक्त 'दान' शब्द का अर्थ नहीं समझ सका हूं।

श्री गाडगील : पन्द्रह वर्षों तक इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, फिर मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना गलत है।

श्री बंसल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री गाडगील द्वारा कही गई बात सच है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न को

हिन्दी पुस्तकों पर पुरस्कार

*१४०. **श्री एस० एन० दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, १९५३ और ३१ दिसम्बर, १९५४ के बीच हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों को १८ पुरस्कार प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त प्रत्येक श्रेणी की पुस्तकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन पुस्तकों की जांच के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो समिति का संविधान क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) योजना के अन्तर्गत अभी तक प्राप्त पुस्तकों की संख्या ३९२ है। श्रेणीवार पुस्तकों की संख्या बताना इस अवस्था में सम्भव नहीं है क्योंकि अनेक मामलों में प्रतियोगियों ने अस्पष्ट वर्गीकरण दिया है और इस सम्बन्ध में उनके साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

(ख) अभी नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समितियों की रचना के पहले साहित्य अकादमी से परामर्श किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक पुस्तकों के चुनाव का सम्बन्ध है, प्रयोगात्मक प्रस्ताव यह है कि ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जायेगी जो पुस्तकों पर विचार करेंगे।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सामान्यतः जनता को सरकार की इस मंशा से परिचित कर दिया था, तथा

क्या सम्पूर्ण देश की साहित्यिक संस्थाओं को कोई परिचारी पत्र भेजा गया था ?

डा० एम० एम० दास : एक प्रेस नोट जारी किया गया था ।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि यह तदर्थ योजना है अथवा विस्तृत योजना का एक अंग है, और यदि हां, तो उस विस्तृत योजना का क्या स्वरूप है ?

डा० एम० एम० दास : यदि 'विस्तृत योजना' से माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि यह हर वर्ष संचालित की जायेगी तो मेरा उत्तर 'हां' में है । यह साधारण बात है । हम लेखकों से पुस्तकें आमंत्रित करते हैं और तब हम प्रख्यात व्यक्तियों और साहित्यकारों को समाविष्ट कर प्रवर समितियों की रचना करते हैं, और ये समितियां उन में से चुनाव करती हैं । मेरे विचार में किसी विस्तृत योजना की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एम० पी० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य के लिये न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और हिन्दी के लिये कौन कौन लोग हैं ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध है अभी तक न्यायाधीश नियुक्त नहीं किये गये हैं । मैं ने सभा के समक्ष कहा था कि प्रयोगात्मक प्रस्ताव न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, लेकिन दूसरे पुरस्कार भी थे जिन्हें पहले ही प्रदान किया जा चुका है और उन मामलों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी । स्वयं न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किया कि वे इस शर्त पर काम करने को तैयार हैं कि उन के नाम सार्वजनिक रूप से प्रकट न किये जायें अन्यथा उन्हें आशंका थी कि सम्बन्धित दल उन से सम्पर्क स्थापित करेंगे ।

तिलपट में वैमानिक प्रदर्शन

***१४१. श्री भक्त दर्शन : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या इस वर्ष भी भारतीय वायु सेना के वार्षिक-समारोह के अवसर पर तिलपत में बड़े पैमाने पर वैमानिक प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस का यह अर्थ है कि पिछले वर्ष निमंत्रित व्यक्तियों और आम जनता को जिस कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ा था उसी से घबरा कर यह निश्चय किया गया है ? क्या इस का कारण बताने की मंत्री महोदय कृपा करेंगे ?

सरदार मजीठिया : पिछले साल जो डिस्प्ले हुआ था उस की खास वजह यह थी कि एअर फोर्स की ऐनिवर्सरी थी । इस साल कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिये कोई खास प्रबन्ध नहीं किया गया, जो फंक्शन्स हर साल होते हैं वही होंगे ।

मद्य-निषेध

***१४२. श्री डाभी : क्या गृह-कार्य** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाग 'ग' राज्य सरकारों से इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्होंने राज्यों में मद्य-निषेध लागू करने की दृष्टि से क्या कार्यवाही की है, अथवा करने का विचार रखते हैं; और

(ख) यदि हां, तो किये गये कार्यों का स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) जानकारी वाला विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०**]

श्री डाभी : दिये गये विवरण से मुझे मालूम हुआ है कि कच्छ राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है।

श्री दातार : जहां तक कच्छ का सम्बन्ध है, मद्य-निषेध लागू नहीं किया गया है। सरकार की नीति क्रमशः मदिरा की खपत में कमी करना है।

श्री डाभी : विवरण में दी गई जानकारी से प्रतीत होता है कि भाग 'ग' राज्यों में से किसी भी राज्य का विचार निकट भविष्य में पूर्ण मद्य-निषेध करना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त क्षेत्रों में पूर्ण मद्य निषेध के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री दातार : इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली राज्य सरकार ने सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है और योजना आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक अखिल भारतीय स्वरूप की समिति नियुक्त की है।

पंडित डी० एन० तिवारी : माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि उन की नीति मदिरा की खपत में क्रमशः कमी करना है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली राज्य में अभी तक कितने प्रतिशत कमी की गई है ?

श्री दातार : दिल्ली के सम्बन्ध में मैं इस समय प्रतिशत नहीं बता सकता हूं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (निरीक्षण टुकड़ी)

*१४३. **श्री झलन सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री २५ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानों के व्यय की जांच करने के लिये निरीक्षण टुकड़ी की स्थापना की तिथि क्या है;

(ख) निरीक्षण टुकड़ी के प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जून, १९५४।

(ख) निरीक्षण टुकड़ी द्वारा प्रत्येक निरीक्षण दौरे के पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं।

(ग) अनुदान मंजूर करते समय प्रतिवेदनों पर विचार किया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि क्या समाज कल्याण बोर्ड सीधे अपने अधीक्षत्व में महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिये संस्थाएं स्थापित कर रहा है और यदि हां, तो क्या निरीक्षण बोर्ड सीधे ही प्रवर्तित की जाने वाली संस्थाओं की भी देखभाल करेंगे ?

डा० एम० एम० दास : निरीक्षणकारी पदाधिकारी उस प्रत्येक संस्था का निरीक्षण करेंगे जिन्हें बोर्ड से सहायता मिलती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य समाज कल्याण बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी अथवा सीधे केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : यह सीधे ही केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

श्री वेलायुधन : मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा

नियुक्त किये जाने वाले उक्त निरीक्षणकर्ता निकाय केवल व्यय की ही जांच पड़ताल करेंगे अथवा कल्याण बोर्डों की कार्यवाहियों की भी देखभाल करेंगे ?

डा० एम० एम० दास : ये निकाय स्वयं बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये हैं। बोर्ड स्वायत्त-शासी ह ।

सशस्त्र सेनाओं की सेवाओं का प्रयोग

*१४४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के विद्युत्-विभाग में हाल ही में कर्मचारियों द्वारा की गयी हड़ताल के दौरान में वहां पर कार्य को चालू रखने के लिए क्या सशस्त्र सेनाओं की सेवाएं प्राप्त की गयी थीं;

(ख) सेना की सहायता किस ने प्राप्त की थी; तथा

(ग) कितने दिनों तक सशस्त्र सेनाएं उस विभाग का कार्य चलाती रहीं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). जी, हां। मैसूर सरकार ने हड़ताल के दिनों में कुछेक विशेष अत्यावश्यक कार्यों को चालू रखने के लिये सेना प्राधिकारियों की सहायता मांगी थी, और ऐसी सहायता दी गयी थी ।

(ग) २४ दिसम्बर, १९५४ से १९ जनवरी, १९५५ तक ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : वहां पर कार्य करन के लिये कुल कितने सशस्त्र सैनिक लगाये गये थे ?

श्री सतीश चन्द्र : मैसूर सरकार को ३६६ सेना-कर्मचारियों और एम० ई० एस० में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों की सेवाएं अर्पित की गयी थीं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सशस्त्र सेनाओं के ये कर्मचारी केवल अत्यावश्यक कार्यों को चालू रखने के लिए ही थे, अथवा वे वहां के कर्मचारियों को फिर से कार्य पर आने के लिए प्रार्थना करने का कार्य भी करते रहे ?

श्री सतीश चन्द्र : उन्होंने उस विवाद में कोई भाग नहीं लिया । ये ३६६ व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों को चालू रखने के लिए लगाये गये थे । मैसूर राज्य की इन सभी प्रतिष्ठापनाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग ६,००० थी, और ये ३६६ व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों के अतिरिक्त और किसी कार्य की ओर ध्यान नहीं दे सकते थे।

श्री नम्बियार : क्या मैसूर सरकार ने, हड़ताल के सम्बन्ध में लगे हुए उन रक्षा-कर्मचारियों को कोई भत्ते अदा किये हैं और विभिन्न खर्चों को पूरा किया है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे इस के लिए पूर्व सूचना चाहिए। मेरा विचार है कि साधारण नियमों के अनुसार ये सारे खर्चे पूरे किये जायेंगे ।

प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक

*१४७. **श्री गिडवानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० दिसम्बर को पटना में होने वाले अखिल भारतीय शिक्षा सम्बन्धी सम्मेलन में पारित किये गये उस संकल्प की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिस में सरकार से कहा गया था कि वह सभी राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा का व्यापक सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से एक प्रतिनिधि आयोग नियुक्त करे;

(ख) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है; तथा

(ग) यदि हां, तो इस के विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि प्राथमिक पाठ-शालाओं के अध्यापकों की स्थिति के विषय में जांच की जाये और उन अध्यापकों के लिए समान वेतन क्रमों की तालिका तैयार की जाये ?

डा० एम० एम० दास : ३०-८-५४ को तारांकित प्रश्न संख्या २७८ के उत्तर में लोक-सभा में इस प्रश्न का विस्तारपूर्वक उत्तर दे दिया गया था जिस में सरकार ने कहा था कि प्रारम्भिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न की जांच अनेकों समितियों द्वारा अनेकों बार की जा चुकी है, और इसलिए इस की एक बार और जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं । देश ने बेसिक शिक्षा के रूप को ही प्रारम्भिक शिक्षा का राष्ट्रीय रूप मान लिया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या बाल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में किसी सुझाव पर सरकार ने विचार किया है ?

डा० एम० एम० दास : मेरा विचार है कि "बाल शिक्षा" से माननीय सदस्य का तात्पर्य निःशुल्क, प्राथमिक शिक्षा, किंडर गार्टन अथवा इसी प्रकार की किसी शिक्षा से है । ऐसी शिक्षा केन्द्रीय सरकार के कार्य-क्षेत्र में नहीं आती ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने, शिक्षा के लिए अधिक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक शिक्षा-उपकर लागू करने की प्रस्थापना पर विचार किया है ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य यह समझ लें कि शिक्षा का अपने अपने राज्यों से सम्बन्ध है और इसलिए उपकर लागू करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में नहीं आता ।

जेट-इंजनों और विद्युत्-रेलगाड़ियों का निर्माण

***१५०. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा जेट-इंजनों और विद्युत्-रेल-गाड़ियों के निर्माण की कोई प्रस्थापना है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस का उत्पादन कब तक प्रारम्भ होगा ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रस्थापनाओं पर अभी तक खोज हो रही है और इसलिए यह बताना संभव नहीं कि उत्पादन कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ।

श्री जी० पी० सिन्हा : शिल्पिक तथा उत्पादन सम्बन्धी सहायता के लिए कितने देशों से मांग की गयी है ?

श्री सतीश चन्द्र : किसी भी देश से मांग नहीं की गयी । एक विदेशी सार्थ को निमंत्रण दिया गया था कि वे किसी प्रारम्भिक परियोजना के विषय में अपना प्रतिवेदन दें । उन्हों ने देश का दौरा किया और कुछेक सिफ़ारिशें दी हैं । सरकार ने इस के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या हम फ्रांसीसी अनुकूलन रूपरेखा का अनुकरण कर रहे हैं या अंग्रेज़ी अनुकूलन रूपरेखा का ?

श्री सतीश चन्द्र : किस चीज़ के लिए ? माननीय सदस्य का प्रश्न जेट इंजनों तथा विद्युत् रेलगाड़ियों के सम्बन्ध में है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : जेट-इंजनों के बारे में क्योंकि रक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध जेट-इंजनों से है ।

श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य अपने प्रश्न में हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा विद्युत्-रेलगाड़ियों के निर्माण के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में जेट-इंजन भी सम्मिलित हैं ।

श्री सतीश चन्द्र : जेट-इंजन तो संसार-भर में लगभग एक ही रूप के हैं । इसलिए समझ में नहीं आता कि ब्रिटिश रूप रेखा के जेट-इंजनों और फ्रांसीसी जेट-इंजनों से माननीय सदस्य का तात्पर्य क्या है ।

श्री वेलायुधन : हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में जेट-इंजनों के निर्माण के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समवाय केवल रूपांकन तथा विभिन्न भागों को एकत्रित करता है, अथवा यह इस के सभी भागों को भारत में ही बना कर जेट-इंजन तैयार भी करता है ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसे मैं ने कहा है, अभी तक निर्माण प्रारम्भ ही नहीं हुआ । जब यह प्रारम्भ हो जायेगा तब हम यह प्रयत्न करेंगे कि इस का प्रत्येक भाग इसी देश में तैयार किया जाये ।

साहित्य अकादमी

*१५१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के दौरान में साहित्य अकादमी के कार्यों पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : १९५४ में साहित्य अकादमी पर ३०,६५०/११/३ रुपये खर्च आये थे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन मदों पर यह राशि खर्च की गयी है ?

डा० एम० एम० दास : मद निम्न-लिखित हैं :

	रु० आ० पा०
अनावर्तक खर्चे	
१. पुस्तकालय	५६३– ६–६
२. फर्नीचर	६०९– ५–३
३. उद्घाटन समारोह	३२५– ९–०
आवर्तक खर्चे	
४. कर्मचारी	७,७१३– ०–०
५. प्रकाशन	५,९२७– ५–४
६. यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता	९,११५–१४–२
७. स्टेशनरी आदि	६,३९६– १–०
कुल योग	३०,६५०–११–३

श्री डी० सी० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्रालय इस प्रस्थापना पर सोच विचार कर रहा है कि विभिन्न राज्यों में भी इस अकादमी की शाखाएं स्थापित की जायें ?

डा० एम० एम० दास : : यह अकादमी केवल १२ मार्च, १९५४ को ही तो स्थापित हुई थी । जहां तक मुझे ज्ञात है इस समय अकादमी के सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं है हो सकता है कि बाद में यह प्रश्न पैदा हो जाये ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या मैं जान सकता हूं कि साहित्य अकादमी द्वारा विभिन्न ग्रन्थों को जो पुरस्कार दिये गय हैं, उन में मराठी ग्रन्थ कितने थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह अभी ही प्रारम्भ हुई है । अब हम अगले प्रश्न को लेंग । श्री एस० सी० सामन्त––१५२.

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मेरा यह सुझाव है कि प्रश्न संख्या १७४ तथा १९४ को भी प्रश्न संख्या १५२ के साथ ही ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इन तीनों प्रश्नों को इकट्ठा लिया जायेगा ।

पश्चिमी बंगाल में तेल तथा खनिज पदार्थ

*१५२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने तेल तथा खनिज पदार्थों को प्राप्त करने की संभावनाओं की खोज करने के उद्देश्य से पश्चिमी बंगाल में, तमलूक उपविभाग में, भूमि के एक बहुत विस्तृत भाग का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां से किस प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं; तथा

(ग) क्या यह भी सत्य है कि तमलूक के खण्ड संख्या १० के निवासियों से कहा गया है कि इस कार्य के हेतु वे दिसम्बर, १९५५ तक अपने घरों को खाली कर दें ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिमी बंगाल में खनिज संसाधनों का विकास

*१७४. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज संसाधनों के विकास के लिए सरकार पश्चिमी बंगाल राज्य में भूमि के बड़े बड़े क्षेत्रों का अधिग्रहण करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के अन्तर्गत आने वाले ज़िलों और क्षेत्रों के नाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; तथा

(ग) अभिभावित लोगों को प्रतिकर किस प्रकार से दिया जायेगा ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). इस के विषय में राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में तेल

*१९४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के नौ ज़िलों के निवासियों को उस प्रदेश में तेल खोजने के लिये एक विदेशी तेल समवाय के कर्मचारियों को सब सुविधाएं देने के लिय नोटिस दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उस तेल समवाय का क्या नाम है और उन की नियुक्ति की क्या शर्तें हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् यह बात इस प्रकार नहीं है । समस्त स्थिति का दिग्दर्शन कराने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**

श्री एस० सी० सामन्त : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने "नहीं" कहा है । मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वे राज्य सरकार से पूछें कि क्या तामलूक सब डिवीज़न में, विशेषकर तीन थानों के प्रत्येक गांव को इस आशय का नोटिस दिया गया था कि लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़ेंगे और यदि उन्हें

ऐसा करने में कोई आपत्ति है, तो उन्हें सरकार से निवेदन करना चाहिये ?

श्री के० डी० मालवीय : बात यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भू-अधिग्रहण अधिनियम १८९४ की धारा ४(१) के अधीन एक अधिसूचना जारी की है जिस में सरकार को उस प्रदेश में लगभग १०,००० वर्ग मील भूमि के क्षेत्र में प्रवेश करने का समुचित अधिकार दिया गया है। अब, इस प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन को इस रूप में नहीं लेना चाहिये कि उन के अधीन जो भूमि आती है वह वास्तव में ही सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है और यह कि लोगों को भूमि खाली करनी पड़ेगी। भूमि खाली करने या भमि अधिग्रहण करने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब कि तेल का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण हो जायेगा और यदि किसी क्षेत्र में वास्तव में ही तेल का होना सिद्ध हो जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि जिस नोटिस का मैंने उल्लेख किया है वह रद्द कर दिया गया था और लोगों को दूसरा नोटिस दिया गया था, किन्तु तब तक लोगों में इतना आतंक छा गया था, जिस का वर्णन नहीं किया जा सकता।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे ज्ञात नहीं है कि दो नोटिस जारी हुए थे। यू० पी० आई० की जो रिपोर्ट समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी उस का बाद में खण्डन हो गया था, क्योंकि वह रिपोट मूलतः गलत थी। सरकार की ओर से भूमि खाली करवाने या भूमि अधिग्रहग करने का कोई निदेश नहीं दिया गया।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा जारी किये गये उन दोनों नोटिसों के बारे में जांच की जाये और उन्हें मंगाया जाये, क्योंकि उन्हीं के कारण इतना अधिक आतंक फैला है न कि समाचारपत्रों के सम्वादों से ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी है। माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में कहा गया है कि सरकार ने नोटिस दिया था जिस के द्वारा खोजी खोज के लिये अधिसूचनाओं में आने वाले क्षेत्र के किसी भी भाग में जा सकते हैं। हम समझते हैं कि बर्दवान और मिदनापुर के कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर केशोपुर, हाटगोविन्दपुर और समाईपुर में, खुदाई का काम वास्तव में आरम्भ हो चुका है। क्या सरकार उन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करेगी, जिन की भूमि खुदाई के काम में आ रही है। क्योंकि वह विवरण में दी गई शर्तों के अन्दर नहीं आती।

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित खुदाइयों का सम्बन्ध है, वे लगभग ५० से ६० फुट तक गहरे छोटे सुराख हैं, जहां भूमि की रचना का पता लगाने के लिये कृत्रिम विस्फोट किया जाता है, और इस का अभिलेख रखा जाता है। जब कोई अच्छा परिणाम निकलेगा तब अधिग्रहण या क्षतिपूर्ति का प्रश्न उत्पन्न होगा अन्यथा, भूमि को कोई हानि नहीं होगी. . . . .

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वहां फसलें खड़ी हैं। इस बात का विचार करते हुए क्या उन्हें कुछ मुआवज़ा दिया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे मालूम है, किसी खड़ी फसल को कोई हानि नहीं हुई है। मैं ने स्वयं कई स्थानों पर जा कर उन सुराखों को देखा है जो वहां खोदे जा रहे थे। वे एसे स्थानों पर खोदे जा रहे थे, जहां फसलें खड़ी नहीं थीं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझता हूं मुख्य प्रश्न यह है, कि हानि कम है या अधिक इस बात को छोड़ते हुए क्या कुछ प्रतिकर दिया जायगा।

श्री के० डी० मालवीय : यदि भूमि अधिग्रहण की जायेगी, तभी प्रतिकर का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ठीक नहीं कह सकता । विधि के अनुसार यह स्थिति हो सकती है । किन्तु मेरा अपना मत इस से भिन्न है ।

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे मालूम है, भूमि को कोई हानि नहीं हुई है ।

श्री एन० बी० चौधरी : प्रश्न १७४ के सम्बन्ध में दिये गये विवरण में कहा गया है कि भूभौतिकीय सेवा अन्तर्राष्ट्रीय समवाय के कर्मचारी भू-राजस्व विभाग के अन्य व्यक्तियों की पूर्ण सहायता के साथ किसी भूमि में प्रवेश कर सकेंगे और भूमि का परिमाप करेंगे और अनुसूचि में उल्लिखित अधिनियम की कतिपय धाराओं में वर्णित और उपबन्धित अन्य सब काम कर सकेंगे । इस से यह प्रतीत होता है कि बहुत से व्यक्ति जाते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : परन्तु वास्तविक प्रश्न क्या है ?

श्री एन० बी० चौधरी : क्या ऐसे मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को ग्राह्य नहीं समझता । भू-अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उन व्यक्तियों को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होता है । यह ऐसी जानकारी नहीं है जो माननीय मंत्री दे सकते हैं ।

श्री के० के० बसु : वास्तविक खुदाई के आस-पास कार्य क्षेत्र का कुल घेरा कितना है ?

श्री के० डी० मालवीय : एक सुराख का व्यास ६ इंच से अधिक नहीं है । मैं नहीं समझता कि किसी क्षति या प्रतिकर का प्रश्न उठता है, क्योंकि ये छोटे छोटे छेद ऐसी भूमि में किये जाते हैं जहां कोई फसल न हो ।

दिल्ली विश्वविद्यालय

*१५३. **श्री राधा रमण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के विकास के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए ह ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव किस प्रकार के हैं; और

(ग) क्या सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के साथ साथ इन प्रस्तावों पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

श्री राधा रमण : पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि कुल ८९,११,००० रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है । दूसरे पांच वर्षों के अन्दर यह रकम किस प्रकार बांटी जायेगी, और यदि हां, तो क्या कोई प्राथमिकताएं निश्चित की जा चुकी हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित दिल्ली विश्वविद्यालय के अगले या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भावी विकास से सम्बन्ध रखता है । इतनी जल्दी यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर लिये

हैं और उस ने अभी उन पर विचार नहीं किया है ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार को विदित है कि कुछ कालिज ऐसे हैं जो दिल्ली विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध नहीं हैं, और उन के स्तर भिन्न भिन्न हैं, और यदि हां, तो क्या उन के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोई प्रस्ताव भेजा है ?

डा० एम० एम० दास : मैं नहीं समझता कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया है ।

श्री राधा रमण : क्या इस के अतिरिक्त अन्य कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है ?

डा० एम० एम० दास : दिल्ली विश्व-विद्यालय का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया प्रस्ताव विवरण में दिया गया है। मैं नहीं समझता कि और भी कोई चीज़ है जो विवरण में नहीं दी गई है ।

श्री जजवाड़े : इस में कुछ गलती है । अंग्रेजी में इस प्रश्न संख्या १५४ के आगे रघुनाथ सिंह का नाम दिया हुआ है पर हिन्दी में भक्त दर्शन का नाम है ।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी में क्या है ?

श्री जजवाड़े : हिन्दी में भक्त दर्शन का नाम है ।

अध्यक्ष महोदय : भक्त दर्शन तो हाउस में मौजूद हैं पर वह कुछ कहते नहीं हैं। उन का होगा तो वह कह देंगे ।

श्री भक्त दर्शन : यह प्रश्न मेरा नहीं है ।

विशेष विवाह अधिनियम, १९५४

***१५५. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि यद्यपि विशेष विवाह अधिनियम १ जनवरी, १९५५ को लागू हुआ था, फिर भी कुछ राज्यों में, उदाहरणार्थ दिल्ली में ४ जनवरी, १९५५ तक विवाह अधिकारी नियुक्त नहीं हुए थे, जिस का विधि में उपबन्ध किया गया है, हालांकि विशेष विवाह अधिनियम, १८७२ के अधीन नियुक्त विवाह अधिकारियों ने उस अधिनियम के रद्द हो जाने के साथ कार्य करना बन्द कर दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि उस दिन किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति की तिथि मालूम नहीं थी, और बहुत से भावी दूल्हों को बड़ी असुविधा उठानी पड़ी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या मुख्य कारण था ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) दिल्ली राज्य में विवाह अधिकारियों की नियुक्ति ५ जनवरी, १९५५ के दिल्ली राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधि-सूचना के द्वारा की गई थी । इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है कि क्या विशेष विवाह अधिनियम, १८७२ के अधीन नियुक्त विवाह अधिकारियों ने उस अधिनियम के रद्द होने पर कार्य करना बन्द कर दिया था ।

(ख) विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ के पारण और उस अधिनियम के लागू होने की तिथि सम्बन्धी जानकारी समस्त राज्य सरकारों को भेज दी गयी थी । सरकार की जानकारी के अनुसार, जैसा कि बताया जा चुका है, किसी भावी दूल्हे को कोई असुविधा नहीं उठानी पड़ी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार ने यह जानकारी एकत्रित की है कि आया विवाह अधिकारी भारत के सब राज्यों में नियुक्त किये जा चुके हैं, और यदि हां, तो क्या किसी राज्य ने अभी तक कोई ऐसा अधि-कारी नियुक्त नहीं किया है ।

श्री पाटस्कर : सरकारी जानकारी के अनुसार सब राज्यों ने ऐसे अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार ने यह जानकारी एकत्रित की है कि विशेष विवाह अधिनियम के अधीन अब तक कितने लोगों ने विवाह किया है ?

श्री पाटस्कर : मुझे इस प्रश्न की सूचना चाहिये ।

भारतीय इतिहास कांग्रेस

*१६०. **श्री सारंगधर दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया आफिस के भवन और इस के सामान में भारत सरकार के अंश को शीघ्र वसूल करने से सम्बन्धित भारतीय इतिहास कांग्रेस के पिछले सत्र में पारित संकल्प की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) भारत सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) भारत सरकार इस के बारे में पहले पाकिस्तान की सरकार के साथ चर्चा करना चाहती है ।

श्री वेलायुधन : इंडिया आफिस के ये ऐतिहासिक अभिलेख अब कहां पड़े हैं : क्या वे इंगलिस्तान की सरकार के पास हैं, या पाकिस्तान की सरकार के पास अथवा भारत सरकार के पास ?

डा० एम० एम० दास : मुझे इस बात का पक्का निश्चय नहीं है किन्तु जहां तक मुझे मालूम है, वे इंगलिस्तान की सरकार के संरक्षण में हैं ।

श्री वेलायुधन : क्या स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के लिये कुछ ऐतिहासिक सामग्री इकट्ठी करने के लिये लन्दन में हमारे उच्च आयुक्त को इन अभिलेखों को प्राप्त करने में कुछ कठिनाई उठानी पड़ी थी ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक हमें मालूम है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी ।

श्री गिडवानी : मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या १६१ के साथ प्रश्न संख्या १८४ को भी ले लिया जाये, क्योंकि ये एक ही विषय पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री के लिए यह सुविधाजनक है, तो वे दोनों ले सकते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : एक प्रश्न और भी है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या संख्या है ?

श्री एस० सी० सामन्त : किन्तु माननीय सदस्य यहां नहीं हैं ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : प्रश्न संख्या १६१ और १८४ एक साथ लिये जा सकते हैं ।

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन बोर्ड

*१६१. **श्री वी० मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५४ के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उस में क्या निर्णय किया गया था;

(ख) क्या शारीरिक क्षमता परीक्षा को प्रमाणित करने के बारे में भी कोई निर्णय किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ये परीक्षाएं कैसे निर्धारित की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) तथा (ग). यह मामला एक उपसमिति को निर्दिष्ट किया गया है और इस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन बोर्ड

*१८४. **श्री गिडवानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शरीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन मंत्रणा बोर्ड ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो स्कूलों और कालिजों में शारीरिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में इस की सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन मंत्रणा बोर्ड ने अपनी २३/२४ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में शारीरिक शिक्षा और इसे सुधारने के तरीकों के सम्बन्ध में अपनी उपसमिति द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट पर विचार किया था और स्कूलों और कालेजों में शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने के लिए एक और उपसमिति नियुक्त की थी ।

श्री गिडवानी : पहली समिति की सिफ़ारिशें जिन पर विचार किया गया है, किस प्रकार की हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस ने देश में शारीरिक शिक्षा का सामान्य सर्वेक्षण किया था ।

श्री गिडवानी : क्या उस ने इस के बारे में कुछ नहीं कहा ? सर्वेक्षण के बाद उस ने शारीरिक शिक्षा के स्थिति के बारे में कुछ न कुछ अवश्य कहा होगा ।

डा० एम० एम० दास : विस्तृत सिफारिशें इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री जयपाल सिंह : समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

डा० एम० एम० दास : शारीरिक स्वस्थता के स्तर निश्चित करने वाली उपसमिति के सदस्य ये हैं :

(१) श्री सी० सी० अब्राहम, प्रिंसिपल वाई० एम० सी० ए० कालिज आफ़ फिज़िकल एजूकेशन, सैदापैट, मद्रास ।

(२) श्री बी० एम० जोज़फ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट आफ फिज़िकल एजूकेशन, कांडावली, बम्बई ।

(३) श्री जी० डी० सोंधी, आनरेरी एड्वाइज़र (यूथ वेल्फेयर), शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

पाठ्यक्रम तैयार करने वाली उपसमिति के सदस्य ये हैं :

(१) श्री बी० एम० जोज़फ, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट आफ़ फिज़िकल एजूकेशन, बम्बई ।

(२) श्री के० एन० राय, चीफ़ इन्स्पैक्टर आफ़ फिज़िकल एजूकेशन, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता ।

(३) श्री जी० डी० सोंधी, आनरेरी एडवाइज़र (यूथ वेलफेयर), भारत सरकार ।

(४) श्री ए० डब्ल्यू० हावर्ड, प्रिंसिपल, लखनऊ क्रिस्चियन कालेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार ने इस बोर्ड के कार्यकरण की जांच की है और क्या सरकार को मालूम हो सका है कि यह क्रियाकारी है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार की राय में मंत्रणा बोर्ड क्रियाकारी है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस की जांच की गई है ? मैं सरकार की राय नहीं जानना चाहता । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस के कार्यकरण की जांच के लिए पग उठाये हैं ?

डा० एम० एम० दास : इसे सरकार ने बनाया है और यह सरकार के निदेश के अनुसार काम कर रहा है । सरकार इस के कार्यकरण की जांच कैसे कर सकती है ?

ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति

*१६२. **श्री इब्राहीम :** क्या शिक्षा मंत्री १५ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यह रिपोर्ट कब पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां, ३१ जनवरी, १९५५ को ।

(ख) रिपोर्ट छप रही है और इस की प्रतियां प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेंगी ।

सोने का चोरी-छिपे लाया जाना

*१६३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने कोई ऐसी देशी नावें पकड़ी हैं जो कुवैत से आ रही थीं और भारत में चोरी छिपे सोना ला रही थीं; और

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, १९५४ से अब तक ऐसी नावों से कितना सोना पकड़ा गया ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख). नवम्बर, १९५४ से कुवैत से आने वाली एक देशी नाव को सोना लाते पकड़ा गया है । यह कुवैत से गोआ जा रही थी और इसे १० नवम्बर, १९५४ को भारतीय समुद्र में एक पुलिस लांच ने पकड़ कर अम्बर गांव के सीमाशुल्क अधिकारियों के हवाले कर दिया था । सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा नाव की तलाशी लिये जाने पर इस के पिछले भाग मे ६,२४९ तोले और १३ आना छिपा हुआ सोना मिला था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उन लोगों को जो गोआ को सोना ले जा रहे थे, गिरफ्तार किया गया था ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिए ।

डा० राम सुभग सिंह : बताया गया है कि देशी नाव गोआ को जा रही थी । क्या इसे अचानक पकड़ा गया था या भारत सरकार ने इस बात के कोई उपाय किये हैं कि भारत में चोरी छिपे सोना लाने के लिए कोई विदेशी नाव गोआ या भारत में किसी और पुर्तगाली बस्ती में न जाने दी जाये ?

श्री बी० आर० भगत : यह अचानक नहीं पकड़ी गई थी । इसे चौर्यानियन की रोकथाम करने वाले एक जहाज़ ने देखा था और इस का पीछा किया था ।

डा० राम सुभग सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार ने देशी नावों को गोआ या भारत में अन्य पुर्तगाली बस्तियों में सोने या किसी अन्य वस्तु के चौर्यानियन के लिए आने से रोकने के लिए कोई गश्ती दस्ता नियुक्त किया है ।

श्री बी० आर० भगत : एक गश्ती सेवा है । हाल में चौर्यानियन विरोधी उपायों को अधिक कड़ा कर दिया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : कहा गया है कि नवम्बर, १९५४ से एक देशी नाव पकड़ी गई है। क्या सरकार १९५४ के सारे वर्ष के बारे में जानकारी दे सकती है ?

श्री बी० आर० भगत : १९५४ के सारे वर्ष के आंकड़ों के लिए मुझे पृथक् सूचना चाहिये ।

तस्कर व्यापार

*१६४. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वित्त** मंत्री १७ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३३, जो कि १९५४ में पूर्वी और पश्चिमी भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार के बारे में था, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब जानकारी इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया है; और

(ग) कितना माल पकड़ा और ज़ब्त किया गया है और इस का मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग). जी हां। १९५४ के वर्ष के पहले १० मासों तक (३१ अक्तूबर, १९५४ तक) की अवधि के बारे में जानकारी इक्ट्ठी की जा चुकी है और १७ दिसम्बर, १९५४ को लोक-सभा सचिवालय को दे दी गई थी। १९५४ के सारे वर्ष के आंकड़े अब इकट्ठे कर लिये गये हैं और एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

पंडित डी० एन० तिवारी : स्टटमेंट को देखने से मालूम होता है कि ८१ व्यक्ति पासपोर्ट सम्बन्धी नियम की अवहेलना के लिए पकड़े गये और वह सब छोड़ दिये गये. क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी कृपा दर्शाने की क्या ज़रूरत थी ?

श्री बी० आर० भगत : उन पर कोई कस्टम्स के कानून को तोड़ने का अपराध नहीं था, केवल पासपोर्ट के कानून के तोड़ने के सिलसिले में पुलिस की कार्रवाई हुई।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि स्मगलिंग के लिए कितने लोग पकड़े गये ?

श्री बी० आर० भगत : स्मगलिंग का कोई चार्ज उन पर नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : पार्ट सी के जवाब में कहा गया है कि कुल ३७,१६,०१२ रुपये के लागत का सामान स्मगल हुआ और उस में से १२,६५,३३३ रुपये की लागत का माल कानफ़िसिकेट हो गया, तो क्या मैं जान सकता हूं कि जो चीज़ें ज़ब्त हुईं उनके ले आने वालों को क्या सज़ा मिली और कितनें और लोग पकड़े गये ?

श्री बी० आर० भगत : यह तो मैं अभी नहीं बता सकता, इस के लिये अलग से सूचना चाहिये ।

केन्द्रीय शिक्षा गवेषणा संस्था

*१६५. **श्री हेडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पटना में जो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था, उसने एक केन्द्रीय शिक्षा गवेषणा संस्था के स्थापित किये जाने के लिए कोई अभ्यावेदन किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)। (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हेडा : क्या सभासचिव ने ये समाचार पढ़े हैं कि इस सम्मेलन ने सरकार से

ऐसी संस्था स्थापित करन के लिए अपील की थी ?

डा० एम० एम० दास : मैं न नहीं पढ़ा ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया गया था और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

डा० एम० एम० दास : जी नहीं, मंत्रालय का कोई पदाधिकारी इस में सम्मिलित नहीं हुआ था ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस समय ऐसी गवेषणा के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई संस्था है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां; दिल्ली की शिक्षा संस्था केन्द्रीय सरकार के अधीन है और यह शिक्षा के सम्बन्ध में गवेषणा भी कर रही है ।

खेलों का पुनर्संगठन

*१६९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न खेलों में भारतीय संस्पर्धकों के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई योजनायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). सरकार खेलों में सुधार अखिल भारतीय खेल परिषद् के द्वारा जिसे हाल ही में नियुक्त किया गया है और जो इस सम्बन्ध में योजनायें बनायेगी, कराना चाहती है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह पता है कि खेल फेडरेशन के प्रतिनिधियों में जो इस वर्तमान अखिल भारतीय खेल परिषद् का निर्माण करते हैं बहुत से व्यवसायी पद-धारी हैं जिन का नियंत्रण इस देश के अव्यवसायी खेलों पर भी है ?

डा० एम० एम० दास : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार का ध्यान कभी इस बात की ओर भी गया है कि विभिन्न खल संगठनों के प्रधान लम्बे समय से पद धारण किये आ रहे ह और निर्वाचनों में वे ऐसा प्रबन्ध कर लेते हैं कि उन्हें निकलना न पड़े ?

डा० एम० एम० दास : अखिल भारतीय खेल परिषद् में विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों के सभापति हैं । अतः उन संगठनों का व्यक्तिगत ब्यौरा हमें पता नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मुझे इस अखिल भारतीय खेल परिषद् के निर्माण के हेतु निकाली गयी अधिसूचना से यह पता चलता है कि उस का एक कृत्य यह भी है कि उस परिषद् को ऐसे अन्य समस्त कृत्य करने का भी अधिकार होगा, चाहे वे पूर्वकथित अधिकारों से प्रासंगिक हों अथवा नहीं इस का अर्थ यह है कि इस देश के खेलों के बारे में यह संस्था प्रत्येक प्रकार का नियंत्रण संभाल सकती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय औलैम्पिक संस्था के चार्टर के अनुसार भारतीय प्रतियोगियों को आगामी औलम्पिकस में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जायेगी यदि भारतीय औलम्पिक संस्था सर्वोच्च न हुई और यदि किसी अन्य संस्था का उस निकाय पर किसी प्रकार का नियंत्रण रहा ?

डा० एम० एम० दास : अखिल भारतीय खेल परिषद् एक सलाहकार निकाय है जो खेलों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देगी ।

श्री वी० पी० नायर : किन्तु ऐसा वहां नहीं कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें तर्क वितर्क नहीं करना है ।

श्री वी० पी० नायर : अधिसूचना में स्पष्टतया लिखा है कि "यह संस्था अधिकार संभालेगी" ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह कहते हैं कि यह एक सलाहकार संस्था है ।

श्री वी० पी० नायर : किन्तु अधिसूचना में तो लिखा है.....

अध्यक्ष महोदय : किसी तर्क की आवश्यकता नहीं ।

श्री जयपाल सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय औलम्पिक संस्था ने इस सलाहकार परिषद् का अनुमोदन करने से इन्कार कर दिया है, सरकार कौन सी अन्य योजना बना रही है जिस से खेलों में भारत को विश्व में मान्यता प्राप्त हो सके ?

डा० एम० एम० दास : सरकार ने एक अखिल भारतीय निकाय की नियुक्ति खेलों के बारे में सलाह लेने के लिए की है । यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि एक संस्था इस में सम्मिलित हो अथवा न हो ।

श्री के० के० बसु : किन्तु आप का प्रतिनिधित्व न हो सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : किसी तर्क की आवश्यकता नहीं । अगला प्रश्न ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक

*१७१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के इस निर्णय की ओर ध्यान दिया है कि वे आंदोलन करेंगे यदि उन के वेतन स्तरों में एकसमानता लाने की प्रार्थनाओं की ओर ध्यान न दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) यद्यपि सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के कथित आन्दोलन करने के निर्णय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, किन्तु दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संस्था का एक पत्र सरकार के पास अवश्य आया था जिस में विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के वेतन स्तरों में एक समानता करने की मांग की गई है ।

(ख) इस मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अन्तरिम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किन कारणों से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकों तथा सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के वेतनों में यह अन्तर रखा जब कि दिल्ली विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से एक संधानित प्रकार का विश्वविद्यालय है ?

डा० एम० एम० दास : वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा नियुक्त किया गया था, का क्षेत्राधिकार केवल विश्वविद्यालयों पर ही है न कि उन के सम्बद्ध कालेजों पर ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय की जो परिभाषा सरकार की संविधि में की गई है--जिस पर हम अब विचार कर रहे हैं--उस में सम्बद्ध कालेज भी उसी के अन्तर्गत आते हैं--तो फिर यह गड़बड़ कैसे हुई कि सम्बद्ध कालेज विश्वविद्यालय का भाग नहीं हैं--जब कि यह परिभाषा स्वयं विधेयक में भी स्वीकार की जा चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तर्क वितर्क का मामला है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आशय यह कि विश्वविद्यालय.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को समझता हूं, यह एक मान्य बात भी हो सकती है किन्तु वह जानकारी तो नहीं मांग रही हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानकारी मांग रही हूं। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या वास्तव में.....

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। वह दूसरा प्रश्न पूछ सकती हैं। अगला प्रश्न।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

***१७२. श्री एल० एन० मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सम्बन्ध में भारत के जिम्मे कोई काम निर्धारित किया है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर इस समय पुनर्निर्माण तथा विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, निगम के चार्टर का प्रारूप बनाने के काम में लगा हुआ है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह तथ्य है कि आरम्भ में अमरीका की सरकार इस निकाय की स्थापना के पक्ष में नहीं थी, और यदि हां, तो अब इस की स्थापना के पक्ष में होने के क्या कारण हैं ? इस समय उन्होंने किस प्रकार का रवैय्या अपना रखा है ?

श्री बी० आर० भगत : यह सच है कि आरम्भ में अमरीका सरकार को इस निकाय की उपयोगिता के बारे में कुछ सन्देह था। किन्तु बाद में उस ने इस का समर्थन किया है और नवम्बर, १९५४, में अमरीका सरकार ने अपने इस निर्णय की घोषणा भी कर दी है कि वह प्रस्थापित अन्तर्राष्ट्रीय निगम में भाग लेने के लिए कांग्रेस का अनुमोदन भी प्राप्त करेंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : यह किस प्रकार से भाग लेगा और इस की पूंजी कितनी होगी ? क्या यह अंश पूंजी देगा अथवा ऋण पूंजी ?

श्री बी० आर० भगत : यह प्रस्थापित निगम अंश पूंजी का सीधा उपबन्ध न करेगा। किन्तु इस को ब्याज सहित प्रतिभूतियों को रखने का अधिकार होगा जो कि उसी समय देय होगा जब कि एकत्रित हो जायगा, यह हमारे प्राथमिक स्टाकों के समान होगा और ऋण पत्रों के भी समान होगा जिन्हें जब वे वैयक्तिक विनियोजकों द्वारा निगम से खरीदे जायें, स्टाक में परिवर्तित कराया जा सकेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : इन तीनों निकायों में, अर्थात् इस अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में किस प्रकार समन्वय रखा जायेगा; क्या इन तीनों निकायों में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध होगा ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, पारस्परिक सम्बन्ध रहेगा। यह प्रस्थापित निगम पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से सम्बद्ध होगी। यह अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अथवा निर्यात-आयात बैंक से प्रतिस्पर्धा न करेगी।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार ने भारत के इस में भाग लेने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, भारत ने इस में भाग लेने के निर्णय की घोषणा कर दी है।

श्री एस० एन० दास : भाग किन शर्तों पर लिया जायेगा ?

श्री बी० आर० भगत : पुनर्निर्माण के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सभी सदस्य इस निगम के सदस्य होने के हक्कदार हैं और भारत इस निगन का सदस्य बनेगा यदि यह निगम निर्माण हुआ ।

अवाडी कांग्रेस अधिवेशन

*१७३. **श्री वीरस्वामी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवाडी के कांग्रेस अधिवेशन में एन० सी० सी० के सैनिक छात्रों से काम लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या थी और वह कितने दिनों तक काम करते रहे;

(ग) उन की यात्रा, खाने पीने तथा रहने आदि पर कितनी रक़म व्यय की गई; और

(घ) क्या उन का ख़र्च सरकार ने दिया था अथवा कांग्रेस संगठन ने ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). उत्पन्न ही नहीं होते ।

श्री वीरस्वामी । क्या यह सच नहीं है कि रक्षा मंत्रालय ने कालेजों तथा हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा मुख्याध्यापकों को यह हिदायतें जारी कीं कि वे अपने सेना छात्रों को सेवा दल की निगरानी में काम करने के लिए भेजें ?

श्री सतीश चन्द्र : इस सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय ने किसी प्रकार का भी कोई परिपत्र जा री नहीं किया है ।

सेना की गाड़ियां

*१७५. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सेना की कितनी गाड़ियों को दुर्घटनायें हुईं;

(ख) उन के परिणामस्वरूप कितने मर गये;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्धियों को मुआवज़ा दिया जाता है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कुल कितनी रकम दी गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ११५ ।

(ख) उन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप १९ असैनिक व्यक्ति मरे ।

(ग) जो उपाय इस समय सैनिक कर्मचारियों द्वारा अधिक तेज़ और लापरवाही से गाड़ियां चलाने के लिए विद्यमान हैं उन्हें और जोरदार बनाया जा रहा है जिस के लिए सैनिक पुलिस के विशेष दस्ते अलग निश्चित किये गये हैं जो ड्राइवरों पर निगरानी रखेंगे और विशेषतया घनी बस्तियों में अधिक कड़ी निगरानी की जायेगी । दूसरे उपाय जैसे कि ड्राइवरों का व्यापक प्रशिक्षण, ऐसे ड्राइवरों का रखा जाना जो कि पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाने का कार्य जानते हों, पुरानी तथा टूटी फूटी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों का प्रयोग, यातायात सम्बन्धी अनुशासन तथा नियंत्रण, आदि भी किये जा रहे हैं ।

(घ) जी हां, यदि दुर्घटना चलाने वाले ड्राइवर की लापरवाही से हुई हो ।

(ङ) एक मामले में ३२५ रुपये दिये गये हैं। २६ मामलों पर विचार हो रहा है।

सांस्कृतिक शिष्ट मंडल

***१७६. सरदार अकरपुरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहर भेजे जाने वाले सारे सांस्कृतिक शिष्ट मंडलों का खर्चा सरकार ही करती है;

(ख) क्या लौटने पर वे सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा सदस्यों को भेजने का विचार है ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् । किन्तु ऐसा सर्वदा नहीं होता है ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

सरदार अकरपुरी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो कलचरल मिशनज़ के साथ मेम्बर जाते हैं उन का सिलैक्शन कैसे होता है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं । उन प्रतिनिधि मंडलों के जिनकी भारत सरकार सहायता करती है, सदस्यों का चुनाव संस्थायें ही करती हैं ।

सरदार अकरपुरी : क्या कलचरल मिशन्ज़ के मेम्बरों की जो रिपोर्टस गवर्नमेंट के पास आती हैं, या जो सजैशन्ज़ आते हैं उन के मुताबिक आप ने अपने कामों में कोई तबदीलियां की हैं, और अगर की हैं, तो क्या ?

डा० एम० एम० दास : ऐसा कोई अवसर नहीं आया है । इन प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों में ऐसी कोई बात नहीं होती है जिस से सरकार की वर्तमान नीति बदलने की आवश्यकता पड़े ।

सरदार अकरपुरी : मैं यह इस वास्ते अर्ज़ कर रहा हूं कि जो मेम्बर कलचरल मिशन्ज़ पर जाते हैं वे लिहाज़ मुलाहिज़े से जाते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या गवर्नमेंट इस बात पर ग़ौर करेगी कि वे जो रिपोर्टस देते हैं, उन रिपोर्टस को हाउस के मेम्बरों को सप्लाई किया जाये ?

डा० एम० एम० दास : ये प्रतिवेदन गोपनीय होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

युवक कल्याण योजना के अधीन अनुदान

***१७७. श्री राम दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों में कला तथा शिल्प के प्रति रुचि पैदा करने के हेतु वर्कशाप खोलने के लिये स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों को युवक कल्याण योजना के अधीन किन शर्तों पर आवर्तक और अनावर्तक अनुदान दिये जाते हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : यह योजना अभी तैयार नहीं हुई है। इस की जांच की जा रही है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस योजना के बनाने से पूर्व किसी शिक्षा संस्था अथवा युवक केन्द्र को कोई अनुदान दिया गया था अथवा मंत्रालय ने कोई युवक कल्याण केन्द्र खोला था या नहीं ?

डा० एम० एम० दास : प्रश्न इस बारे में नहीं है । उस का सम्बन्ध तो विद्यार्थियों में कला, शिल्प, इत्यादि के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से वर्कशाप खोलने के हेतु स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदानों से है । कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

श्री राम दास : यह स्कीम कब तक मुकम्मल हो जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : इस पर अभी खोज किया जा रहा है। इस समय मैं यह नहीं बता सकता हूं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को ऐसे वर्कशाप खोलने अथवा स्थापित करने के सम्बन्ध में किसी स्कूल अथवा कालेज से कोई योजना प्राप्त हुई है ?

डा० एम० एम० दास : बहु-प्रयोजनीय स्कूलों के सम्बन्ध में तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के बारे में जिस में बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोले जायेंगे, सरकार की अपनी अलग योजना है । कुछ स्कूलों में छोटे वर्कशाप खोलने हैं ।

विदेशी पूंजी

*१७८. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से किन किन विदेशी देशों ने भारत के उद्योगों में ग़ैर-सरकारी पूंजी लगाई है ; और

(ख) इस प्रकार लगाई गई पूंजी कितनी है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख). उन देशों के नामों का जिन्होंने जून, १९४८ के अन्त तक भारत में ग़ैर-सरकारी पूंजी लगाई, और इस प्रकार लगाई गई पूंजी की राशि का विवरण १९५० में प्रकाशित भारत के विदेशी दायित्वों तथा आस्तियों की संगणना सम्बन्धी रिज़र्व बैंक के प्रतिवेदन में, जिस की एक प्रति लोक-सभा की पुस्तकालय में उपलब्ध है, दिया गया है । उस के बाद की सूचना सरकार को उपलब्ध नहीं है । रिज़र्व बैंक भारत में विदेशी दायित्वों और आस्तियों का दूसरा सर्वेक्षण कर रहा है । इस के पूरे होने पर हमें १९५३ के अन्त तक की जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

श्रीमती इला पालचौधरी : किन किन उद्योगों में विदेशी पूंजी लगी हुई है ?

श्री बी० आर० भगत : प्रतिवेदन में यह सारी सूचना दी गई है । बिना जानकारी के मैं उन उद्योगों के नाम नहीं बता सकता ।

श्री के० के० बसु : यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ? कम से कम सरकार विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम से हमें उस राशि का कुछ अनुमान दे सकती है जिसे पुर्नियोजन के अलावा बाहर से ला कर लगाने की आज्ञा ली गई थी । ये आंकड़े बताये जा सकते हैं ।

श्री बी० आर० भगत : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन के प्रकाशित होने में २ या ३ महीने और लग जायेंगे । दूसरे भाग के सम्बन्ध में, मेरा विचार है कि माननीय सदस्य स्वीकृत अथवा बाहर से लाई गई धन राशि के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं बाहर से लाई गई धन राशि के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री बी० आर० भगत : १९४८ के पश्चात् ?

श्री के० के० बसु : जी हां ।

श्री बी० आर० भगत : प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर ही यह मालूम हो सकेगा कि कितनी धनराशी लगाई गई है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दे सकता हूं कि सरकार ने भारत की नई योजनाओं में कितनी विदेशी पूंजी लगाने की स्वीकृति दी है । १९४९ से अक्तूबर १९५४ तक सरकार ने नये उद्योगों में लगभग ७०·२५ करोड़ रुपये और

वर्तमान समवायों में ८·२१ करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाने की स्वीकृति दी है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार ने ऐसी कोई मात्रा निश्चित कर दी है कि कोई विदेशी पूंजीपति अथवा नियोजक भारत के किसी विशेष उद्योग में अधिक से अधिक इतनी पूंजी लगा सकता है और अधिक से अधिक इतना वार्षिक लाभ ले सकता है ?

श्री बी० आर० भगत : ऐसी कोई मात्रा निश्चित नहीं है । यह स्वीकृति प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में दे दी जाती है ।

पूर्वी कमान का मुख्यालय

***१७९. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रक्षा** मंत्री २ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी कमान का मुख्यालय लखनऊ आ गया है;

(ख) क्या आवश्यकता के अनुसार निवास सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें वहां पर उपलब्ध हैं; और

(ग) पूर्वी कमान द्वारा रांची में खाली छोड़े गये निवास-स्थान के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क) जी हां; कुछ शाखाओं को छोड़ कर ।

(ख) जी हां, अधिकतर सुविधायें प्राप्त हैं ।

(ग) वर्तमान स्थान की पूर्ति के लिये कुछ सेना भेजी जायेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि रक्षा मंत्रालय ऐसे व्यक्तियों के जीवनयापन का भी प्रबन्ध करेगा जो पूर्वी कमान के स्थानान्तरित होने के कारण बरोज़गार हो गये हैं ?

सरदार मजीठिया : बिहार गवर्नमेंट करेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह बात सच है कि अन्तिम घड़ी तक बिहार सरकार ने इस कार्यालय को वहां रहने की सारी सहूलियतें दीं, मगर फिर भी इसे स्थानान्तरित कर दिया गया । इस के क्या कारण हैं ।

सरदार मजीठिया : रांची में कोई जगह नहीं थी, बिल्डिंग्ज़ नहीं थीं; जिस में कि मुख्यालय को रखा जाता । वहां पर टैम्पोरेरी बिल्डिंग्ज़ थीं जो कि लड़ाई के जमाने में बनी थीं । उस के मुकाबले में लखनऊ में बिल्डिंग्ज़ मौजूद हैं और खयाल किया जाता है कि वहां मुख्यालय को मूव करने में गवर्नमेंट को फायदा था । इसलिए मुख्यालय को वहां मूव कर दिया गया ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सत्य नहीं है कि मकान आदि के लिए बिहार सरकार जमीन आदि का प्रबन्ध करने को तैयार थी लेकिन फिर भी उसे स्थानान्तरित कर दिया गया ?

सरदार मजीठिया : जितने रुपये की मकान आदि बनाने के लिए रांची में जरूरत थी, वह उस रुपये के मुकाबले में बहुत ज्यादा था जो कि लखनऊ में खर्च किया जाना था । इसलिए यही बेहतर समझा गया कि मुख्यालय को वहां से मूव किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न लिया जाये ।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ही प्रश्न के लिये समय शेष है । मैं अब अगला प्रश्न लेता हूं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं रहा।

राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट

*१८०. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **वित्त** मंत्री इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अवधियों के राष्ट्रीय बचत सार्टिफिकेटों से अभी तक (राज्य वार) कुल कितनी प्राप्ति हुई ; और

(ख) प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले में ये आंकड़े कैसे हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). प्रत्येक राज्य में छोटी बचतों के संग्रहों और उस के लिये निर्धारित लक्ष्यों को बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६,]** राष्ट्रीय बचत सार्टिफिकेटों के लिये कोई पृथक लक्ष्य नहीं है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : ये लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित किये गये हैं ? क्या वे एक साल के लिये होते हैं और यदि नहीं, तो फिर वे कितने अवधि के लिये होते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : सारणी में प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य दिखाया गया है और यह लक्ष्य कुछ सालों के लिये निश्चित किया जाता है। कुछ सालों से वह उसी आधार पर चलता रहा है। भारत के लिये कुल लक्ष्य ४५ करोड़ का निश्चित हुआ है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या सरकार का यह इरादा है कि जिन राज्यों में जो पूंजी एकत्रित होगी, वह अंशतः अथवा पूर्ण रूप से उसी राज्य को दे दी जायेगी ?

श्री ए० सी० गुहा : अभी तो यह व्यवस्था है कि निश्चित लक्ष्य से अधिक जो धन जिस राज्य में एकत्रित होगा, उसे उसी राज्य के विकास कार्य के लिये ऋण रूप में दे दिया जायेगा। अभी हाल में हम ने एक और सुविधा दी है कि नियत लक्ष्य के ८० प्रतिशत से अधिक जितना भी धन किसी भी राज्य में इकट्ठा होगा, उसका आधा उस राज्य के निर्माण कार्य के लिये ऋण के रूप में दे दिया जायेगा।

श्री केलप्पन : सरकार को इस सम्बन्ध में कितना धन व्यय करना पड़ा ?

श्री ए० सी० गुहा : इस समय मेरे पास उससे सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास

*१४५. **श्री पुन्नूस** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास के संपादक-बोर्ड को पश्चिमी जर्मनी की सरकार से इतिहास में सम्मिलित करने के लिये कुछ सामग्री प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्राप्त हुई सामग्री किस प्रकार की है और पश्चिमी जर्मनी में यह सामग्री किस के द्वारा एकत्र की गई थी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

बुनियादी शिक्षा (व्यय)

*१४६. **श्री एच० एन० मुकर्जी**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में केन्द्रीय सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा पर कितना व्यय किया गया ; और

(ख) इसी अवधि में ग़ैर-बुनियादी प्रारम्भिक शिक्षा पर कितना व्यय किया गया ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) ३१ जनवरी, १९५५ तक ५१.२१ लाख रुपये।

(ख) पूर्णरूपेण ग़ैर-बुनियादी प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार की कोई योजना नहीं थी।

खगोल विद्या

*१४८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २५ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की द्वितीय पुनरीक्षण समिति की इस सिफारिश को कि खगोल विद्या की उन्नति की जाय स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे कार्यान्वित किया गया है ।

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). द्वितीय पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की प्रशासकीय संस्था द्वारा नियुक्त की गई विशेष समिति की सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

रोज़गार सर्वेक्षण

*१४९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त देश में रोज़गार सम्बन्धी सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस प्रकार प्रारम्भ किया गया है और किन किन क्षेत्रों में यह काम इस समय हो रहा है ;

(ग) सरकार इसे कब तक समाप्त करने की आशा करती है ; और

(घ) इस कार्य के लिये किस अभिकरण को नियुक्त किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (घ). सिद्धान्त रूप से यह निश्चय किया गया है कि राष्ट्रीय नमूना पर्यवेक्षण द्वारा उस के द्वितीय उपक्रम में मई १९५५ के आसपास भारत में राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार के विस्तार सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाये । यह सर्वेक्षण समस्त भारतीय संघ में किया जायगा और कुछ राज्य सरकारों द्वारा किये गये सर्वेक्षण द्वारा इसे अनुपूरित किया जायेगा। ।

इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय नमूना पर्यवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के परामर्श से एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के चार पांच महीने में समाप्त हो जाने की आशा है और कुछ प्रारम्भिक परिणाम इस वर्ष के अन्त तक ज्ञात हो जायेंगे।

मिशनरी अस्पताल

*१५४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विदेशी मिशनरियों द्वारा भारत में अनुसूचित-क्षेत्रों और आदिम जाति-क्षेत्रों में कितने अस्पताल चलाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : ऐसी संस्थाओं की संख्या, निम्नलिखित प्रान्तों में, जिन से कि सूचना प्राप्त हो चुकी है केवल ग्यारह हैं :—भोपाल, कच्छ, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, राजस्थान, मनीपुर,

अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह पैप्सु विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और मद्रास; बाकी प्रान्तों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर हाउस की टेबिल पर रख दी जायगी ।

निवृत्ति-वेतन-नियम

*१५६. **श्री अमजद अली :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व भारतीय चिकित्सा विभाग के आयात कमीशन-प्राप्त अफसरों के निवृत्ति-वेतन-नियम हाल ही में पुनरीक्षित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन में क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं;

(ग) क्या निवृत्ति-वेतन की दरों में भी कोई वृद्धि की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो नई दरें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ). भूतपूर्व भारतीय चिकित्सा विभाग के आयात कमीशन प्राप्त अफसरों के निवृत्ति-वेतन-नियमों के पुनरीक्षण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और वर्तमान निवृत्ति-वेतन की दरों में उदारता दिखाने के कुछ सिद्धान्त हाल ही में स्वीकार किये गये हैं । ब्यौरा अभी विचाराधीन है, और अंतिम आदेश शीघ्र ही दिये जायेंगे ।

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन बोर्ड

*१५७. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५४ के अन्तिम सप्ताह में शारीरिक शिक्षा के केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय किये गये;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में एक शारीरिक शिक्षा विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में भी कोई निर्णय किया गया; और

(घ) अभी जिन राज्यों में यह सुविधा विद्यमान है उन के नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

(घ) आंध्र, बिहार, बंगाल, बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश और त्रावनकोर-कोचीन ।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल

*१५८. **श्री माधव रेड्डी :** क्या गृह-कार्य मंत्री २३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल के स्थापना-स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कहां, और ऐसे स्कूल से मुख्य लाभ क्या होगा ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) अभी स्थान के विषय में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) यह स्कूल राज्यों के पुलिस दलों के सब-इंस्पैक्टरों को अपराध के वैज्ञानिक ढंग से पता लगाने तथा अन्वेषण करने का प्रशिक्षण देगा । इस से हस्तक्षेप्य अपराधों में अन्वेषण स्तर में सर्वतोमुखी उन्नति होने की आशा है ।

भारतीय भू-परिमाप के कर्मचारी

(चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी)

*१५९. **श्री एस० के० रजमी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय भू-परिमाप के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन की मांगें पूरी करने के लिये एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये ।

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है या करने की प्रस्थापना है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम

*१६६. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम को ऋण देना स्वीकार किया है ?

(ख) यदि हां, तो किस दर पर;

(ग) इस बारे में भारत-सरकार का दायित्व क्या होगा; और

(घ) ऋण कब तक लौटाया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) ४ ५/८ प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(ग) भारत सरकार मूलधन, ब्याज और अन्य खर्च की अदायगी के सम्बन्ध म इस ऋण की गारंटी देगी ।

(घ) ऋण की अदायगी १९६० से प्रारम्भ होगी और १९७० तक पूरी हो जायेगी ।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी

*१६७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने हिन्दी को एक विशेष पाठ्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया है; और

(ख) उन्हें क्या सुविधायें दी जाती हैं ।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जहां तक ज्ञात है, इलाहाबाद, आंध्र, बनारस, कलकत्ता, दिल्ली, मैसूर, उस्मानिया, पटना, पंजाब, राजपूताना, त्रावनकोर और विश्वभारती विश्वविद्यालयों ने हिन्दी में डिप्लोमा अथवा विशेष प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का उपबन्ध किया है ।

(ख) कुछ विश्वविद्यालयों को उन के हिन्दी विभागों के लिये अनुदान दिये गये हैं ।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन

*१६८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री पटल पर इन बातों की जानकारी का एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सभापतियों के सम्मेलन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन में से किन को सरकार निकट भविष्य में कार्यान्वित करने की प्रस्थापना करती है ?

शिक्षा तथा वैज्ञानिक संसाधन

प्राकृतिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सभापतियों के सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या १८**]

(ख) राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सहयोग से सरकार संकल्प में की गई सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहती है ।

युवक शिविर

*१७०. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में (३१ दिसम्बर, १९५५ तक) कितने युवक शिविरों का आयोजन किया गया;

(ख) कुल कितने व्यक्तियों ने उन में भाग लिया और इस के लिये कुल कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या इन उद्देश्यों के लिये ग़ैर-सरकारी संगठनों को भी कोई अनुदान दिये गये थे;

(घ) यदि हां, तो किस संगठन को; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक संगठन को कितना अनुदान दिया गया ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) ३०२ ।

(ख) ३३,५५२ युवकों ने भाग लिया है और कुल १२,४३,०२१ रुपये का अनुदान दिया गया ।

(ग) हां ।

(घ) और (ङ). भारत सेवक समाज को ३,९७,२२४ रुपये और भारत स्काउटों और गाइडों को ९,००० रुपये ।

विदेश में पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

*१८१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत के कितने पदाधिकारी विदेश में विशेष सामरिक-प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : कोई पदाधिकारी विशेष सामरिक प्रशिक्षण के लिये विदेश नहीं भेजा गया ।

अधीन विधान-कार्य

*१८२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधीन विधान-कार्य का प्रारूपण करने से सम्बन्धित मंत्रालयों को अधीन विधान कार्य सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों की सूचना दे दी गई है और भविष्य में उन सिफारिशों को लागू करने की सामयिक कार्यवाही करने का अनुदेश दे दिया गया है ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): अधीन विधान कार्य सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों की सूचना सब मंत्रालयों को दी जा चुकी है और सम्बद्ध मंत्रालय उन पर विचार कर रहे हैं ।

माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

*१८३. **श्री पुन्नूस** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों अथवा उन की किन्ही संस्थाओं की ओर से सरकार को इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में उन की सेवा शर्तों तथा वेतन स्तर इत्यादि आदि में इस बात के अनपेक्ष कि वह किस अभिकरण अथवा किस

राज्य के अन्तर्गत सवायुक्त है, एकरूपता लाई जाने की मांग की गई हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

पाकिस्तान ऋण

***१८५. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री ३० नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब तक पाकिस्तान से विभाजन ऋण का कोई भाग प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जी नहीं ।

मृत्यु-दंड का अंत किया जाना

***१८६. श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राधा रमण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मृत्यु-दंड के बारे में राज्य-सरकारों का मत मांगा है;

(ख) यदि सच है तो कितनी राज्य-सरकारों ने अपना मत भेज दिया है, और कितनी सरकारों से अभी उत्तर की प्रतीक्षा है; और

(ग) क्या सरकार प्राप्त हुए मतों के आधार पर मृत्यु-दंड का अंत करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

ऐतिहासिक अभिलेख

***१८७. श्री एम० एस० गरुपाद स्वामी :**
श्री डाभी :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त पुरातन ऐतिहासिक अभिलेख विभिन्न अभिलेखागारों से माउन्ट आबू को स्थानान्तरित किये जाने को हैं;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भारतीय इतिहास कांग्रेस के पिछले सत्र में इस विषय पर गंभीर आशंका प्रकट की गई थी क्योंकि माउन्ट आबू का जलवायु इस कार्य के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने यह निर्णय किन कारणों से किया ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की एक शाखा कार्यालय माउन्ट आबू में खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ताकि राजपूताना रेजीडेन्सी के सभी अभिलेख एक स्थान पर एकत्रित किये जा सकें ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली में स्थान की कमी तथा माउन्ट आबू में तुरन्त ही केन्द्रीय सरकार के भवन की प्राप्ति इस के मुख्य कारण हैं । जहां बड़े अभिलेखागार हैं उन की तुलना में माउन्ट आबू का जलवाय खराब नहीं है ।

गोलाबारूद डिपो, गुड़गांव

*१८८. **श्री अमजद अली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पूर्व गुड़गांव, पंजाब **गोलाबारुद** डिपो में चोरी हो गई थी ।

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की रिपोर्ट पुलिस को की गई थी;

(ग) क्या जांच समाप्त हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां । गुड़गांव, गोलाबारूद डिपो से एक ४१० बोर की बन्दूक चुराई गई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) विभागीय जांच अभी भी हो रही है ।

(घ) उपरिलिखित (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

तिथिपत्र सुधार

*१८९. **श्री एस० के० रजमी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २४ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारतवर्ष में ३० से भी अधिक तिथिपत्र (कैलेन्डर) प्रचलित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन तिथिपत्रों तथा, तिथिपत्र सुधार समिति द्वारा बनाये गये तिथिपत्र में क्या मुख्य अन्तर हैं; और

(ग) इस नये तिथिपत्र के मुख्य लाभ क्या होंगे ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रचलित तिथिपत्रों में, महीनों, तिथियों, तथा वर्ष-अवधि इत्यादि के सम्बन्ध में कोई साम्य नहीं है । इसलिये तिथिपत्र सुधार समिति ने वैज्ञानिक पद्धति पर वर्ष की ठीक अवधि पर आधारित एक नई तिथि पत्री बनाने का प्रयास किया है । क्योंकि नये तिथि पत्र में तिथियों की गणना चन्द्र-सूर्य सिद्धान्तों पर आधारित है; इसलिये गणना के परिणाम अधिक ठीक होंगे तथा आकाश के अनुलक्षणों से मेल खायेंगे ।

पौण्ड पावना

*१९०. **श्री सारंगधर दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) दिसम्बर, १९५४ के अन्त तक देश का पौण्ड पावना क्या था;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष के प्रारम्भ के आंकड़ों की तुलना में यह कम हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) ३१ दिसम्बर १९५४ को यह लगभग ७३१ करोड़ रुपये था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

*१९१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने मंत्रणादाता-समिति (पैनल) द्वारा हाल में की गई सिफारिशें मान ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां। अधिकतर स्वीकार कर ली गई थीं ।

(ख) ये सिफारिशें व्यक्तिगत संस्थाओं के सम्बन्ध में थीं। सामान्य प्रकार की कोई सिफारिशें नहीं थीं ।

वॉली-बाल को लोकप्रिय बनाना

*१९२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामों में वॉली-बाल को लोकप्रिय बनाने की संभावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) ग्रामों में वॉली-बाल को लोकप्रिय बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। देश में खेल-कूद को लोकप्रिय बनाने तथा उन में सुधार करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् स्थापित कर दी गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भारत का राज्य बैंक

*१९३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री २४ दिसम्बर, १९५४ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार राज्य बैंक को कब स्थापित करने का विचार कर रही है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : संसद् के वर्तमान सत्र में ही अपेक्षित विधान के पुरःस्थापित करने की आशा है।

१८५७ के स्वतन्त्र-संग्राम का इतिहास

*१९५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार १८५७ के स्वतंत्रता-संग्राम का नया इतिहास लिखाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि सच है, तो यह काम कब शुरू होगा; और

(ग) क्या यह इतिहास लिखने के लिये एक समिति बनाई जायेगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इतिहास लिखने का काम डा० एस० एन० सेन को सौंपा गया है। उन्होंने काम शुरू कर दिया है ।

युवक शिविर

*१९६. **श्री राम दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'युवक शिविर तथा विद्यार्थियों द्वारा सेवा' योजना के अधीन, विद्यार्थियों द्वारा किये गये कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने राज्यों ने इस प्रकार के कैम्प संगठित किये; और

(ग) इस कार्य के लिये प्रत्येक राज्य को कुल कितना अनुपात दिया गया ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) इस में भाग लेने वाले कुछ राज्यों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ।

(ख) २० ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

*१९७. **श्री इब्राहीम :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में (अलग अलग) सेना तथा वायुबल (एयर फोर्स) के कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं; और

(ख) क्या इस प्रकार के और भी केन्द्र खोलने की कोई योजना है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क)

उत्तर प्रदेश :	सेना	२०
	वायुबल	२
बिहार :	सेना	१
	वायु बल	कोई नहीं

(ख) जी नहीं ।

लड़कों का बेचा जाना

*१९८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और दूसरे स्थानों में छोटे लड़के ख़रीदे जाते हैं और उस के बाद पाकिस्तान में ले जा कर बेच दिये जाते हैं;

(ख) यदि सच है, तो कितने स्थानों पर ऐसे मामलों का पता चला है;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार के एक दल को बक्सर (बिहार) में २३ दिसम्बर, १९५४ को एक लड़के के साथ पकड़ा गया था; और

(घ) यदि सच है, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) ऐसी कोई घटना भारत सरकार के ध्यान में नहीं आई ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

उपाधि पाठ्य क्रम की अवधि

*१९९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :**
श्री आर० एस० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपकुलपति सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार, विश्वविद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम के पश्चात् तीन वर्ष की उपाधि (डिग्री) पाठ्यक्रम लागू करने की कोई प्रस्थापना सरकार के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई निश्चय कब किया जायेगा, यदि कोई निश्चय अभी नहीं किया गया है; और

(ग) इस समय, इस प्रकार का पाठ्यक्रम किन किन विश्वविद्यालयों में है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्वयं कार्यवाही करनी है । अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि इस प्रस्थापना को यथासंभव शीघ्र लागू किया जाये ।

(ग) जहां तक ज्ञात है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में है ।

दियासलाइयों का निर्माण

*२००. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री केशवैयंगार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में कितने

परिवार दियासलाई बनाने के काम में लगे हुए हैं; और

(ख) १९५४ में इस काम पर कितने रुपये व्यय किये गये ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) दियासलाई का कारखाना अभी चालू नहीं हुआ है ।

(ख) कुछ नहीं ।

वॉली-बाल

*२०१. **श्री वी० पी० नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में वॉली-बाल के खेल की उन्नति के लिये आर्थिक या किसी अन्य प्रकार की कोई सहायता दी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): इस प्रकार की सहायता के लिये कोई प्रार्थना-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

तिथिपत्र सुधार समिति

*२०२. **श्री डी० सी० शर्मा :**
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिथिपत्र (कलेण्डर) सुधार समिति के प्रतिवेदन की जांच की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकाले गये ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). तिथिपत्र (कलेण्डर) सुधार समिति के प्रतिवेदन पर, जिस में प्रयोगात्मक तिथिपत्र (कलेण्डर) तथा उस की सिफारिशें सम्मिलित हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के शासकीय निकाय द्वारा उस की सितम्बर, १९५४ की बैठक में विचार किया गया था । शासकीय निकाय ने यह निश्चय किया है कि यह प्रतिवेदन को मुद्रित कराया जाये और राय जानने के लिये उसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों तथा निकायों को परिचालित किया जाये यह प्रतिवेदन मुद्रित किया जा रहा है ।

लेख्य-प्रमाणक अधिनियम

*२०३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या गृह-कार्य मंत्री १६ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८० के उत्तर का निर्देश कर के बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेख्य-प्रमाणक अधिनियम, १९५२ की धारा १५ के अन्तर्गत नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह अधिनियम कब से लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री जी० बी० पन्त) : (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) जो प्रारूप नियम इस सम्बन्ध में तैयार किये गये थे वह राज्य सरकारों को परिचालित किये गये थे और उन से उच्च न्यायालयों तथा सभी सम्बन्धित संगठनों की टिप्पणियां प्राप्त करने की प्रार्थना की गई थी । मैसूर के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं और नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

भूमि बंधक बैंक

४०. श्री मुरारका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों की संख्या कितनी है जिन्होंने एक प्रत्याभूति निधि स्थापित की है;

(ख) इस प्रकार के बैंक किन राज्यों में स्थापित किये गये हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्य सरकारों से भी इस प्रकार की सिफारिश की है कि वह अपने राज्यों के बैंकों में इस प्रकार की निधियां कायम करना आरम्भ करें ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). यह विषय राज्य-क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है और भारत सरकार के पास इस की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों द्वारा प्रत्याभूति निधियों का स्थापित किया जाना, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की संचालन समिति की सिफ़ारिशों में से एक है, जो भारत के रिज़र्व बैंक के परामर्श से सक्रिय रूप से विचाराधीन है । जब कोई निर्णय किया जायेगा तो राज्य सरकारों को यथासमय सूचित कर दिया जायेगा ।

गणतंत्र दिवस

४१. मुल्ला अब्दुल्लाभाई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २६ जनवरी, १९५५ को मनाय गय गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकनृत्य इत्यादि में भाग लेने के लिये विभिन्न राज्यों से आमंत्रित की गई आदिम जातियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस देश के विभिन्न आदिम जातीय दलों में से सर्वोत्तम दलों को छांटने के लिये कौन सा ढंग अपनाया गया था ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). दिल्ली में होने वाले लोकनृत्य इत्यादि में भाग लेने के लिये भारत सरकार राज्यों की किसी आदिम जाति या दल विशेष को आमंत्रित नहीं करती है । इस वर्ष के समारोह के लिये, गत वर्षों की तरह, सभी राज्य सरकारों से झांकियों तथा लोकनृत्यों के विषयों के सम्बन्ध में सुझाव देने की प्रार्थना की गई थी । जो सुझाव प्राप्त हुए उन पर झांकी तथा लोकनृत्य उपसमिति द्वारा विचार किया गया था । विषयों का अन्तिम चुनाव दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की समवायः समिति की एक बैठक में किया गया था जिस में सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । इस वर्ष के समारोह में लोकनृत्य में भाग लेने वाली आदिम जातियों या दलों के नाम सभा पटल पर रखे गये एक विवरण में दिये गये हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]

ऐतिहासिक भवन तथा स्मारक

४२. मुल्ला अब्दुल्लाभाई : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के राष्ट्रीय महत्व वाले ऐतिहासिक भवनों तथा रक्षित स्मारकों के संधारण तथा देख-रेख के लिये रखे गये कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है तथा उन की नौकरी की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : ३२ स्थायी, ४३ अस्थायी तथा २१५ काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी । सेवा निबन्धनों तथा शर्तों के लिये १८ फरवरी, १९५४ को श्री बी० सी० दास द्वारा पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर में

सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

कराधान जांच आयोग

४३. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कराधान जांच आयोग का प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं आशा करता हूं कि आगामी कुछ दिनों में प्रकाशित हो जायेगा ।

पश्चिमी बंगाल की नाटक संस्थायें

४४. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में पश्चिमी बंगाल की किसी नाटक या संगीत संस्था को कोई अनुदान दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं तथा उन को दी गई राशियां कितनी हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). चिल्ड्रेंस लिटिल थियेटर, कलकत्ता को ५,००० रुपये का अनुदान दिया गया था ।

भूतपूर्व सैनिक

४५. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की, विशेषत: बिकानेर डिवीज़न की पुरानी देसी रियासतों की सेनाओं के उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी सैनाओं को १ अप्रैल, १९४९ से ले कर ३१ मार्च, १९५४ तक सिंचाई वाले तथा बिना सिंचाई वाले दोनों प्रकार के क्षेत्रों में भूमि (बीघों में) दी गई है;

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के निमित्त राज्यों को अनुदान देने के लिये पृथक् रक्षित की गई राशि में से राजस्थान को दी गई राशि कितनी है; और

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा यह राशि किस प्रकार खर्च की गई है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ग). इस की जानकारी राजस्थान सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) १,३८,५०० रुपये ।

कोयले के निक्षेप (मिर्ज़ापुर)

४६. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १३ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ज़िला मिर्ज़ापुर (उत्तर प्रदेश) के सिंगरौली-कोटा क्षेत्र में कोयला निक्षेपों से कोयला निकालने का वास्तविक कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : खनिज पदार्थों के निकालने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि तत्सम्बन्धी कोयला निक्षेपों से कोयला निकालने का वास्तविक कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है और यह मामला अभी विचाराधीन है ।

विदेशी विनियोजन

४७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस से प्रकट हो कि :

(क) भारत के चाय उद्योग में लगी हुई विदेशी पूंजी कुल कितनी है; और

(ख) १९५२, १९५३ तथा १९५४ में इस के कारण भारत के बाहर भेजी गई लाभ की राशि कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) रिज़र्व बैंक द्वारा १९५० में प्रकाशित भारत की विदेशी आस्तियों तथा दायित्वों की गणना के अनुसार, ३० जून, १९४८ को चाय उद्योग में कुल विदेशी विनियोजन ५१·६ करोड़ रुपये था। इस के बाद के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। इस समय रिज़र्व बैंक द्वारा देश के विदेशी विनियोजन का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिस के पूरा हो जाने पर यह पता चलेगा कि ३१ दिसम्बर, १९५३ को स्थिति क्या थी।

(ख) चाय उद्योग के समवायों द्वारा, १९५२, १९५३ तथा जनवरी से लेकर नवम्बर १९५४ तक के ग्यारह मासों में क्रमशः १·१५ करोड़, २·२९ करोड़ तथा ४·३४ करोड़ रुपये की राशियां लाभ के रूप में भेजी गईं। इन में विदेशी समवायों की शाखाओं तथा सहायक संस्थाओं द्वारा भेजे गये लाभों तथा लाभांशों के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

युद्ध-सामग्री कारखाने

४८. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ के अन्त में युद्ध-सामग्री कारखानों की अप्रयुक्त रही कुल क्षमता की प्रतिशतता क्या थी और अब कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): बेकार पड़ी रहने वाली क्षमता की प्रतिशतता के रूप में बताना कठिन है। फिर भी, बेकार रहन वाली क्षमता का लगभग अनुमान प्रस्तुत करने के विचार से आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कराधान जांच आयोग

४९. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कराधान जांच समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार को उस के परीक्षण में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) और (ख). अधिक अच्छा हो यदि माननीय सदस्य २८ फरवरी, १९५५ को मेरे आयव्ययक भाषण की प्रतीक्षा करें।

पश्चिमी कमान के मुख्यालय का स्थानान्तरण

५०. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी कमान के मुख्यालय को शिमला ले जाने में कितना व्यय होगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): पश्चिमी कमान को शिमला ले जाने में लगभग ४७ लाख रुपये का खर्च होगा जब कि स्थायी आधार पर उसे दिल्ली कैन्टोनमेन्ट में रखने का संभावित व्यय लगभग १७९ लाख रुपये होगा।

वरमिक्यूलाइट

५१. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत में कुछ राज्यों में वरमिक्यूलाइट पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों में;

(ग) क्या किसी संस्था ने पाये गये वरमिक्यूलाइट का परीक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो विदेशी सामान की तुलना में वह कैसा है;

(ङ) हमारे देश में वरमिक्यूलाइट किन कार्यों के लिये सुरक्षित रूप में काम में लाया जा सकता है; और

(च) परतें अलग किया हुआ वरमिक्यूलाइट भी किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (च). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]**

आदिम जातीय लोग

५२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरतत्वीय विभाग ने भारत के आदिम जातीय लोगों के मूलवंशीय तत्वों का कहां तक विवेचन किया है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि मंगोली जाति-कुलों के अतिरिक्त भारत की अधिकांश आदिम जातियों की दैहिक (सोमारिक) विशेषताओं में कोई विशेष अन्तर नहीं है; और

(ग) वंशानुगत भिन्नता के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों के अध्ययन के साथ साथ नरतत्वीय विभाग अनुसन्धान के अधीन आदिम जाति के समुदायों के शारीरिक गठन और वंशीय संरचना का भी परीक्षण करता रहा है ।

(ख) भारत के आदिम जातीय लोगों को विशेष दैहिक (सोमारिक) विभेदों के कारण मुख्यतया चार समुदायों में विभाजित किया जा सकता है;

(१) अंदमान द्वीपों के नेग्रिटो लोग,

(२) मंगोली जाति-कुल,

(३) मध्य तथा दक्षिण भारत के आदिम जातियों के लोग; और

(४) नीलगिरि की इन्डिड आदिम जातियां (टोडा–कोटा–बडगा समुदाय)

इन में से अधिकतर समुदायों में स्पष्ट शारीरिक भेदों के कारण (यद्यपि वे उतने अधिक नहीं हैं जितने कि चार प्रमुख समुदायों में हैं) उपविभाग किये जा सकते हैं ।

(ग) नवोद्भव, चुनाव और वंशीय बहाव ।

पुस्तकों की जब्ती

५३. **श्री चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ के वर्ष में दिल्ली में सरकार ने किन पुस्तकों और पत्रों को जब्त किया;

(ख) प्रत्येक मामले में लेखक मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) क्या ग़लत ज़ब्ती के मामले में कोई प्रतिकर दिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) कोई पुस्तकें अथवा पत्र जब्त नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

विदेशी धर्मप्रचारक

५४. **श्री नंदलाल शर्मा** :
श्री जेठालाला जोशो :
श्री केशवैयंगार :
श्री राधा रमण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः १९५२, १९५३ और १९५४ में भारत में कार्य कर रहे विदेशी

धर्म प्रचारकों की संख्या तथा जिन जिन राज्यों में वे कार्य कर रहे हैं उनके अलग अलग आंकड़े, और वे किन किन देशों से आये थे ;

(ख) इन में से प्रत्येक वर्ष में विभिन्न राज्यों में विदेशी धर्मप्रचारकों द्वारा चलाई गई शिक्षा चिकित्सा सम्बन्धी अथवा अन्य संस्थाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार ने ऐसी संस्थाओं को सहायता के रूप में कितना वार्षिक अंशदान दिया ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री जी० बी० पन्त) : (क) १९५२ और १९५३ के वर्षों की जानकारी देने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]। वर्ष १९५४ की यह जानकारी केवल वर्ष के मध्य तक किसी समय उपलब्ध होगी।

(ख) इस विषय पर जो भी जानकारी उपलब्ध है वह नैशनल क्रिश्चियन कौन्सिल नागपुर द्वारा प्रकाशित "डायरेक्टरी ऑफ चर्चेज एन्ड मिशन्स", १९५१ नामक प्रकाशन में तथा दिल्ली और शिमला के आर्चबिशप, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित "दी कैथोलिक डायरेक्टरी फॉर इन्डिया, १९५४" में दी हुई है और उनकी प्रतियां बाजार में उपलब्ध हैं।

(ग) श्री इब्राहीम द्वारा २४ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६७६ के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सहकारी समितियों को सहायता

५६. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में रक्षित बैंक ने प्रत्येक राज्य की सहकारी समितियों को कितनी धनराशि दी है;

(ख) गांवों में किसानों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए धनराशि में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाहियां की गयी हैं;

(ग) समितियां किसानों से न्यूनतम और अधिकतम व्याज के दर क्या लेती हैं; और

(घ) मूल सहकारी समितियों को रक्षित बैंक से ऋण दिलाने में प्रक्रिया विषय कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाहियां करने का विचार कर रही है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) रक्षित बैंक को केवल राजकीय सहकारी बैंकों को ही ऋण देने का अधिकार है। वर्ष १९५३-५४ के ऐसे अग्रिम देयों का विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट-२, अनुबन्ध संख्या २३]

(ख) मंजूर किये जाने वाले ऋणों की धनराशि पर कोई निर्बन्धन नहीं रखा गया है। विधि के अधीन उपयुक्त जमानत तक अग्रिम देय दिया जाता है। राजकीय सहकारी बैंकों द्वारा दी गयी उपयुक्त जमानत और विभिन्न राज्यों में आवश्यक सहकारी संगठन बनाये जाने पर प्राप्त की जाने वाली धनराशियों में वृद्धि की जा सकती है।

(ग) वे एकरूप नहीं हैं। वे प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं और एक ही राज्य में, परिस्थिति के अनुसार विभिन्न दरें ली जाती हैं। रक्षित बैंक ने राजकीय सहकारी बैंकों से सिफ़ारिश की है कि दर ६ १/४ प्रतिश से अधिक नहीं होनी चाहिये

(घ) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का आशय प्रक्रिया विषयक किन कठिनाइयों से है। राजकीय सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम धन प्राप्त करने में बाधक होने

वाली प्रक्रिया विषयक कोई कठिनाइयां हमारी जानकारी में नहीं हैं ।

भारतीय औद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

५७. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक संस्था, खड़गपुर के लिए मंजूर किये गये प्रयोगशाला-सहायकों के पद प्रवीण अथवा अप्रवीण पद हैं;

(ख) ऐसे पदों के लिए किस प्रकार का कार्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) उन का वेतन-क्रम क्या है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ग). प्रयोगशाला-सहायकों के पद प्रवीण और अप्रवीण दोनों श्रेणियों के लिए मंजूर किये गये हैं। प्रयोगशाला-सहायक (प्रवीण) के लिए निर्धारित वेतन-क्रम ३५–१–५० रु० और प्रयोगशाला-सहायक (अप्रवीण) के लिए ३०–१/२–५० रु० है प्रयोगशाला सहायक का कार्य प्रयोगशाला को साफ़ रखना और प्रयोगशाला उपकरणों तथा सामान को साफ करना है । पूर्व अनुभव हीन व्यक्ति को अप्रवीण श्रेणी में भर्ती किया जाता है और प्रयोगात्मक कार्य के लिए उपकरण लगाने में सहायता करने के लिए आवश्यक प्रवीणता प्राप्त करने के बाद ही उस की प्रवीण श्रेणी में पदोन्नति की जाती है । यह संभव है कि इस संस्था में आने के पहले सहायक ने किसी अन्य प्रयोगशाला में ऐसी प्रवीणता प्राप्त की हो ।

प्रयोगशाला सहायकों, कर्मशाला और भांडार घरों में प्रयोगशाला-सहायकों, सफाई करने वालों और चपरासियों के पदों को "परिचारक" की एक ही पदाली (प्रयोगशाला परिचारक वर्कशॉप परिचारक भांडार-घर परिचारक) में रखने की प्रस्थापना अभी विचाराधीन है । यह प्रस्थापना की जाती है कि २५ प्रतिशत पद ३५–१–५० रु० की पदाली में और बाकी ३०–१/२–३५ रु० की पदाली में रखे जायें ।

सम्पदा शुल्क

५८. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य में आज तक कितनी धनराशि एकत्र की गयी है; और

(ख) सम्पदा शुल्क अधिनियम के लागू होने के समय से अब तक कितने मामलों का निर्णय किया गया है और कितने मामले अभी निलम्बित हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जनवरी, १९५५ के अन्त तक एकत्र की गयी कुल धनराशि ४३,०१,००८ रुपये है । प्रत्येक राज्य के आंकड़े दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ख) सम्पदा शुल्क अधिनियम के लागू होने से कुल ११८६ मामलों का निर्णय किया गया है और जनवरी १९५५ के अन्त तक निलम्बित मामलों की संख्या १६७४ है ।

गुरूवार, २४ फरवरी १९५५

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

	स्तम्भ
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	२७—६७
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	
डा० एम० एम० दास	६७—७२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	७३—७६
श्रीमती जयश्री	७६—७८
श्री वी० जी० देशपांडे	७८—८५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	८५—८९
श्री एन० एम० लिंगम	८९—९२
श्रीमती इला पाल चौधरी	९२-९३
श्री नन्द लाल शर्मा	९३—१०२
कुमारी एनी मस्करीन	१०२—१०४
श्री एस० एन० दास	१०४—११७
श्री एस० एम० मोरे	११७—१२२

अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	१२३-२४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित	१२५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१२५
सभापति तालिका	१२५
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	१२५—२३०

अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२	२३१-३२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३	२३२
प्राक्कलन समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३२
भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण	२३३—३५
सभा का कार्य—	
समय क्रम का नियतन	२३५—३९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	२३९—३२२

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

	स्तम्भ
औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित—	४८०—५०६
विचार करने का प्रस्ताव—	
राजकुमारी अमृत कौर	४८०—८४, ४९२—९६
श्री गिडवानी . .	४८४–८५
श्री वी० बी० गांधी	४८५–८६
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	४८७–८८
श्रीमती इला पाल चौधरी	४८८—९०
डा० रामा राव	४९०–९१
श्री धुलेकर	४९१—९२
खण्ड १ से १७—	४९६–५०४
पारित करने का प्रस्ताव	५०४–५०६
श्री कासलीवाल	५०४–०५
सरदार ए० एस० सहगल	५०५–०६
दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५०६—०८
विचार करने का प्रस्ताव—	५०६–०७
राजकुमारी अमृत कौर . . .	५०६–०७
खण्ड १ से १७	५०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०८
चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	५०८–१०
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त .	५११—१५
१९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित .	५१५—६४
वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . .	५६५–६६

अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . .	५६७–६८
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत .	५६८—९१
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	५९१—६४
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . .	६४३—४५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	६४६—६०
श्री करमरकर . . .	६४६—६६०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	६६०

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त ८८४–८७

	स्तम्भ
श्री हेम राज . . .	८८७–९०
डा० सत्यवादी . . .	८९०–९२
श्री खंडूभाई देसाई . . .	८९२–९४
श्री डी० सी० शर्मा	८९४–९६
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव—	
स्थगित—	८९६
श्रीमती जयश्री . .	८९६–९८,८९९–९००
श्री पाटस्कर	९००–९०६
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—	
(नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त—	९०६
श्री नम्बियार .	९०६–१४
श्री वेंकटारमन	९१४–१८
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . .	९१८–२०
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे—	९२०–२२

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . .	९२३–२५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	९२५–९३
श्री एन० सी० चटर्जी	९२५–२८
श्री पाटस्कर	९२८–३३
श्री एस० एस० मोरे	९३३–३७
श्री वी० बी० गांधी .	९३७–३९
श्री ए० एम० थामस	९३९–४१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	९४१–४५
श्री एन० एम० लिंगम	९४५–४७
श्री वी० पी० नायर	९४७–५५
श्री तुलसीदास	९५५–५८
श्री झुनझुनवाला .	९५८–६०
श्री बंभल	९६०–६३
श्री हेडा	९६३–६८
श्री आर० के० चौधरी	९६८–७०
श्री अच्युतन	९७०–७२
श्री बोगावत	९७२–७३
श्री करमरकर	९७४–९३

	स्तम्भ
खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . .	९९३–९४, ९९५–९७
श्री करमरकर . . .	९९४, ९९६–९९७
श्री वी० पी० नायर . . .	९९४–९५
श्री सारंगधर दास . . .	९९५–९६
अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . .	९९८–१०११
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . .	९९८–१०१६
श्री करमरकर . .	९९८, ९९–१००२
श्री वेंकटरामन . . .	९९८–९९
पंडित डी० एन० तिवारी . .	१००२–१००८
श्री एस० सी० सामन्त . . .	१००८–०९
श्री राघवाचारी	१००९–१०११
श्री काज़मी	१०१३–१०१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१०१४–१०१५
श्री अलगेशन	१०१५
सभा का कार्य	१०१२, १०१३, १०१४
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . .	१०१६–१०२४
श्री अलगेशन	१०१६–१०१८
श्री नम्बियार	१०१८–१०२४
अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०२५–२६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
रेलवे —उपस्थापित . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
आंध्र—उपस्थापित . .	१०२६
१९५५-५६ के लिये आंध्र का आय—	
व्ययक—उपस्थापित . . .	१०२७–२८
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—	
माग संख्या १—रेलवे बोर्ड	१०२७–११३६

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

	स्तम्भ
मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय	
मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश	
विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . .	१२५७–५८
१९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . .	१२५८–७२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१२७३–७४
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित	१२८६–९४
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० केसकर .	१२७४–७६
श्री एच० एन० मुकर्जी .	१२७७–८०
श्री एन० सी० चटर्जी	१२८०–८१
श्री वेंकटरामन् .	१२८१–८२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१२८२–८४
श्रीमती खोंगमेन	१२८४
श्री डी० सी० शर्मा	१२८४–८६
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव—	१२९४
डा० केसकर . . .	१२९४
अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५	
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१२९५
सभा का कार्य—	
आन्ध्र का आय-व्ययक	१२९६–९८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र	१२९८–१३३८
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . .	१३३७–३९
आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३३९–४०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे	१३४०–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३४३–४६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त—	
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३४३–४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	१३४६–४७

	स्तम्भ
प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१३४७–५६
डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया	१३५६–८५
श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त .	१३८५–९४

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण .	१३९५
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	१३९५–९६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया.	१३९७–१४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१३९५–१४०५
श्री राघवाचारी	१४०६–०७
श्री सिंहासन सिंह	१४०७–०८
श्री आर० के० चौधरी	१४०८
श्री बर्मन	१४०८–०९
श्री मूलचन्द दूबे	१४०९–१०
श्री एस० सी० सामन्त	१४१०
सरदार हुक्म सिंह	१४१०–११
श्री बी० एन० मिश्र	१४११–१२
श्री एम० डी० जोशी . . .	१४१२
श्री अलगेशन	१४१२–२०

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

श्री ए० सी० गुहा . . .	१४२१–२५
श्री बंसल	१४२५–२९
श्री डाभी	१४३०–३१
श्री एस० सी० सामन्त . .	१४३१–३२
श्री धुलेकर . . .	१४३२–३३
पडित ठाकुर दास भार्गव . .	१४३३–३९
डा० रामा राव	१४३९–४०
श्री एन० राचय्या . . .	१४४०–४१
श्री सिंहसन सिंह . .	१४४१–४२

	स्तम्भ
श्री नंद लाल शर्मा	१४४२–४६
श्री सी० आर० अय्युण्णि	१४४६–४८
श्री एन० एम० लिंगम	१४४८–५२
खण्ड १ से २१ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव— . .	१४६०–६६
श्री ए० सी० गुहा	१४६६–६७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त नहीं हुआ— . .	१४६७–७२
विचार करने का प्रस्ताव—	१४७४–८०
श्री ए० सी० गुहा	१४६७–७२
श्री सी० सी० शाह	१४७४–७८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१४७८–८०
प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य	१४७३–७४

लोक-सभा

गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्यान्ह

पटल पर रखे गये पत्र

परिसीमन आयोग अंतिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन, इन आदेशों में से प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या २०, भारत का गज़ट असाधारण, भाग २, विभाग ३, दिनांक १४ जनवरी, १९५५ में प्रकाशित ; **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एस० ३०/५५]**

(२) परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या २१, भारत का गज़ट असाधारण, भाग २, विभाग ३, दिनांक २२ जनवरी, १९५५ ; और **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए एस० ३१/५५]**

(३) परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या २२, भारत का गज़ट असाधारण, भाग २, विभाग ३, दिनांक ३ फरवरी, १९५५। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एस० ३२/५५]**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा परीक्षित लेखे १९५२-५३

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अधीन इन पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वित्तीय वर्ष १९५२-५३ सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन ; और

(२) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के १९५२-५३ वर्ष के परीक्षित लेखे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एस० ३३/५५]**

प्राक्कलन समिति

बारहवां प्रतिवेदन

श्री बी० जी० मेहता (गोहिलवाड़) : मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय—आल इण्डिया रेडियो, आकाशवाणी—के बारे में एस्टीमेट (अन्दाज़) समिति का बारहवां अहवाल पेश करता हूं।

भारत का औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम, लिमिटेड

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): सभा को स्मरण होगा कि २४ फरवरी, १९५४ को मैं ने अपनी आर्थिक व्यवस्था के ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक विकास की प्रगति के लिये स्थापित किये जाने वाले निगम के बारे में एक व्यक्तव्य दिया था। गत वर्ष के अन्त तक जो चर्चा और वार्ता चलती रही उसके परिणामस्वरूप भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम की स्थापना की गयी।

यह ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों का और उन्हीं के द्वारा प्रबन्ध किया जाने वाला एक लिमिटेड उत्तरदायी समवाय है जिसे गत मास में भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है और उसका मुख्यालय बम्बई में रखा गया था।

इसके पास २५ करोड़ रुपये की अधिकृत अंश पूंजी और पांच करोड़ रुपये की चन्दे की पूंजी है। चन्दे की पूंजी में से ३½ करोड़ रुपये भारत से, १ करोड़ रुपया इंगलैंड और ५० लाख रुपये संयुक्त राज्य अमेरिका से इकट्ठे किये गये हैं।

भारत सरकार इस निगम को ७½ करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में देगी। इसकी स्वीकृति संसद् ने १ सितम्बर को दी है। इस अग्रिम धन पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा और १५ वर्षों के बाद १५ क़िश्तों में इसकी अदायगी ली जायेगी। इस अग्रिम के लिये भारत-अमरीकी शिल्पिक सहकारी क़रार के अधीन संयुक्त राज्य के वैदेशिक कार्य प्रशासन द्वारा भेजे गये इस्पात के विक्रय से जो धन प्राप्त होगा उसे व्यय किया जायेगा।

पुनर्निर्माण तथा विकास अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने इस निगम को विदेशी मुद्रा में १ करोड़ डालर के बराबर ऋण दिया है। इस ऋण की ज़िम्मेदार सरकार होगी क्योंकि उक्त बैंक का यही नियम है। उधार तथा प्रत्याभूति क़रार पर हस्ताक्षर होने के बाद अगले महीने में उन्हें सभा-पटल पर रखा जायेगा।

इस निगम का प्रबन्ध ११ निदेशकों के एक बोर्ड के हाथ में है। इनमें से ७ निदेशक भारतीय अंशधारियों के प्रतिनिधि, दो ब्रिटिश और एक अमरीकी अंशधारियों के प्रतिनिधि हैं और ग्यारहवें निदेशक को सरकार ने नियोजित किया है।

इस निगम का उद्देश्य भारतीय उद्योग के ग़ैरसरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को ऋण देकर उनके अंशों को ख़रीद कर, उनके अंशों के बिकने में सहायता देकर या अंशों की ज़िम्मेदारी लेकर सहायता करना है। यह भारतीय उद्योगों को प्रबन्ध सम्बन्धी, शिल्पिक और प्रशासन सम्बन्धी परामर्श देकर भी उनकी सहायता करेगा।

सरकार ने इस निगम के साथ एक क़रार किया है जिसकी एक प्रति मैं सभा-पटल पर रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५**]। ७½ करोड़ रुपये के देने और उसके भुगतान सम्बन्धी उपबन्धों के अतिरिक्त क़रार के मुख्य उपबन्ध निम्न हैं:—

(१) यदि निगम अपने भुगतान के कर्त्तव्यों को पूरा नहीं करेगा या उसकी पूंजी एक निश्चित सीमा से कम हो जायेगी तो सरकार को उसे भंग कर देने का अधिकार होगा।

(२) जब तक सरकार के उधार का कुछ भी भाग शेष रहेगा तब तक सरकार को उस निगम के लिये निदेशक नियुक्त करने का अधिकार रहेगा।

(३) निगम इस बात की कोशिश करेगा कि किसी विशेष वर्ग या समवाय का निगम पर नियंत्रण न होने पाये क्योंकि निगम का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास करना है न कि व्यक्तिगत लाभ।

निगम की विवरणिका और सन्था के ज्ञापन और अन्तर्नियमों की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, जो माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें वे इसे देख सकते हैं।

सभा का कार्य

समय क्रम का नियतन

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक २२ और २३ फरवरी, १९५५ को हुई और उसने सरकार के वैधानिक तथा अन्य निम्न कार्यों के सम्बन्ध में समय नियतन पर अपनी सहमति दी है :

	नियत समय
१. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	१२ घंटे (२३-२-५५ को लिये गये समय को मिलाकर)
२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक (संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव)	६ घण्टे (२२-२-५५ को लिये गये समय को मिलाकर)
३. औषधि (संशोधन) विधेयक	$1^{1}/_{2}$ घण्टे
४. दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक।	$1^{1}/_{2}$ घण्टे
५. आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक।	५ घण्टे
६. अत्यावश्यक वस्तु विधेयक	१ घण्टा
७. रेलवे भांडार (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक।	२ घण्टे
८. अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक।	८ घण्टे
९. संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक (संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव)	१० घण्टे
१०. मूंगफली, चाय, मूंगफली के तेल की खल, मूंगफली के खल का चूरा और बिनौले के खल का चूरा, आदि पर निर्यात शुल्क लगाने या बढ़ाने सम्बन्धी चार अधिसूचनाओं के बारे में संकल्प।	२ घण्टे

समिति ने सभा के कार्य की अधिकता को देखते हुये सुझाव रखा है कि मार्च और अप्रैल, १९५५ में सभा की बैठक एक शनिवार छोड़ कर दूसरे शनिवार को हुआ करे और यदि आवश्यकता हो तो सत्र की अवधि एक सप्ताह के लिये बढ़ा दी जाये।

अब मैं संसद् कार्य मंत्री से इस प्रतिवेदन की सभा द्वारा स्वीकृति के लिये एक औपचारिक प्रस्ताव रखने की प्रार्थना करूंगा।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सरकारी विधान तथा अन्य कार्य के बारे में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियत किये गये समय से, जिसकी घोषणा अध्यक्ष ने आज की है, सहमत है।" आप की अनुमति से, मैं कल के कार्यक्रम में एक सूक्ष्म परि-

[श्री सत्यनारायण सिंह]

वर्तन की बात बताना चाहता हूं । वाद-विवाद में कुछ अधिक सदस्यों को भाग लेने का अवसर देने के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि चर्चा के लिये नियत समय १२ घण्टे के स्थान पर १२½ घण्टे कर दिया जाय ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर दो घण्टे अधिक दिये जा चुके हैं । यदि उसे स्वीकार कर लिया गया तो मैं सुझाव रखता हूं कि यदि प्रधान मंत्री का उत्तर कल ४ बजे शाम को प्रारम्भ हो तो वाद-विवाद १½ बजे समाप्त हो । इस प्रकार गैरसरकारी सदस्यों का कार्य १½ बजे से ४ बजे शाम तक किया जा सकेगा ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : गत सत्र के अन्तिम दिन हम लोगों ने अनुसूचित जातियों के आयुक्त के १९५३ के प्रतिवेदन पर चर्चा की थी, पर वह अधूरी ही रह गयी थी । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उस पर इस सत्र के प्रारम्भ के दिनों में चर्चा की जायेगी । क्या हम लोग उस अधूरी चर्चा को इस सत्र में पूरा नहीं करेंगे ?

श्री सत्यनारायण सिंह : वित्तीय कार्य के समाप्त होते ही इस कार्य को अवश्य लिया जायगा । हमने वचन दिया हुआ है । माननीय सदस्य अधीर न हों ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मेरा निवेदन है कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट बहुत इम्पार्टेंट है और उसको भी ज्यादा समय मिलना चाहिये । इसके अलावा अनटचेबिलिटी बिल के लिये जो आठ घंटे का टाईम रक्खा गया है वह बहुत कम है और बिज़नेस ऐडवाइज़री कमेटी को कृपा करके इसकी अहमियत को समझते हुये सके लि और टाईम देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ सोच समझ कर बिज़नेस ऐडवाज़री कमेटी ने जो तय किया है वह प्रो ाम आपके सामने रख दिया है, अब उसको मानना या न मानना आपका काम है ।

श्री पी० एन० राजभोज : मेरी प्रार्थना है कि न के लिये और ज्यादा समय मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आय व्ययक सत्र में वित्तीय कार्य मुख्य कार्य होता है और यदि समय शेष रहेगा तो अन्य कार्यों को निश्चित प्राथमिकता के अनुसार लिया जायेगा । यदि सभा की बैठक जल्दी समाप्त कर दी जायेगी तो सभी कार्य पूरे नहीं किये जा सकेंगे । मैं समझता हूं कि यदि एक शनिवार छोड़ कर दूसरे शनिवार को बैठक कर ली जाया करे तो ठीक रहेगा ।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : मैं सुझाव रखता हूं कि यदि आवश्यक हो तो सत्र की अवधि बढ़ाने की अपेक्षा हम नित्य देर तक बैठा करें ।

श्री सत्यनारायण सिंह : वह देर तक बैठने का सुझाव रख रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय: देर तक बैठने की बात मैं सम्भव नहीं समझता । मैं संशोधित प्रस्ताव सभा के सामने मतदान के लिये पेश करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, सरकारी विधान तथा अन्य कार्य के बारे में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियत किये गये समय से, जिसकी

घोषणा अध्यक्ष ने आज की है, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अतः यही तय हुआ कि समय के क्रम का नियतन इस प्रकार रहा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय: अब सभा २३ फरवरी, १९५५ को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी।

सभा को विदित है कि कार्य मंत्रणा समिति ने धन्यवाद प्रस्ताव के लिये समय १२ घण्टे के बजाय १२½ घण्टे कर दिया है। इसमें से ४ घण्टे ५७ मिनट कल लिये जा चुके हैं, अब ७ घण्टे ३३ मिनट शेष हैं। अतः यह चर्चा आज सारे दिन और कल लगभग २½ घण्टे चलेगी।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना): कल जैसा मैं ने बताया था कि हमारे प्रधान मंत्री की विदेश नीति के कारण भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ यह मैं ने शिकायत की थी कि हमारे प्रधान मंत्री जी भारत से सम्बद्ध जो विषय हैं उनके बारे में जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिये उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जब हमारे भारत के प्रधान मंत्री कामनवेल्थ कान्फ्रेंस के लिये जा रहे थे, तो एक पत्र प्रतिनिधि ने उनसे पूछा था कि क्या इस परिस्थिति में आप गोआ के प्रश्न पर विचार करेंगे तब हमारे प्रधान मंत्री ने बड़े गुस्से में आकर पूछा कि गोआ के प्रश्न की चर्चा क्या मैं साउथ अफ्रीका से करूं, आस्ट्रेलिया से चर्चा करूं या कैनेडा से उसकी चर्चा करूं? लेकिन मुझे उनसे एक प्रश्न पूछना है कि यदि गोआ के प्रश्न का सम्बन्ध साउथ अफ्रीका, कैनेडा और आस्ट्रेलिया से नहीं है तो क्या फारमोसा का सम्बन्ध आस्ट्रेलिया, कैनेडा और अफ्रीका से आता है। जिस इंगलैंड ने गोआ के प्रश्न के बारे में आपको एक पत्र लिखा था और आपको यह कहा था कि आप गोआ के विषय में कुछ न कीजिये और जिनके डर के मारे आपने सत्याग्रहियों को गोआ में जाने से रोका

(**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये)

था, उस प्रश्न को चर्चा आप इस कामनवेल्थ कान्फ्रेंस में न कर सके। इस प्रकार से हमने यह देखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो करना नहीं चाहिये उसे आप ज़रूर करते हैं और जो आपको करना चाहिये उसके नज़दीक भी आप जाते नहीं और इसके फलस्वरूप भारतवर्ष की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और भी खराब हो गयी है। बाहर की बात छोड़ने के पश्चात् जब हम भारतवर्ष में आते हैं और जिसकी कि बड़ी स्तुति हमारे मित्रों ने की कि भारतवर्ष में एक नये वायुमंडल का निर्माण हुआ है, भारत वर्ष के लोगों के हृदय में आशा की एक नई लहर पैदा हुई है। हमारे मित्रों ने यह भी बताया कि हरे भरे खेत देख कर और नदियों के पानी के कारण जो फसल बढ़ी है उसके लिये भी यहां पर बड़ी खुशी उन्होंने प्रकट की है। मुझे तो यह पता नहीं है कि इस प्रकार की हरी भरी खेती हुई है। मैं तो जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं तो पाता हूं कि गुना ज़िले में क़रीब आठ लाख एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है जो कल्टीवेबुल है परन्तु अनकल्टीवेटेड पड़ी है। भूदान के नाम पर उसमें से क़रीब डेढ़ लाख एकड़ ज़मीन छोड़ी गयी है, अखबारों में छाप दिया जाता है कि अछूतों में ज़मीन बांटी गयी लेकिन वाक़या यह है कि एक भी अछूत उस ज़मीन पर नहीं बसाया गया और जहां तक पंच वर्षीय योजना का सम्बन्ध है, मुझे तो अपने निर्वाचन-क्षेत्र में कहीं भी उसके अनुसार काम होता

[श्री वी० जी० देशपांडे]

नहीं दीख रहा है । मैंने डिप्टी कमिश्नर के पास, प्रान्त के डेवलपमेंट कमिश्नर के पास और अपने प्लानिंग के मंत्री महोदय के पास यह शिकायत की कि पार्लियामेंट के मेम्बरों का साहचर्य इस प्लानिंग की योजना को हमारे जिले में कार्यान्वित करने में नहीं किया जाता है । उन्होंने सेक्रेटरी को लिखवा दिया कि पार्लियामेंट के मेम्बर भी ऐडवाइज़री कमेटी में लिये जायें और उनका सम्बन्ध प्रस्थापित किया जाय परन्तु हम देखते हैं कि शिकायत करने के बावजूद भी आज कुछ काम नहीं हो रहा है और हमारा साहचर्य भी उसके साथ प्रस्थापित नहीं हो रहा है । बरार में मैं अभी एक जगह होकर आया, मैं ने देखा कि वहां पर श्रमदान के सिलसिले में देउलगांव माली से नाघज़री तक एक रास्ता बनाना था । लोगों से कहा गया कि श्रमदान में आधा चन्दा वे लोग दे दें और आधे के लिये सरकार से पैसा मिलेगा, लोगों ने उस काम को उठा लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि दो मील सड़क पर लोगों ने पत्थर डाल दिये लेकिन सरकार की तरफ़ से पांच रुपये भी खर्च नहीं हुये और पहले जो उस रास्ते से साधारण बैल गाड़ियां जाती थीं उनका चलना भी बन्द हो गया और मोटर आई नहीं, तो हमने ऐसा पंच वर्षीय योजना और श्रमदान का परिणाम वहां पर देखा। इसके अतिरिक्त आज सरकार, देश में फसल जो बढ़ी है और ज्यादा पैदावार हुई है, उसके लिये हर तरफ़ से बधाई ले रही है कि उत्पादन तीन वर्ष समाप्त होने के पहले ही इतना बढ़ गया, तो उसके लिये श्रेय लेना कहां तक उचित है । आखिर कोई मंत्र के प्रभाव से या अलाउद्दीन के लैम्प के चमत्कार से इस देश में खाद्य उत्पादन बढ़ा है, मैं तो समझता हूं कि यह ईश्वर की कृपा के कारण सम्भव हुआ है । इसके अलावा मेरा तो यह भी ख्याल है कि पहले फूड के आंकड़े ठीक नहीं थे, कंट्रोल होने के कारण व्यापारियों का उसमें स्वार्थ निहित था लेकिन अब कंट्रोल के उठ जाने के बाद शक्ल बदल गयी है और अब ठीक आंकड़े दे दिये गये हैं और पता लगा कि अन्न की पैदावार हमारे देश में काफी होती है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि अन्न के भाव गिरने से आज खेतिहर लोग रो रहे हैं । इस प्रकार की बातें आज देश में हो रही हैं और भी बहुत परेशानी हैं, परन्तु एक ही प्रश्न पर आखिर में मैं बोलूंगा क्यों कि इस प्रश्न पर इस देश के लोकराज्य का भविष्य निर्भर है । हमारे एक मित्र ने यहां एडजोर्नमेंट का मोशन दिया था और उसका उत्तर हमारे नये गृह मंत्री जी ने दिया । हमारे नये गृह मंत्री वैसे बड़े बुद्धिमान और बड़ी योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं, परन्तु उन्होंने यहां जो उत्तर में वक्तव्य दिया उस वक्तव्य को सुन कर यह बात हमारे ध्यान में आयी कि कोई वोटर ज़रूर थे जिन वोटर्स का वहां जाना असम्भव हुआ और उनको पुलिस प्रोटेक्शन का ऑफर देना पड़ा, हम आपको प्रोटेक्शन देते रहे हैं यह उन्होंने मान लिया है और यह भी माना है कि कार्यालय तोड़ा गया है । इसके अतिरिक्त अभी भेलसा उपनिर्वाचन-क्षेत्र में हम ने देखा कि भारत के गृह मंत्री से लेकर एक पटवारी तक सारी सरकार की मशीनरी कांग्रेसी उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रही थी और उस की लिखित शिकायतें मैं ने रिटरनिंग अफ़सर के पास, एलक्टोरल अफसर के पास और दूसरे अधिकारियों के पास भेज दी हैं लेकिन उसकी कोई भी इनक्वायरी नहीं की गयी है । यह जो सरकारी दबाव और सरकारी हस्तक्षेप निर्वाचनों में होता है, वह बन्द होना चाहिये नहीं तो प्रजातन्त्र एक कोरा

मज़ाक बन कर रह जायगा। आज भी हमको शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप निर्वाचन कार्य में किया जाता है। कानून होते हुये भी हेल्दी कन्वेन्शन्स, अच्छी प्रथायें और रिवाज आप बना सकते हैं, परन्तु आज देश में यह बात हो नहीं रही है। इस के लिये मैं भारत के राष्ट्रपति और अपनी सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि भारत के लोक राज्य और भविष्य की ओर ध्यान दें। जिस प्रकार के दुश्चिन्ह आज हम देख रहे हैं उस के कारण दो वर्ष के पश्चात् जो निर्वाचन होंगे वह फ्री एण्ड फेअर, उचित और न्याय्य तथा आज़ाद होंगे, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। यदि इसी प्रकार की बातें सरकार की तरफ़ से उठती रहीं तो देश में डिक्टटरशिप आयेगी और ऊपर से निर्वाचन का बहाना रहेगा। इस लिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगले निर्वाचन और आने वाले उपनिर्वाचनों में सरकारी हस्तक्षेप न होगा। इस की ज़िम्मेदारी और इस की दक्षता वह ले।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : अभी तक हम लोगों ने साम्यवादियों की काफ़ी बुराइयां सुन ली हैं किन्तु मैं पूछना चाहती हूं कि क्या पाक-अमरीकी संधि साम्यवादियों का काम है ? क्या सीटो के निर्माता भी साम्यवादी ही हैं। और क्या साम्यवादी युद्ध के इच्छुक हैं ? वास्तव में यदि देखा जाय तो युद्ध का इच्छुक साम्राज्यवादी अमरीका है। और अमरीका की यह वर्गगत स्वार्थी भावना हमारे देश में भी फैल रही है। आन्ध्र के चुनाव में हमें इस बात का प्रमाण भी मिल चुका है जहां कांग्रेस के टिकट बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिये गये और चुनाव जीतने के लिये सभी प्रकार के उचित और अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया।

कांग्रेस सदा ही परिणामों से डरती आई है। वह स्थिति का सामना करने में असमर्थ रहती है। आन्ध्र में, हम देखते हैं कि जनतन्त्र की भावना को नष्ट कर दिया गया है। हम को यह बताया जाता है कि साम्यवादियों के कार्यालयों पर कोई आक्रमण नहीं किया गया और कांग्रेस पर जो आरोप लगाये गये हैं उनमें कोई तत्व नहीं है। पर हमने जो कुछ भी आरोप लगाया है या कहा है, वह सब ठीक है चाहे उसकी जांच कर ली जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की सब से बड़ी समस्या अर्थात् बेरोज़गारी के निराकरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। दिन पर दिन पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों में बेरोज़गारी बुरी तरह से फैलती जा रही है। हम इसे ज़ोर देकर कहना चाहते हैं कि हमारे देश की सब से बड़ी समस्या बेकारी है, जिस पर राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा है। गांव हो अथवा नगर सभी कहीं बेकारी फैली हुई है, यहां तक कि स्त्रियों में भी बेकारी फैली हुई है। उदाहरणार्थ वस्त्र तथा जूट की मिलों में १९२७ में क्रमशः १९.४ तथा १६.७ प्रतिशत स्त्रियां कार्य करती थीं आज यह संख्या घट कर केवल ८.५ और १२.४ प्रतिशत रह गई है। यदि हम पंजीयित बेकारों की संख्या लें तो दिसम्बर १९५४ में यह संख्या ६,०९,७८० थी। केवल दिसम्बर में ही १,३५,००९ पंजीयित हुये। जिनमें से केवल १४,१६४ को काम मिला। इनमें से अधिक संख्या शरणार्थियों की ही है केवल कलकत्ता में नौकरी ढूंढने वाले स्नातकों की संख्या १५,००० तथा मैट्रिक पास व्यक्तियों की संख्या ५९,००० है। इतना होते हुए भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेकारी के लिये एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

इसके अलावा छंटनी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जूट उद्योग से ४०,००० व्यक्तियों की तथा असैनिक संभरण विभाग में ब त से व्यक्तियों की छंटनी हुई है तिस पर भी इनको खपा के लिये कोई तरकीब नहीं की जा रही है।

गांवों की अवस्था यह है कि आज भी ज़मींदार लोग हज़ारों कृषकों को बेदखल कर रहे हैं। काश्तकारी विधान, जो कि हमारी कृषि सुधार का एक महत्वपूर्ण भाग है, कहीं ज़िक्र भी नहीं है।

यद्यपि श्रमिकों के प्रति कांग्रेसी सदस्यों ने मौखिक सहानुभूति दिखाई है, तथापि पिछले महीने सैंकड़ों की संख्या में दुर्घटना में मरने वाले खनिकों के प्रति सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इन खनिकों की आय घट गई है तथा जिस अवस्था में यह लोग जीवन व्यतीत करते हैं वह नरक से भी बुरी हैं। कोयला उद्योग के अधिकांश स्वामी अंग्रेज़ हैं जो खूब लाभ अर्जित कर रहे हैं। दिसम्बर में पारसिया की दुर्घटना में ६२ से अधिक व्यक्ति मर गये। धर्मबाद में फरवरी के महीने में १० व्यक्ति मर गये; इसी प्रकार अमलाबाद में ५ फरवरी को विस्फोट के कारण ५५ व्यक्ति मर गये। इन दुर्घटनाओं के अपराधी कौन हैं, खानों के स्वामी जो खूब लाभ कमा रहे हैं, तिस पर भी इन मृतकों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

अच्छी फसल के बारे में खूब प्रशंसा की गई है किन्तु देश के कई भाग अब भी अभाव से पीड़ित हैं जैसे मेरा अपना प्रान्त बिहार, उड़ीसा इत्यादि। वहां के निवासी क्षुधा-पीड़ित तथा बेकार हैं। उन्हें खाना व काम चाहिये, तथापि अभिभाषण में इस सम्बन्ध में एक शब्द नहीं था

हमें यह भी जान लेना चाहिये कि कृषि सुधार भी बहुत तीव्रता से नहीं हुये हैं हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे नहीं थे। पहिले भी १९४३-४४ में हमें यह लक्ष्य प्राप्त हो चुके थे बल्कि तब प्रति एकड़ चावल की पैदावार १९५३ से अधिक थी।

नौकरी का प्रश्न, जीविका का अभाव, तथा वस्तुओं के मूल्यों को लोगों की क्रय-शक्ति के समकक्ष लाना इत्यादि महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिये। इस समय जनता इन्हीं बातों का सामना कर रही है और यही बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हैं, इसी लिये उनका अभिभाषण प्रेरणा शून्य है।

श्री टेक चन्द (अम्बाला—शिमला) : मै इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं भारत सरकार की नीति, योजनाओं तथा कार्यक्रम का पूरे हृदय से स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत को प्रशंसनीय सफलता प्राप्त हुई है। कोई भी सुलझे मस्तिष्क वाला व्यक्ति इस नीति की सफलता की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की देन को विश्व ने एक स्वर से स्वीकार किया है। जब कि विश्व दो शत्रु-गुटों में बंट गया है। ऐसे समय भारत का हस्तक्षेप करना उपयुक्त तथा समयोचित बात है जिसे विरोधी गुटों ने भी स्वीकार किया है।

राष्ट्रीय सौजन्य के प्रति हमारी महत्वपूर्ण देन पंचशील के सिद्धान्त है, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विधि में वही स्थान प्राप्त होगा जो कि संविधान में आधारभूत सिद्धान्तों को हैं। ये पांचों सिद्धान्त नितान्त निर्दोष तथा हिंसा रहित होने पर भी अत्यन्त शक्तिशाली तथा स्वतन्त्रतायुक्त हैं।

इसका श्रेय केवल भारत को ही प्राप्त है कि ये सिद्धान्त इतनी सफलता से प्रचारित एवं प्रसारित किये गये, तथा कई देशों ने इन्हें स्वीकार कर इन्हें क्रियान्वित किया।

फ्रांस की विदेशी बस्तियों, जहां दो शताब्दियों से फ्रांस की ध्वजा फहरा रही थी अब भारत के ही अंग बन गये हैं। पुर्तगाली बस्तियों की समस्या भारतवासियों के लिये सर दर्द बनी हुई है। किन्तु पुर्तगाली प्रधान मंत्री सालाजार की विषैली वक्तृताओं के उपरान्त भी भारत ने इस समस्या को संयमित तथा सम्मानित ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है। लेकिन अब देशवासियों का धैर्य न्यायोचित सीमा को पार कर गया है तथा सरकार के हित में यह अच्छा होगा कि वह जल्दी ही कोई कार्यवाही करे जिससे कि उनकी महत्वाकांक्षा भी भारतवासियों की भांति पूरी हो सके।

हमारी आन्तरिक अवस्था भी पूर्ण रूप से सन्तोषजनक है। देश के सभी क्षेत्रों में योजनायें बन रही हैं, तथा प्रगति हो रही है। सरकार यह समझ गई है कि देश के उद्योगीकरण की गति तीव्र होनी चाहिये। मन्द गति के कारण कुछ लक्ष्यों की पूर्ति न होने पर मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता क्योंकि यह समस्या बड़ी उलझी हुई है। बेकारी तथा ग़रीबी के निवारणार्थ यथा-शीघ्र कोई प्रयत्न करना होगा क्योंकि सरकार के प्रयत्नों के उपरान्त भी बेकारी बढ़ रही है। शिक्षितों में बेकारी फैलना दुःखप्रद बात है। सरकार के विशेषज्ञों को ऐसी योजनायें बनानी चाहिये कि प्रत्येक सशक्त व्यक्ति को काम मिल सके। सरकार का यह प्रयत्न हो कि दिमाग़ी अथवा शारीरिक कोई भी देन देश के लिये अनुपयोगी न रहे तथा उसका उपयोग देश के धन की वृद्धि करने में हो।

एक महत्वपूर्ण मामला और है जिस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। कभी भाषावार प्रान्तों के नाम से, तथा कभी कुछ सम्प्रदायों के झूठे दावों से देश की सुरक्षा को खतरा होता है। उनसे ज़ोरदार शब्दों में यहां कह दिया जाय कि किसी भी परिस्थिति में देश की एकता पर आघात नहीं सहन किया जायेगा। सरकार ऐसे लोगों को, प्रजातन्त्र के नाम पर देशविरोधी प्रचार करने से रोकने के लिये गम्भीर कार्यवाही नहीं कर रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि देश की एकता छिन्न भिन्न हो रही है सरकार के धैर्य और उदारता को उसकी अक्षमता और पराजय माना जा रहा है। सरकार को यह बता देना चाहिये कि ऐसी मांगों में सत्य की ज़रा भी गुंजायश नहीं है। सरकार को ऐसी कार्यवाहियों को सहन नहीं करना चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले में पूरी तरह जागरूक तथा सतर्क रहे।

श्री आल्तेकर (उत्तरी सतारा) : विरोधी पक्ष के भाषणों को सुनने पर मुझे महाभारत की एक कहानी याद आ गई; वह यह है कि एक सभा में जहां भीष्म, द्रोण, कृष्ण, प्रभृति सभी सम्मानीय व्यक्ति बैठे हुये थे वहां दुर्योधन से इस बात का पता लगाने को कहा गया कि उस सभा में कितने सज्जन पुरुष विराजमान हैं। इसी प्रकार धर्मराज से दुष्ट व्यक्तियों का पता लगाने को कहा गया किन्तु वे दोनों निराश लौटे। तात्पर्य यह है कि कुछ लोग केवल अच्छा ही देखते हैं किन्तु कुछ लोग अच्छा देखते ही नहीं। हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना है, यद्यपि बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं तथापि उन्हें नहीं माना जा रहा है, तथा उनकी कोई प्रशंसा नहीं की जा रही है। यद्यपि दूसरे देशों के गण्यमान्य व्यक्तियों, यथा इण्डोनेशिया के प्रधानमन्त्री, चीन

[श्री आल्तकर]

के प्रधान मंत्री तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने एक मत होकर प्रशंसा व्यक्त की है, किन्तु यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो आंखों पर पट्टी बांधे हैं और जो चित्तरञ्जन का विशाल कारखाना, सिन्द्री उर्वरक कारखाना तथा महान् और विशालकाय सिंचाई योजनायें नहीं देख पाते हैं।

साम्यवादी दलके उपनेता ने कृषि पदार्थों की गिरती हुई कीमतों के सम्बन्ध में कई उदाहरण दिये, किन्तु वह यह नहीं देख सके कि इसका कारण लक्ष्यों की प्राप्ति ही है। यह समस्या अवश्य उत्पन्न हो गई है किन्तु यह इस बात का प्रमाण है कि हम सही मार्ग पर हैं।

कुछ लोगों ने जनता में उत्साह की कमी की शिकायत की है। देश के विभिन्न भागों में लोग इन योजनाओं की पूर्ति में सहयोग दे रहे हैं। यहां तक कि सामुदायिक योजना में भी ये लोग सहयोग दे रहे हैं। कोसी बांध के सम्बन्ध में हम बिहार के लोगों के महान् उत्साह के सम्बन्ध में सुन चुके हैं। मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में भी कई गांवों में गया। वहां के लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक सार्वजनिक कार्य में सहयोग दिया है।

छोटे छोटे ग्रामों में से सैकड़ों लोगों ने आकर कीचड़ और मलबा साफ किया जिस पर श्रमिक लगाये जाते तो १,००० रुपये व्यय पड़ता। सैकड़ों आदमियों ने इस काम को केवल तीन या चार दिनों में किया था। उन्होंने समाज मंदिरों, स्कूल भवनों आदि को पक्की ईंटों और सीमेंट से बनाया है। इन सब कार्यों को वे बड़े उत्साह से कर रहे हैं। शहर में इन इमारतों के निर्माण पर हम हजारों-लाखों रुपये खर्च करते हैं और एक वर्ष का समय इन में लगजाता है। ये लोग कुछ छोटे पैमाने पर इन्हीं कार्यों को कर रहे हैं। इन लोगों का अदम्य उत्साह है और सरकार द्वारा उचित सामान देने तथा मार्ग-निर्देशन करने पर वे इन सब कार्यों को करने के लिये तैयार हो जाते हैं। इसी उत्साह के कारण गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास ने अत्यन्त उन्नत रूप धारण कर लिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने उत्साह कि कमी का उल्लेख क्या है जो सर्वथा सही नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल अतीत के इतिहास का ही वर्णन है। वे कहते हैं कि पुरानी बातों को दोहराने में क्या लाभ है। हमारे प्रधान मंत्री की यह कह कर खिल्ली उड़ाई गई कि वह केवल इतिहासज्ञ हैं लेकिन श्री नेहरू इस देश के इतिहास-निर्माता हैं। देश में जो कुछ उन्नति हुई है उसकी प्रशंसा यहां की जनता ने ही प्रत्युत पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों ने भी की है। इतनी अधिक प्रशंसा प्राप्त करने पर भी यह कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया है वस्तुतः विचित्र सा लगता है। ऐसा कहने वालों की मनोवृत्ति को समझना कठिन है। एक माननीय महानुभाव ने तो यहां तक यह कह दिया कि स्तालिन की पद्धति और सत्तारूढ़ दल की नीति में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन स्तालिन अपने विचारों को तलवार के बल पर थोप रहा था जब कि कांग्रेस अध्यक्ष लोगों से और विरोधी दल से अपील करते हैं कि देश की प्रगति में वे उनको सहयोग दें। अपील अनुरोध और समझाने-बुझाने की पद्धति ही एक ऐसी पद्धति है जिसका सब अनुसरण कर सकते हैं और तर्कसंगत होने पर उसे स्वीकार भी किया जा सकता है।

साम्यवादी पार्टी के उपनेता ने प्रधान मंत्री को उनकी विदेशी नीति के कारण

सराहा है। उपनेता ने यह भी कहा कि विदेश नीति उन देशों से सर्वथा असम्बद्ध नहीं है जिन्हें साम्यवादी पसन्द नहीं करते हैं। किन्तु किसी भी शक्ति-गुट्ट से सम्बन्ध जोड़ने का अर्थ है मध्यस्थ की स्थिति में अपना महत्व करना। भारत किसी विशेष शक्ति-गुट्ट से सम्बद्ध नहीं होना चाहता है। शक्ति-गुट्ट से पृथक् रह कर ही भारत शान्ति स्थापना के संकटपूर्ण कार्य को सम्पन्न कर सकता है। देश के अन्दर तथा विश्व में शान्ति-स्थापना की दृष्टि से ही हम अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में उचित योग दे रहे हैं।

एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में त्रुटि बताते हुये इस बात की ओर संकेत किया कि १९४९ से लेकर अभी तक आय में केवल पांच प्रतिशत वृद्धि हुई है। एक अन्य सदस्य ने इस बात की ओर इंगित किया कि किसी राज्य के एक विशेष ज़िले के एक भाग को भागत आधार पर किसी अन्य ज़िले के विशेष भाग में नहीं मिलाया गया। ये सब बातें गणित एवं गवेषणा की दृष्टि से बहुत सुन्दर हैं लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण उनके उल्लेख के लिये समुचित स्थान नहीं है। राष्ट्रपति ने सभी प्रमुख समस्याओं की चर्चा की है—जैसे रोज़गार, चतुर्मुखी प्रगति, मूल्यों में गिरावट और उसके नियंत्रण की आवश्यकता, आदि। उन्होंने सब बातों का यथार्थ चित्रण उपस्थित किया है। राष्ट्रपति ने अपने कार्य को समीचीन ढंग से निबाहा है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला—भटिंडा) मेरे संशोधन में इस बात पर खेद प्रकट किया गया है कि सरकार ने अभी तक प्रैस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है; सेवाओं में से भ्रष्टाचार को दूर करने की ओर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है; बढ़ती हुई बेरोज़गारी का उसमें उल्लेख नहीं है, कृषि पदार्थों की क़ीमतों में गिरावट को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है, पाकिस्तान में हिन्दुओं द्वारा छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी बातचीत में सरकार असफल रही है और क्षतिपूर्ति की अन्तिम योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब किया गया है।

मेरे विचार में राष्ट्रपति का अभिभाषण कुछ इने-गिने तथ्यों का एक सीधा-सादा और अनिश्चित ढंग से किया गया ब्यौरा है। मुझे अभिभाषण का अन्तिम अंश ही याद है। उक्त अंश से मुझे बड़ी वेदना हुई यद्यपि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मैं अभी अपने उद्गार प्रकट करूंगा। यद्यपि यहां सदस्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, फिर भी मेरी प्रार्थना है कि जो भी यहां उपस्थित हैं वे मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे।

मेरा विश्वास है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद सब से अधिक अपमान सिक्ख जाति का हुआ है तथा जानबूझ कर उनके सम्बन्ध में ग़लत विचारों को प्रकाशित किया गया है। हमारे ऊपर इस बात का आरोप लगाया जाता है कि हम देश का विभाजन चाहते हैं। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने १२ जुलाई, १९५२ को भाषावार राज्यों के निर्माण से सम्बन्धित वाद-विवाद का उत्तर देते हुये कहा था कि सिक्खों द्वारा पृथक् राज्य की मांग के सामने वे नहीं झुकेंगे। उसी समय जब मैं ने उस व्यक्ति का नाम जानने का साहस किया जो पृथक् राज्य की मांग करता हो तो पण्डित नेहरू का उत्तर था—जो सभा की कार्यवाही में अंकित एवं मुद्रित है—कि कभी किसी उत्तरदायी सिक्ख ने इस प्रकार की मांग

[सरदार हुक्म सिंह]

प्रस्तुत नहीं की । क्या उनके इस वक्तव्य के बाद भी हम पर इस प्रकार का अधम आरोप लगाया जा सकता है । मैं साहसपूर्वक यह कह सकता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम में जितने व्यक्तियों को फांसी का दण्ड मिला है उनमें से नब्बे प्रतिशत सिक्ख ही थे । क्या यह गर्व की बात नहीं है ?

यह खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही हमें निरन्तर लांछित किया जाता रहा है । हम इस अत्याचार से पीड़ित हैं । अभी एक माननीय महोदय ने कहा कि उनकी महा पंजाब की योजना में मैं बाधक हूं । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । यदि वह ऐसे महा पंजाब की रचना करना चाहते हैं जहां ९५ प्रतिशत हिन्दू हों तो वह ऐसा कर सकते हैं । किन्तु क्या वह पंजाबी को प्रादेशिक भाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं । वह ऐसा नहीं करेंगे । वह इसे कुचल देने की इच्छा रखते हैं । क्या मातृभाषा की अवहेलना करने पर भी कोई व्यक्ति देशभक्त होने का दावा कर सकता है ? कहा जाता है कि भाषागत आधार पर देश के विभाजन की मांग करने वाले लोग देशभक्त नहीं है । मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा करने वालों ने अपने इस कथन पर कभी गम्भीरतापूर्वक विचार किया है ? मेरा मत है कि भाषा के आधार पर प्रान्त निर्माण के समर्थक भी यदि अधिक नहीं तो उतने ही अंश में देशभक्त हैं । क्या केवल सिक्ख ही यह मांग प्रस्तुत करते हैं ? क्या और लोग ऐसा नहीं कहते हैं ? दिल्ली राज्य विधान सभा ने हाल ही में सर्वनुमति से एक ग़ैर सरकारी संकल्प पारित किया था कि समीपस्थ क्षेत्रों को दिल्ली में मिला दिया जाये क्योंकि उनकी संस्कृति और भाषा दिल्ली से मिलती जुलती है । हरियाना क्षेत्र की जनता अलग राज्य की मांग करती है । इस प्रकार की मांग करने वाले ये लोग सब कांग्रेसी हैं । सब हिन्दू हैं । तब क्या केवल मैं ही इसलिये आरोप का पात्र हूं कि मेरे दाढ़ी है और मैं सर पर साफा बांधता हूं । जो कांग्रेसी मांगते हैं वही मैं मांगता हूं । लेकिन कांग्रेसी देशभक्त हैं और मैं देशद्रोही हूं । इस प्रकार का व्यवहार देखकर मेरा रक्त खौलता है । यही मेरी शिक़ायत है । समुद्र पार की और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर इतना ध्यान दिया गया है लेकिन देश के अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर दृष्टिपात नहीं किया गया है ।

छः महीने पहले अकालियों का अपमान होता था लेकिन जब गुरुद्वारा चुनावों में दुर्भाग्य से वे जीत गये तो अकाली से अभिप्राय सम्पूर्ण सिक्ख जाति से समझा जाने लगा है । भावोद्वेग के कारण मैं अधिक बोलने में असमर्थ हूं । सर्वत्र यह स्वर सुनाई देता है कि सिक्ख देशद्रोही हैं ।

मुझे और कुछ नहीं कहना है । वस्तुतः यह बड़े दुःख की बात है कि हम साम्प्रदायिक प्रपीड़न के पात्र बन रहे हैं और कोई इस बात को सुनने वाला नहीं है ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आज की डिबेट सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । मैं देखता हूं कि कुछ लोगों के दिल में दुःख है और कुछ के दिल में आनन्द है । अभी हमारे भाई सरदार हुक्म सिंह बोले । उनके दिल में दुःख है । पर उनसे ज्यादा दुःख हमारे दिल में है । जैसा उनका सवाल है वैसा ही हमारा भी है । हमको स्वतन्त्र हुये आज सात बरस हो गये । पर इस बीच में हमारे लिये क्या हुआ ? अभी तक अनटचेबिलिटी बिल जो हाउस के सामने आया है पास नहीं हुआ । जब इस हाउस में बैकवर्ड क्लास

वालों की रिपोर्ट आती है तो वह यहां पर घंटे दो घंटे चलती है और फिर बन्द हो जाती है और फिर दूसरे सेशन में आती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सवालों पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह हमारा आर्थिक सवाल है। आप देखें कि सामाजिक दृष्टि से हमारा क्या हाल है। आज देहातों में हमारी अवस्था कुत्तों और जानवरों सरीखी हो रही है। बैकवर्ड क्लास रिपोर्ट में कई बातें कही गयी हैं लेकिन जो हमारे होम मिनिस्ट्री के आफिसर्स हैं, और जो लम्बी लम्बी तनखाहें पाते हैं, उनको ठीक तरह से अमल में नहीं लाते हैं और गोल-माल कर देते हैं। नौकरियों में हमारा कोटा मुक़र्रर किया गया है लेकिन उसके अनुसार हमको नौकरियां नहीं मिलतीं। इसके बारे में हरिजन भाइयों को शिकायत है। हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

जब मैं बोलता हूं तो लोगों को यहां पर हंसी आती है। लेकिन यह हंसने की बात नहीं है। हज़ारों बरसों से इन लोगोंने हमको गुलाम बनाया हुआ है और हमारी स्थिति जानवरों और कुत्तों सरीखी कर दी गयी है। अभी तक हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रश्न हल नहीं हुये हैं।

मैं अभी अमरीका गया था। वहां पर मैं ने देखा कि नीग्रो लोगों की क्या हालत है और उनके लिये क्या काम हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि जितना काम वहां पर नीग्रो लोगों के लिये हो रहा है उतना काम हमारे लिये यहां पर नहीं हो रहा है। हमारे पंडित जी सारी दुनिया की बात बोलते हैं। वह दुनिया को ऊंचा उठाने के लिये कार्य कर रहे हैं। इससे हमको आनन्द होता है। लेकिन उनको अपने घरेलू मामलों पर भी तो ध्यान देना चाहिये। उनको हिन्दुस्तान के रहने वालों को भी तो ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। जब तक हमको वह ऊंचा नहीं उठाते उनका सिर ऊंचा नहीं हो सकता। आज साउथ अफ्रीका में इसी तरह का सवाल है। उससे हमको दुःख होता है। लेकिन हमारा सवाल अब हल होना चाहिये।

हमारे शरणार्थी भाई आये। उनके लिये एक मिनिस्ट्री बना दी गयी और उनका काम हो गया। मैं मानता हूं कि हमारे शरणार्थी भाइयों को तक़लीफ़ थी। लेकिन अगर देखा जाय तो हमको उनसे ज्यादा तक़लीफ़ है और सच्चे शरणार्थी तो हम हैं। हमारी हालत उनसे ज्यादा ख़राब है। हम कहते हैं कि आप हमारे लिये भी एक मिनिस्ट्री बना दीजिये जिसके द्वारा हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रश्न हल हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि यदि हमारे लिये एक मिनिस्ट्री बना दी जाय तो हमारे प्रश्न पांच छः साल में हल हो जायेंगे। आपने हमारे जगजीवन राम जी को कम्युनिकेशन्स मिनिस्टर बना दिया है और एक दूसरे जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर हैं उनको हैल्थ का काम दे दिया है। कोई हरिजनों के लिये अलग मिनिस्ट्री नहीं बनायी गयी है।

हमारे दातार साहब इस समय यहां बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो लोग तक़लीफ़ में हैं उनकी तकलीफ दूर होनी चाहिये। यह देश की प्राबलम है। इसको कभी न कभी तो ख़त्म होना ही चाहिये। देश आज़ाद हो चुका है लेकिन हम अभी तक परतन्त्र हैं। हमारी बस्तियां गांवों से अलाहिदा हैं। हरिजनों के उद्धार के बारे में बड़ी बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कह दी जाती हैं लेकिन उनके लिये काम बहुत कम किया जाता है। हमारे लिये कुछ थोड़े से वज़ीफ़े दिये गये हैं यह हम जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लिये कम्पलसरी एजूकेशन हो। ऐसा क्यों नहीं किया

[श्री पी० एन० राजभोज]

जाता । यह सब सवाल अब जल्दी ही हल होने चाहियें । हम चाहते हैं कि गांव गांव में कम्पलसरी एजूकेशन हो ताकि कोई भी अनपढ़ न रह जाय । हमारे होम मिनिस्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सजेशन दिये हैं, लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंटें हैं और दूसरे लोग हैं वे उनको अमल में नहीं लाते । यहां से रिकमेंडेशन चली जाती हैं पर वे लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते । मैं दातार साहब से कहना चाहता हूं कि वे इस तरफ़ ध्यान दें । गवर्नमेंट की रिपोर्ट में लिखा है :

> अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदादि रक्षित रखने के बारे में जो निदेश गृह कार्य मंत्रालय ने जारी किये हैं सरकारी दफ्तर उन का पूरे ढंग से पालन नहीं करते हैं ।

यह रिपोर्ट में लिखा है । कई जगहों के लिये हमारा रिज़र्वेशन है लेकिन हमको वे जगहें नहीं मिलतीं । हमारा यह नौकरी का भी सवाल होना चाहिये ।

ज़मीन के बारे में भी हमारा सवाल हल होना चाहिये । देहातों में ज़मीनें पड़ी हैं लेकिन हमको नहीं दी जाती हैं और इस बात को लेकर हमारे कम्युनिस्ट भाई अपनी ट्रेड चलाते हैं । अगर आप शिड्यूल्ड कास्ट का आर्थिक सवाल ठीक तरह से हल कर देंगे तो हम इन लोगों को यह ट्रेड नहीं चलाने देंगे । देहातों में हमारे एक दलित भाइयों को रोटी नहीं मिलती है और देहातों में उन पर जुल्म हो रहे हैं और मारपीट हो रही है । मैं भी यही कहता हूं । हम नहीं चाहते कि हमारे लिये सदा के लिये रिज़र्वेशन रहे । यह तो हम उसी समय तक के लिये चाहते हैं जब तक कि हमारे प्रश्न हल न हों । लेकिन यह एक नेशनल प्राबलम है । कम्युनल प्राबलम नहीं है । लोग हमको कहते हैं कि डा० अम्बेडकर और राज भोज तो जाति वादी हैं । लेकिन ऐसी बात नहीं है । हमारे लिये महात्मा गांधी ने कहा था कि ये अछूत लोग अगर गाली भी दें तो भी हिन्दुओं को सहनी चाहियें क्योंकि उन्हीं ने इनको ग़ुलाम बनाया है । इनकी ग़ुलामी को नष्ट करना हिन्दुओं का कर्तव्य है । तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा यह सवाल जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिये ।

हम जब फारेन कंट्रीज़ में जातिभेद के बारे में भारत की निन्दा सुनते हैं तो यक़ीन मानिये हम को बड़ा दुःख होता है । हम ने तो अपने देश के ख़िलाफ़ कुछ बाहर नहीं बताया और मुझे भी अपने देश का नाम और उसकी इज्ज़त वैसी ही प्यारी है जैसी कि किसी और को हो सकती है । हम भी इस देश को ऊंचा करने के लिये कोशिश करेंगे, हम नहीं चाहते कि इस देश की नाक कट जाय और उसके ख़िलाफ़ बाहर मिथ्या प्रचार हो । हमें इसी देश में रहना है यहीं मरना खपना है और हम लोगों ने भी इस देश की रक्षा के लिये अपना योग दिया है । काश्मीर में भी भारतीय फौजों में हमारे भाई लोग हैं, बहुत शूर लोग हैं जो अपनी जानों की भी बाज़ी लगा कर हमारे उस प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं लेकिन मुझे यहां पर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि फौज की भर्ती में भी जाति का पक्षपात किया जाता है और देखने में आता है कि जिस जाति का मिनिस्टर होता है वह अपने जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में घुसेड़ने की कोशिश करता है । मुझे यह सब होता देख कर अत्यन्त खेद होता है और चूंकि ऊंची जगहों पर हमारे भाई लोग नहीं हैं इसलिये सभी रैंक्स की भरती में भी हमारे शैड्यूल्ड

कास्ट के भाइयों की उपेक्षा की जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमिशनों में भी हमारे प्रतिनिधि नहीं रहते, हमसे कहा जाता है कि पबिलिक सर्विस कमिशनों के खिलाफ़ मत बोलो, लेकिन मैं पूछता हूं क्यों न बोलूं। हम चाहते हैं कि वहां पर भी और अन्य सब जगहों पर हमारे शेड्यूल्ड कास्ट का एक एक भाई रक्खा जाय जो यह देखे कि हमसे जो वायदा किया जाता है उसको निभाया भी जाता है या नहीं या केवल क़ागज़ पर लिख ही भर दिया गया है। हमारे लोगों में एक से एक क़ाबिल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि उच्च पदों के लिये हमारे बीच से उपयुक्त आदमी नहीं मिलते, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में हैं और वह अपना कर्तव्य योग्यतापूर्वक निवाह सकते हैं और चूंकि आज ऐसा नहीं हो रहा है इसलिये हमारी होम मिनिस्ट्री से अपील है कि हमारे लिये एक सेप्रेट मिनिस्ट्री बनाई जाय। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि श्री विनोवा भावे घूम घूम कर भूमिदान और श्रमदान करवा रहे हैं लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं बनेगा। सरकार को भी इस दिशा में सक्रिय क़दम उठाना होगा। उसको अछूतोद्धार का काम अपने हाथ में लेना चाहिये और इस प्राब्लम को हल करने के लिये और सब प्रकार से अधिक प्रयत्न और परिश्रम करना चाहिये। भूमिदान में हम देखते हैं कि जमीन देने में पक्षपात बरता जाता है और अपनी पार्टी वाले और अपनी विचार धारा के लोगों में ही तक़सीम की जाती है, यह देखा जाता है कि इसने खद्दर धारण किया हुआ है या दूसरे कपड़े पहने हैं। हरिजनों को फर्स्ट प्रायरटी है लेकिन वह अमल में नहीं आती। विनोबा भावे कोई हमारे दुश्मन नहीं हैं और मैं मानता हूं कि वह अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इतना ही नहीं काफी होगा और सरकार को भी उस काम को अपने हाथ में लेना होगा, क्यों नहीं सरकार हर एक भूमिहीन हमारे हर एक भाई को पांच, पांच एकड़ जमीन दे देती। अभी आंध्र में जब चुनाव हुआ था तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर चुनाव में हम विजयी हुये और हमारी सरकार बनी तो हम प्रत्येक शख्स को पांच, पांच एकड़ ज़मीन देंगे, खैर वह तो बाद की बात है, जब उनकी गवर्नमेंट होगी तो वह देंगे, ऐसा वे कहते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ज़मीन हम हरिजनों को देती और यह आर्थिक विषमता क्यों नहीं मिटाती। कहीं दान या भीख से भी किसी को ज़मीन मिली है, भीख मांगने से एक तो मिलती नहीं और अगर मिलती भी है तो ऐसी मिलती है जो किसी काम की नहीं होती। ज़मींदार बड़े होशियार हैं, उन्होंने ऐसी ज़मीन दी है जो बिलकुल बेकार है और किसी काम की नहीं है। हम तो अच्छी हरी भरी खेती करने लायक़ ज़मीन चाहते हैं। यू० पी० में कहा जाता है कि ज़मींदारी खत्म कर दी गयी है लेकिन असल में ज़मींदारी वहां पर पूरी तौर पर खत्म नहीं हुई है। हज़ार, हज़ार बीघे ज़मीन एक एक ज़मींदार को मिल गयी है। उनके रिश्तेदारों को वह मिल गयी है, जो ज़मीन बंटवायी वह सब उनके रिश्तेदारों को ही मिल गयी लेकिन जो ग़रीब लोग हैं और भूमिहीन लोग हैं उनको नहीं मिली। यह तो एक नाम के लिये ही ज़मींदारी खत्म हो गयी है। इसका फायदा उन्हीं को मिलता है जो उनके रिश्तेदार हैं। इसलिये सरकार को ज़मीन के मसले के साथ देश की आर्थिक विषमता को भी दूर करने के लिये सक्रिय क़दम उठाना है।

जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, मुझे इस बात का बहुत सन्तोष है कि बाहर देशों में उसकी वजह से भारत

[श्री पी० एन० राजभोज]

का मान और प्रतिष्ठा बढ़ रही है। अमरीका जब में हाल में गया था तो पंडित जी की विदेश नीति की लोगों से मैं ने वहां तारीफ़ सुनी और मालूम पड़ा कि भारत हर दिशा में आगे है और हम इस बात को मानते हैं। मुझे यह मालूम है कि हिन्दुस्तान ने दुनिया में शांति क़ायम रखने के लिये जो कोशिश करी है, उसके लिये हमारे देश को और विशेष करके हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सारी दुनिया धन्यवाद दे रही है।

अमरीका में कुछ लोगों में हिन्दुस्तान की परराष्ट्र नीति के बारे में सन्देह अवश्य है और बहुत से लोगों की राय है कि पंडित जी की तटस्थ नीति के कारण कम्यूनिस्ट राष्ट्रों को सहारा मिला है, लेकिन यह कि हम मास्को और पीकिंग के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और उनके आदेश पर अपनी नीति निर्धारित करते हैं, ऐसी उनकी राय नहीं है। बहुत सारे अमरीकी लोग मानते हैं कि भारत की परराष्ट्र नीति खुली और स्वतन्त्र है। मैं यह सब आपके सामने इसलिये रखना चाहता हूं कि हमें याद रखना चाहिये कि हमारी परराष्ट्र नीति ऐसी हो कि जिससे किसी भी राष्ट्र का शत्रुत्व हम पैदा न करें, वह राष्ट्र और राष्ट्र समूह चाहे पश्चिमी राष्ट्रों का हो या कम्युनिस्ट राष्ट्रों का हो। हम जैसे पश्चिमी राष्ट्रों की हरकतों पर कभी कभी आघात करते हैं जिनको कि हम सही नहीं समझते उसी तरह हमें कम्युनिस्ट राष्ट्रों की बेजा कार्रवाइयों पर भी आघात करने से नहीं चूकना चाहिये।

तिब्बत के बारे में उल्लेख करते हुये राष्ट्रपति जी ने 'पंचशील' का आदर्श आपके सामने रक्खा है। पंचशील के तत्व बहुत ऊंचे और उदात्त हैं लेकिन हमें यह भी ख्याल रखना चाहिये कि कम्युनिस्ट जिन तत्वों की घोषणा करते हैं, लेकिन आचरण उनका घोषित तत्वों के खिलाफ़ रहता है। मैं पंडित जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि तिब्बत पर कम्युनिस्टों ने जो हुकूमत प्रस्थापित की है उससे हमारे देश को आज नहीं तो कल ज़रूर खतरा पैदा हो जायगा। कम्युनिस्टों का दृष्टिकोण और रवैया आक्रमणकारी रहता है और वे कभी सन्तुष्ट नहीं होंगे जब तक कि उनकी हुकूमत सारी दुनिया पर स्थापित न हो जायगी।

चूंकि मेरा टाइम खत्म है, इसलिये ज्यादा न कह कर सिर्फ चीन के सम्बन्ध में इतना कहूंगा कि चीन के बारे में हमने अपनी घोषणा कर दी है लेकिन हमें यह भी ख्याल रखना चाहिये कि फारमोसा में राष्ट्रवादी चीनी राष्ट्र को हुकूमत प्रस्थापित हुई है और युद्ध के बिना उस हुकूमत को उखाड़ देना असम्भव है। इसके मानी यही होते हैं कि यदि कम्युनिस्ट चीन को दुनिया में शांति क़ायम रखनी होगी, तो फारमोसा के बारे में उसको आहिस्ता आहिस्ता क़दम उठाना होगा। इसीलिये हमारी सरकार को चीनी सरकार पर ऐसा ज़ोर डालना चाहिये ताकि वह फारमोसा के बारे में दुनिया के सब राष्ट्रों के साथ बैठ कर किसी समझौते पर पहुंच सके। जिस तरह की एक कांफ्रेस इण्डोचीन में हुई थी वैसी ही एक कांफ्रेस फारमोसा के बारे में भी बुलाने का यश भारत को मिल जायगा और इस तरह हमारी परराष्ट्रनीति की और एक जीत हो जायगी। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से कोरिया और इण्डोचीन के बारे में भारत के प्रयत्नों को यश मिला, वैसा यश फारमोसा के बारे में हमारे पंडित जी को मिल जायेगा।

मैंने प्रेसीडेन्ट (राष्ट्रपति) के अभिभाषण के ऊपर जो अपने दो एमेन्डमेन्ट्स

(संशोधन) रक्खे हैं, नम्बर ३७ और ३८, उनके लिये मैं आशा करता हूं कि यह सभा और हमारे मंत्रीगण विचार करेंगे । मुझे दुःख है कि राष्ट्रपति के भाषण में हमारे लिये कुछ ज़िक्र नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिये । इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । मैं ने अपनी टूटी फूटी हिन्दी में अपने विचार सभा के सामने रक्खे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व) । मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत करती हूं । उनका अभिभाषण देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन पर एक सुन्दर लेख है । परन्तु उस में एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं किया गया है । अभिभाषण में देश के भावी विधायिनी कार्यक्रम और आगामी वर्ष की प्रमुख सरकारी नीतियों की ओर इंगित होना चाहिये थी । अभिभाषण में अतीत की सुन्दर झांकी है परन्तु भविष्य का चित्र खींचने में वह सर्वथा कोरा है ।

अभिभाषण की प्रमुखता यह है कि उसमें मुख्यतः मूल उद्योगों के विकास की बात कही गई है : इंजिन और डिब्बों के निर्माण सम्बन्धी उद्योग निकट भविष्य में आत्मचरित हो जायेंगे । विद्युत्-यंत्रों के लिये विकास परिषदों की स्थापना कर दी गई है । जहाज निर्माण प्रांगण और जेट इंजिनों के निर्माण के विकास पर सरकार विचार कर रही है । आसाम में तेल स्रोत की उपलब्धि का समाचार भी पर्याप्त हर्षसूचक है । रूस और जर्मनी के साथ इस्पात उत्पादन के सम्बन्ध में किये गये समझौते और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निकट भविष्य में तीसरे इस्पात संयंत्र का प्रस्ताव भी अत्यन्त वांछनीय कार्य है । उचित अवधि में कृषि विहीन क्षेत्र में बीस लाख व्यक्तियों के लिये वार्षिक रोजगार की व्यवस्था करने की योजना बहुत अच्छी है ।

औसत प्रति व्यक्ति आय १,००० रुपये गिनाई गई है । इसका यह अर्थ है कि कृषि विहीन क्षेत्र में ६ अरब रुपयों का वार्षिक नियोजन होगा । कृषि विकास का ४ अरब रुपये का वार्षिक नियोजन मिलकर यह सब १० अरब रुपये बन जायगा ।

अतः वास्तविक समस्या जो हमारे और वित्त मंत्री के समक्ष आती है यह है कि यह धन कहां से आयेगा । पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य सरकारों ने भारी घाटे का आयव्ययक होते हुये भी कराधान में वृद्धि न करने की इच्छा प्रकट की है । अर्थात् यदि यही प्रवृत्ति रहती है तो वे अधिकाधिक केन्द्रीय सरकार की सहायता पर निर्भर होंगे । अतः विकास योजनाओं के लिये अर्थ-व्यवस्था करने की समस्या सरकार के लिये इस योजना तथा आगामी पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जायगा ।

हम सब जानते हैं कि हमारी चालू योजना के प्रथम तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में निश्चित व्यय का ४० प्रति शत व्यय हुआ है और व्यय का चौथाई भाग विभिन्न साधनों से प्राप्त किया गया था । योजना आयोग भी यह स्वीकार करता है कि इन साधनों पर अधिक निर्भर नहीं किया जा सकता । दूसरी ओर, भारी घाटे की अर्थ-व्यवस्था को अपनाये बिना वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त साधन प्राप्त नहीं हो सकते, और इसके लिये वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में अधिक गुंजाइश नहीं है । अतः सारी योजना एक संशयोत्पादक विषय बन जाता है ।

खाद्य परिस्थिति का भी उल्लेख किया गया है । इस दिशा में प्रशंसनीय प्रगति हुई है और मैं समझती थी कि विरोधी दलों के सदस्य स्वर्गीय खाद्य मंत्री, श्री किदवई

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

की सराहना करेंगे। श्री किदवई ने वह कार्य किया जो अन्य लोगों के लिये केवल विचार की वस्तु थी, और देश को वह चीज प्रदान की जिसका देश को विचार तक न था। वह खाद्य के लक्ष्य से आगे बढ़ गये। और यह हमारे देश की सब से बड़ी सफलता है। यदि विरोधी पक्ष यह स्वीकार नहीं करता तो यह उनकी दृष्टि का दोष है। इसके अतिरिक्त में विश्व के कार्यों में भारत द्वारा लिये गये भाग के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। सभा में चारों ओर सराहना की गई है और वास्तव में यह प्रशंसा और भी हृदय-स्पर्शी है क्योंकि विरोधी दल ने भी ऐसा ही कहा है। अब संसार के लिये यह कहना बेकार होगा कि संसार में शांति की आशायें भारत पर नहीं है जिसके कारण कोरिया, हिंदचीन और इण्डोनेशिया में यद्ध समाप्त हुये। संसार में हमारी शान्ति नीति के सम्बन्ध में बढ़ती हुई जागृति का कारण यह है कि यह युद्ध न करने के अर्थों में नकारात्मक नीति नहीं है, अपितु यह निर्धारित करती है कि अनिवार्य ही सत्य है और सत्य ही अनिवार्य है। गत वर्ष हिंदचीन में युद्ध के बादल मण्डरा रहे थे जो जेनेवा सम्मेलन के पश्चात् हट गये और वहां युद्ध समाप्त हो गया, और इसके लिये भारत ने जो भी किया है उसकी यहां पुनरावृत्ति करना अनावश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि वह विश्व-विदित है। परन्तु, दुर्भाग्यवश, स्थिति फिर बिगड़ गई है। चीनी सागरों से युद्ध के समाचार आ रहे हैं और संसार में फैल रहे हैं।

युद्ध की विस्तृत सम्भावनाओं के अतिरिक्त, संसार के समक्ष एक और अधिक जटिल तथा परेशान करने वाली समस्या है। यह एक ऐसा स्थायी समाधान खोजने की गुत्थी है जो अमरीका तथा चीन दोनों की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल हो अतः इस समय अन्तिम समाधान की चर्चा करना उचित नहीं है। अधिक से अधिक हम यह आशा कर सकते हैं कि शनैः शनैः आगे बढ़ें, और इसके लिये हमें सर्व प्रथम युद्ध-विराम का आश्वासन प्राप्त होना चाहिये। बहुत से लोग यह पूछ सकते हैं: "युद्ध नहीं हो रहा है, अतः युद्ध विराम का क्या प्रश्न है?" परन्तु इतने पर भी, युद्ध विराम के आश्वासनों से आश्चर्यजनक उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दूसरी स्थिति, औपचारिक या अनौपचारिक रूप में सम्मेलन बुलाने के उपरान्त उत्पन्न होगी। हमारे प्रधान मंत्री ने बताया था कि इस सम्बन्ध में औपचारिक सम्मेलन बुलाना अधिक उपयुक्त होगा। मेरा ख्याल है कि सम्मेलन में फारमूसा के प्रश्न पर विचार करने के पूर्व युद्ध-विराम और उसके पश्चात् चीन की मुख्य भूमि से मिले हुये छोटे छोटे द्वीपों को चीन को लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री अशोक मेहता (भंडारा): मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण निराशाजनक है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें देश में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने पर, जिसके बारे में इस सभा ने विगत सत्र में निश्चय किया था, अधिक ज़ोर नहीं दिया गया है। मैं यह आशा लगाये हुये था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कुछ उल्लेख होगा। मेरा ख्याल था कि कदाचित् इस वर्ष जबकि नवीन पंचवर्षीय योजना बनानी है, जब कि हमें नई दिशा में अग्रसर होना है, हमें अभिभाषण में कुछ संकेत मिलेगा, इन नवीन आदर्शों और नवीन आशाओं के कुछ चिन्ह मिलेंगे। परन्तु जहां तक हमारी अर्थ-व्यवस्था और हमारे समाज की समाजवादी व्यवस्था का प्रश्न है, यह

अभिभाषण दो वर्ष या बीस वर्ष पूर्व दिया जा सकता था ।

जहां तक शान्ति के लिये प्रधान मंत्री के प्रयासों का सम्बन्ध है, हम सब उनकी सराहना करते हैं । हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि अफरीका-एशियाई सम्मेलन निकट भविष्य में होगा । अब भी एशिया और अफरीका के कुछ देश ऐसे है जो विदेशी अधिकार में हैं । क्या हमारी सरकार यह कर सकेगी कि अफरीका-एशियाई सम्मेलन इन देशों की मुक्ति के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित करे ? यह देख कर निराशा होती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अफरीका-एशियाई दल को उचित तथा पर्याप्त रूप में संगठित नहीं कर सके हैं । उदाहरणार्थ, विगत सत्र में कदाचित् ही अफरीका-एशियाई दल ने कोई कार्य किया था । एशिया तथा अफरीका के स्वतन्त्र राष्ट्रों के इस सम्मेलन में केवल उच्च सिद्धान्त ही नहीं अपितु एशिया तथा अफरीका के लोगों के लिये एक ठोस सुव्यवस्थत कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिये ।

फारमूसा के बारे में राष्ट्रपति ने जो वक्तव्य दिया है उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं । उसमें उन्होंने कहा है कि चीन की मांग उचित है । यह ठीक है कि फारमूसा में अमरीकी हस्तक्षेप की किसी भी स्थिति में पुष्ठि नहीं हो सकती, परन्तु फारमूसा के लोगों के बारे में क्या बात है ? क्या हमें फारमूसा के ९० लाख लोगों को साम्यवादियों को सौंपने का अधिकार है ?

श्री हेडा (निज़ामाबाद): फारमूसा के लोगों को मत प्रकट करने दीजिये ।

श्री अशोक मेहता : राष्ट्रपति वहां के लोगों को चीन को सौंप चुके हैं । हम जानते हैं कि जब युद्ध-बन्दियों को अपना मत प्रकट करने को कहा गया था तो अनेकों युद्ध-बन्दियों ने साम्यवादी राज्य से बाहर रहना पसन्द किया था । हम यह नहीं जानते कि फारमूसा के लोग क्या चाहते हैं । जहां तक लोगों को साम्यवादी राज्य में सम्मिलित होने के लिये भेजने का प्रश्न है, इस प्रकार के अस्पष्ट वक्तव्य से हमारी स्वाधीनता आदि समाप्त हो सकती है । परन्तु जिस प्रकार हम शान्ति के सिद्धान्त के प्रति कटिबद्ध हैं, उसी प्रकार हम जनतन्त्र तथा स्वयं-निर्णय के सिद्धान्त के प्रति कटिबद्ध हैं । मैं स्वयं-निर्णय के अधिकार के मूल्य पर शान्ति स्थापित करना नहीं चाहता ।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि हम औद्योगिक आन्दोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं । परन्तु यह औद्योगिक आन्दोलन किस के मूल्य पर किया जायेगा ? पूंजीवादी तथा साम्यवादी देशों में कृषकों के मूल्य पर औद्योगिक विस्तार किया जा चुका है । शोषित कृषकों का और अधिक शोषण करके ऐसा किया गया है । क्या हम यहां भी वैसी ही ग़लतियां करेंगे ? हम इस देश में जनतन्त्रात्मक विकास का एक ऐसा ढंग बनाना चाहते हैं जिसमें कृषक का शोषण नहीं होगा अपितु वह प्रगति तथा समृद्धि दोनों में भागधारी होगा ।

उत्पादन में वृद्धि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । इसमें सन्देह नहीं कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, परन्तु दो समस्यायें शेष रहती हैं अर्थात् उद्योग की प्रयोग में न लाई गई क्षमता की समस्या और रोज़गार में सुस्ती की समस्या । हाल में प्रोफेसर सी० एन० वकील ने बताया था कि ७८ उद्योगों की १९५० से १९५३ तक के चार वर्षों के विस्तृत आंकड़े प्राप्य हैं । लगभग ५७ प्रतशित उद्योगों ने तीन वर्ष या अधिक समय तक क्षमता के ६० प्रति शत से कम पर कार्य किया । मैं नहीं जानता कि १९५४

[श्री अशोक मेहता]

में स्थिति क्या थी, क्योंकि आंकड़े प्राप्य नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि प्रयोग न की गई इस क्षमता का कितना प्रयोग किया जा रहा है ? ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करना बेकार है।

बेकारी के बारे में पर्याप्त कहा जा चुका है। मुझे केवल यह कहना है कि बेकारी विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों में फैली हुई है और वह बहुत दुखदाई है। हम देखते है कि कलकत्ता के मध्यम वर्ग के लोगों में काम में लगे हुये प्रति १०० लोगों में से ४७ व्यक्ति बेकार हैं। अन्य वर्गों में यह अनुपात १०० में २० है। जब तक कि इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती तब तक, हम लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त कर सकेंगे।

हाल में घटित हुई दो घटनाओं की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम, मनीपुर में जो घटनायें हुई हैं वे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वहां १९४७ में एक प्रतिनिधि सरकार बनाई गई थी। स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर जब कि अन्य लोग विधान सभा तथा सरकार बना रहे थे, मनीपुर को उन से वंचित रखा गया। मनीपुर के १९४७ के संविधान अधिनियम का कभी निरसन नहीं हुआ और किसी भी सक्षम प्राधिकारी ने यह नहीं कहा है कि यह हमारे संविधान के विरुद्ध है। परन्तु फिर भी, वहां की सभा भंग कर दी गई है और उस क्षेत्र को केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में माना गया है। इसका अत्यधिक विरोध हुआ है, यहां तक कि १५ नवम्बर से १५ दिसम्बर के बीच विरोध का प्रदर्शन करने वालों पर १० बार लाठी चलाई गई, ७५० व्यक्ति घायल हुये और अनेकों व्यक्ति बन्दी बनाये गये। हम संसार में शान्ति की बात करते हैं, परन्तु जहां तक हमारे ही देश का सम्बन्ध है, हम ऐसा नहीं करते। जब यहां प्रश्न किये जाते हैं, तो हमें पर्याप्त उत्तर नहीं मिलता। अब तक मैं यह नहीं जानता कि मनीपुर के जो लोग आहत हुये हैं उनके उपचार के लिये क्या किया जा रहा है।

अब मैं त्रावणकोर कोचीन की हाल की घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। वहां पर आंध्र से सर्वथा भिन्न रवैया अपनाया गया। यद्यपि मुझे साम्यवादी पसन्द नहीं हैं, पर विधान सभा के विघटन के पहले उन्हें सरकार बनाने के लिये बुलाया जाना चाहिये था। उसी प्रकार त्रावनकोर में भी या तो विधान सभा को विघटित करके पट्टम मंत्रालय को चलने देना चाहिये था, या दूसरे दल को बुलाना चाहिये था। आन्ध्र में विधान सभा विघटित कर दी गयी और त्रावनकोर में नहीं की गई, क्योंकि ऐसा करने में कांग्रेस का हित था। प्रजातन्त्र के खेल में हमें दल के हित के लिये ऐसे दांव-पेच काम में नहीं लाने चाहियें। यदि हमें एशिया और अफ्रीका के देशों का और दुनिया का विश्वास प्राप्त करना है तो हमें अडिग सिद्धान्तों को ही अपना आधार बनाना चाहिये। दल विशेष के हित के लिये हमें अपनी उस आधार-शिला का सर्वनाश नहीं कर देना चाहिये।

इस चर्चा में प्रधान मंत्री भी भाग ले रहे हैं, मैं गोआ के बारे में उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सालाज़ार सरकार से कोई बातचीत चल रही है ? मैं जानता हूं कि उस सरकार के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है। तो फिर आप उसके ऊपर आर्थिक-रोक क्यों नहीं लगाते ? प्रधान मंत्री ने तो यह सलाह ही दी थी कि भारतीय नागरिक गोआ-सत्याग्रह में भाग न लें, पर मोरारजी सरकार ने १५ अगस्त

को दमन जाने वाले १५०० स्वयंसेवक पकड़ लिये। यदि इस बारे में हम सरकार की नीति विदित हो जाये, तो मैं समझता हूं कि गोआ को स्वाधीन कराने के लिये इस सभा के अनेक सदस्य गोआ के लिये कूच करना पसन्द करेंगे।

श्री अलगूराय शास्त्री (आज़मगढ़ ज़िला—पूर्व व बलिया ज़िला—पश्चिम): इससे अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें पैदा होंगी।

श्री अशोक मेहता : यह नहीं कहा जाना चाहिये कि सरकार की शान्ति-नीति की वृहत्तर कीर्ति के कारण प्रादेशिक अखंडता और स्वतन्त्रता की पूर्णता को खतरे में डाल दिया गया है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में समाजवादी ढांचे का उल्लेख किया है, पर हमारी गतिहीन अर्थव्यवस्थ में परिवर्तन के लिये कोई सुझाव नहीं दिया गया है, न यही बताया गया है कि उसे कैसे ठीक किया जायेगा। कृषि सम्बन्धी कच्चे माल के दामों के लगातार गिरते जाने और बने हुये सामानों के दाम बढ़ते जाने के कारण मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार एक ओर मुनाफे बढ़ रहे हैं, और दूसरी ओर समाजवादी ढांचा चल रहा है। हमें अपने आगामी बजट में इन मुनाफों पर रोक लगानी चाहिये। यदि हम अपने बजट में यह नहीं करते, तो हमें लोगों को धोखे में डाल कर देश में निराशा के बीज नहीं बोने चाहियें।

आर्थिक समानता के प्रश्न पर कांग्रेस कार्य समिति ६-७ मार्च को विचार करने जा रही है। आर्थिक समानता समाजवाद ही नहीं है बल्कि गांधी जी के सिद्धान्तों का भी निचोड़ है। गान्धी जी के कारण ही आप लोगों को यह ऊंचा स्थान मिला है और आपके कार्यों का निर्णय आर्थिक-समानता प्राप्त कराने में आपकी सफलता के द्वारा ही किया जायेगा।

कलकत्ता के ७५ प्रतिशत व्यक्तियों की मासिक आय १०० रुपये से कम है। दिल्ली में दिल्ली क्लाथ मिल के प्रबन्धक एजेंट को प्रति वर्ष २१ लाख रुपये मिलते हैं। भारत में ऐसे बारह प्रबन्ध एजेंटों को कुल मिला कर ५ करोड़ रुपये मिलते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री के० सी० रेड्डी भी अनेकों उद्योग चलाते हैं, आप उन्हें भी चार-छ-आठ लाख रुपये प्रति वर्ष क्यों नहीं देते? यदि वह कुछ हज़ार रुपये मासिक के काम चला लेते हैं, तो लाला श्रीराम आदि को इतना अधिक क्यों दिया जाये? अपने विनियोजन के लिये मुनाफे तो उनको मिलते ही हैं, पर मिल चलाने के लिये इतनी राशि क्यों दी जाये? बताया गया है कि सरकार इन प्रबन्धक एजेंटों को हटाने के लिये एक विधेयक बनायेगी, पर उसे विश्वविद्यालय अनुदान विधेयक बनाने में ही पांच वर्ष लगे हैं, और प्रायः प्रत्येक काम में उसे पांच वर्ष लगते हैं। शायद समाजवादी ढांचे के लि हमें राष्ट्रपति के १९७५ के अभिभाषण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमें इन बातों की ओर पक्षपात दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। आज एशिया और अफ्रीका के लाखों व्यक्ति एक आशा ले कर हमारी ओर देख रहे हैं और मुझे आशा है कि इस भाग्यपूर्ण वर्ष में हम अपने आपको उस विश्वास के योग्य सिद्ध कर सकेंगे।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) आज हम प्रजातंत्र की एक महती प्रवंचना पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभिभाषण के वक्ता उसकी विषय-वस्तु के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। उसके लिये कांग्रेस मंत्रिमंडल उत्तरदायी हैं, बल्कि वे भी नहीं, केवल प्रधान मंत्री ही इसके लिये उत्तरदायी हैं।

[डा० एन० बी० खरे]

प्रान्तों के भाषावार वितरण के बारे में मुझे यही कहना है कि यदि वे अपरिहार्य हैं, तो उ[illegible] ना चाहिये । परिहृत उन्हें [illegible] जाये, तो [illegible] प्रार्थना करूंगा कि सभी प्रान्तीय सरकारों और विधान मंडलों को भंग करके एक एकात्मक सरकार बनाई जाय, जिसमें भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासन के आधार पर कुछ महाखण्ड हों । आप दोनों में से एक चीज अपना लें । अपने सिख भाइयों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपना भविष्य पंजाब के एक टुकड़े में ही न देखें, बल्कि वृहत दृष्टिकोण रखते हुए सारे भारत को ही अपना क्षेत्र समझें ।

इस विषय में पागलपन, आवेश और प्रमादपूर्ण बातों की आवश्यकता नहीं है । हमारी नीति इस विषय में नितांत स्पष्ट है । कांग्रेस ही चुनाव जीतने के लिए हिन्दू और सिखों के बीच फूट डालना चाहती है । हम तो सिखों को अपने भाई मानते हैं और राणा प्रताप, शिवा जी और बाजी राव की भांति ही गुरु गोविन्द सिंह और गुरु तेग बहादुर का आदर करते हैं ।

मातृभाषा पर प्रान्तों का आधारित होना बुरा नहीं है, यदि उसके पीछे दूसरी बातें न हों । मेरे पूर्व वक्ता मित्र ने कहा था कि उनके समुदाय में, जो कुल एक प्रतिशत है, सबसे अधिक क्रांतिकारी पैदा हुए हैं । मैं कहूंगा कि मेरा समुदाय, जो $^1/_{100}$ प्रतिशत से भी कम है, क्रांतिकारियों को पैदा करने में और भी आगे रहा है । पर इन युक्तिहीन बातों से कोई लाभ नहीं है ।

हमारा पंचशील घर में धमकाना दमन, विनाश, और मारने पीटने और गोली चलाने में और विदेश में बातचीत चलाने में है ।

फारमोसा चीन से १५० मील दूर है, पर हम मान लेते हैं कि वह चीन का अंग है, पर वही बात हम गोआ के विषय में नहीं कह सकते । हमारे प्रधान मंत्री भारतियों को गोआ में जाने भी नहीं देना चाहते ।

कहा जाता है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नीति का वर्णन हिन्दी की निम्न कहावत से किया जा सकता है : —

घर में नहीं है खाने को
और अम्मां गई चने भुंजाने को ।

दूसरी ओर हमें सभी जगह परेशानी हो रही है । हम लंका से भगाये जा रहे हैं । बर्मा में हम अपना सब कुछ खो चुके हैं । हम आस्ट्रेलिया में नहीं जा सकते और दक्षिणी अफ्रीका में हमारे साथ घृणा की जाती है और हमें नष्ट करने की चेष्टा की जाती है ।

क्या हमारी नीति बहुत अच्छी है——

घर में अंधेरा, सराय में चिराग ।

अभिभाषण में पूर्वी पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यद्यपि वहां से लोगों का भागना सामान्य से तिगुना बढ़ गया है । आर्थिक दिक्कतों के कारण उनको वहां से भागना पड़ रहा है और हम उन लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हैं । हमें उनको इस देश में घुसने भी न देना चाहिए ।

काश्मीर की संविधान सभा के अनुसार काश्मीर का भारत में विलय सर्वथा पूर्ण हो चुका है । वह कहते हैं कि फारमोसा चीन का है । क्या यही बात हमारे प्रधान मंत्री काश्मीर के बारे में नहीं कह सकते ।

कहा गया है कि पाकिस्तान में हृदय परिवर्तन हो गया है और मैच देखने के लिए जाने वाले भारतीयों का खूब स्वागत किया गया था। मुझे कभी भी यह विश्वास नहीं हो सकता कि पाकिस्तानियों का हृदय-परिवर्तन हो सकता है।

आन्ध्र में चुनाव के समय अपनाये गये अनुचित तरीकों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था। मैं ने मध्य भारत में भिलसा में चुनाव होते हुए देखे थे, वहां सभी अनुचित तरीके अपनाये गये थे। ये नारे भी लगाये गये थे :—

"मर्यादा पुरुषोत्तम श्री जवाहरलाल नेहरू जी को वोट दो।"

हमारी नीति संविधान के अनुसार काम करने की है, पर आप एक संप्रदाय को खुश रखने के लिये संविधान के अनुच्छेद ४८ को कार्यान्वित नहीं करते। गुड़गांव में उसी संप्रदाय के कुछ लोगों तक ने कहा है कि वे गो हत्या नहीं चाहते।

"सहयोगात्मक राष्ट्रव्यवस्था (कोमनवैल्थ)", "गान्धीवादी तरीका," "मिली-जुली अर्थव्यवस्था" और अंत में "समाज का समाजवादी ढांचा" जैसे शब्द हमें सुनने को मिले हैं। आप स्पष्ट "समाजवाद" शब्द क्यों नहीं कहते? आप जनता को धोखे में क्यों डालना चाहते हैं? यह धोखेबाजी चल नहीं सकती।

अभिभाषण में ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो जनसाधारण में जोश भरे और इनकी तकलीफें दूर कर सके। मैं इस अभिभाषण की प्रशंसा नहीं कर सकता।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्): राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेने के पहले मैं श्री अशोक मेहता द्वारा निर्दिष्ट त्रावनकोर-कोचीन के प्रश्न के बारे में कुछ कहूंगा। मेरा कर्त्तव्य है कि सच्ची स्थिति इस सदन के सामने स्पष्ट कर दूं। श्री अशोक मेहता का संशोधन इस पर खेद प्रकट करना चाहता है कि भारत सरकार ने त्रावनकोर कोचीन राज्य में कांग्रेस दल को सत्तारूढ़ होने में सहायता दी है। पर भारत सरकार का प्रश्न ही नहीं है, विधान सभा को विघटित करने या न करने का निश्चय राजप्रमुख के हाथ मे था। श्री अशोक मेहता ने यह शिकायत की है कि त्रावणकोर में भी आन्ध्र जैसी ही स्थिति थी, और वहां आन्ध्र से भिन्न रवैया अपनाया गया। बात ऐसी न थी। आन्ध्र के बारे में संकल्प पारित करते समय इस सदन में यह मान लिया गया था कि पदत्याग करने वाले प्रधान मंत्री का विधान सभा के विघटन के सम्बन्ध में परामर्श मान लेने के लिये राज्यपाल या राजप्रमुख बाध्य नहीं है। यदि सम्भव हो, तो वैकल्पिक सरकार बनाने की सम्भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिये। आन्ध्र में प्रजासमाजवादी दल और एक-दो साम्यवादियों ने भी यही बात कही थी कि राज्यपाल के लिये एक मात्र रास्ता विधानसभा को विघटित कर देना ही रह गया। आन्ध्र में साम्यवादी ही सरकार बनाना चाहते थे और प्रजा समाजवदी दल उनकी सहायता नहीं करना चाहता था। मंत्रिमंडल भी काम चलाने को तैयार न था। त्रावनकोर में कांग्रेस दल के ४६ सदस्य थे, और तामिलनाद कांग्रेस दल के और दो स्वतन्त्र सदस्यों ने उसे सहायता देने का वादा किया था। फिर १८ सदस्यों वाले प्रजा समाजवादी दल को छोड़ कर कोई भी दल विधान सभा के विघटन का समर्थक न था। साम्यवादी दल भी विघटन न चाहता था, बल्कि २७ सदस्यों की संख्या के बल पर सरकार बनाना चाहता था, जो सम्भव न था। अतः १८ सदस्यों वाले समाजवादी दल को छोड़ कर सभी दल और स्वतन्त्र

[श्री ए० एम० थामस]

सदस्य भी विघटन के पक्ष में न थे, बल्कि वैकल्पिक सरकार बनने के पक्ष में थे ।

जब कांग्रेस दल ने त्रावनकोर–कोचीन में सरकार बना ली तभी साम्यवादी दल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सभा का विघटन कर देना था । इस से पूर्व इसी दल का तर्क यह था कि मंत्रिमंडल बनाने के लिये उसे अवसर मिलना चाहिये था । प्रजा समाजवादी दल के मंत्री ने भी यही कहा था कि साम्यवादी दल के कारण ही कांग्रेसी मंत्रिमण्डल सत्तारूढ़ हो सका था । यहां यह कह देना भी उचित होगा कि यद्यपि सभा में कांग्रेस की शक्ति ४५.३ प्रतिशत थी परन्तु उन्होंने प्रजासमाजवादी दल की मंत्रिमंडल बनाने में सहायता की थी जब कि इस दल के कुल सदस्य १८ थे । कांग्रेस दल का समर्थन न रहने पर इस दल ने त्यागपत्र नहीं दिया यद्यपि आचार्य कृपालानी तक ने इस बात का आश्वासन दिया था । प्रजा समाजवादी दल ने दल बन्दी में जो कलुषित कार्य किया वह यह था कि जिन ३५ व्यक्तियों को वे मुक्त करने के लिये तैयार नहीं थे वे २७ जनवरी को मुक्त कर दिये गये थे । उन ३५ व्यक्तियों को आजीवन कारावास और अन्य कालावधियों के कारावास का दण्ड दिया गया था । गत सभा में जब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था तो साम्यवादी दल ने उन लोगों को मुक्त करने के लिये अनुरोध किया था । मुख्य मंत्री अपना निश्चय व्यक्त कर चुके थे कि उन्हें मुक्त नहीं किया जा सकता परन्तु उन्होंने साम्यवादी दल को प्रसन्न करने के लिये और सत्तारूढ़ रहने के लिये सिद्धान्तों को तिलांजली दे दी । इस पर भी वह सरकार चल नहीं सकी मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा जब कुछ व्यक्तियों को मुक्त कर दिया गया तो उसके पश्चात् प्रस्तुत किये गये अविश्वास प्रस्ताव का बहुमत ने समर्थन किया । यह ध्यान देने की बात है कि उस समय साम्यवादी तटस्थ रहे । तब मंत्रिमंडल के पास केवल त्यागपत्र देने का ही विकल्प रह गया था । माननीय सदस्य इस से स्वयं त्रावनकोर-कोचीन राज्य के राजप्रमुख के कृत्य के न्यायोचित्य का निर्णय कर सकते हैं ।

अभिभाषण के सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता ने कहा है कि उस में विश्व की घटनाओं के सम्बन्ध में अधिक कहने की प्रवृत्ति दिखाई गई है । हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारा देश स्वतन्त्र है और हम सामान्य विषय की चर्चा में विदेशी मामलों की चर्चा का परिहार नहीं कर सकते । विश्व की उथल पुथल में हम अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते । श्री मोलोतोव ने रूस की महा सभा में स्वयं कहा था कि "भारत का अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकार शान्ति संघटन में बहुत महत्वपूर्ण सहायक है, और उन्होंने आशा प्रकट की है कि "पाकिस्तान और लंका भी भारत की तरह वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेंगे ।"

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : राष्ट्रपति का जो भाषण है वह कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें वे सारे हालात और वे सारी घटनायें बतायीं जायं जिनका कि हमारे बहुत से मित्रों ने ज़िक्र किया है । यह एक ऐसा भाषण है कि जिसमें गवर्नमेंट ने—राष्ट्रपति की गवर्नमेंट ने—जो कुछ भी किया है और भविष्य के लिये जो भी कार्यक्रम बनाया है, जो नीति निर्धारित की है, उसका एक दिग्दर्शन मात्र है और हम को उसी के अनुसार इस चीज़ को देखना है । इस समय मैं दो बातों के सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

कामनवेल्थ के सिलसिले में हमारे कुछ मित्रों ने ऐतराज़ किया है कि कामनवेल्स

के साथ रिश्ता होने से, सम्बन्ध होने से, हम उस को कोई नैतिक बल दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात जो कही गयी है तो किस नीति को वह बतलाना चाहते हैं। एक तरफ़ तो दुनिया में युद्ध का विरोध करने के लिये और शान्ति की स्थापना करने के लिये खुद रूस से और चीन से यह आवाज़ उठती है कि हम को दुनिया में कोई ब्लाक नहीं बनाना है और वह जो खतरनाक हथियार जारी हुये हैं उनका इस्तेमाल रोकने के लिये और युद्ध को रोकने के लिये हम अमरीका से भी हाथ मिलाना चाहते हैं, इंगलैंड और फ्रांस से भी हम हाथ मिलाना चाहते हैं। हम दुनिया की बड़ी ताक़तों को एक जगह इकट्ठा करके बिठाना चाहते हैं ताकि वह शान्ति के मसले पर गौर करें और इस क़िस्म के खतरनाक़ हथियारों को बनाने से, उपयोग करने से और जो कुछ भी उसका भंडार है उसको खत्म करने के लिये और तमाम जगहों पर निशस्त्रीकरण की नीति को लाने के लिये हम इसको डिसकस करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के मसले पर जो ऐफ्रो-एशियन कान्फ्रैन्स हो रही है, जिसके अन्दर रेशियलिज़्म, कौलोनियलिज़्म, इम्पीरियलिज्म और नैटो—येसारी चीज़ आती हैं उनका समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ़ एक ग्रुप चाहे वह कामनवेल्थ के नाम से हो, चाहे वह एशियन कंट्रीज़ के नाम से हो या ऐफ्रो ऐशियन कंट्रीज़ के नाम से हो, को एग्ज़िस्टैन्स की पालिसी का मुतालिबा करते हुये अगर कामनमसलों के ऊपर एक जगह बैठ कर गौर करें तो इसमें क्या ऐतराज़ की बात हो सकती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार इस बात को कहा है कि कोई ऐसी घटना बतलायें जिसमें कामनवेल्थ के साथ रहने से हम अपनी नीति से अलग हटे हों, हमने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमने अपने देश की शान को घटाया हो या हमने कोई ऐसा काम किया हो या किसी ऐसी चीज़ का समर्थन किया हो जिससे दुनिया की शांति को खतरा पहुंचा हो। कामनवेल्थ कांफ्रेंस में जब 'सीटी' का मसला आया उस वक्त हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसका समर्थन नहीं किया। इसलिये हम या तो यह नीति निर्धारित करना चाहते हैं कि हम एक को दुश्मन क़रार दें, हर शख्स के ऊपर शक़ करें और फिर उससे लड़ाई करें, उसका नतीजा यही निकलेगा। अगर हम इस नीति को निर्धारित करेंगे कि लड़ाई हो लेकिन अगर हम लड़ाई नहीं चाहते तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से यह सवाल उठ सकता है कि हम किसी को दुश्मन क़रार दें। अपनी नीति हम बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम हर एक के साथ हाथ बढ़ा कर और दोस्ती का हाथ बढ़ा कर मिलाना चाहते हैं लेकिन हम अपने उसूलों को निछावर नहीं करना चाहते हैं। हम अमरीका के दोस्त, रूस के दोस्त, हर मुल्क के हम दोस्त हैं लेकिन हम दोस्त नहीं हैं उन लोगों के जो दूसरी क़ौमों की आज़ादी को खतरे में डालते हैं। हम दोस्त नहीं हैं उनके जो दुनिया को फिर से युद्ध की ज्वाला में ढकेलना चाहते हैं। इस नीति को जब हम साफ़ कर चुके हैं तो उसके बाद यह ऐतराज़ अपनी जगह पर क़ायम नहीं रहता है और मैं चाहता हूं कि हमारे भाई जो इस कामनवेल्थ की बात को बार बार कहते हैं ज़रा इस बात पर ग़ौर करें और अपने कहने के तरीक़े को और समझने के तरीक़े को ज़रा फिर से दुहरायें क्योंकि जब वे इस तरीक़े की बात कहते हैं तो जो लोग शान्तिप्रिय हैं, जो लोग उनकी इस शान्ति की नीति में समर्थन करना चाहते हैं उनके दिलोदिमाग़ में एक हलचल पैदा हो जाती है। एक तरफ़ वह यह सोचते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि हम एक तरफ़

[पंडित सी० एन० मालवीय]

तो निगोशियेशंस की बात करते हैं, समझौते की बात करते हैं और दूसरी तरफ़ हम शुरू से क़रार देते हैं कि फलां हमारे दुश्मन हैं । अमरीका ने जिस वक्त जिस जिस तरीक़े से हमारा साथ दिया, तो हमने उसकी तारीफ की लेकिन जिस वक्त काश्मीर में साजिश पकड़ी गयी, जिस वक्त पाकिस्तान से समझौता किया गया, तो हमने किसी प्रकार की कोई मरव्वत नहीं करती । हमने स्पष्ट रूप से उस 'सीटो' कान्फ्रेंस के बारे में जो एक तरह की डिफेंस आरगेनाइज़ेशन बनी, साफ़ अपनी राय ज़ाहिर की । आप कहते हैं कि इसमें कोई ज़िक्र नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस भाषण को देखा जाय तो आज अन्तर्राष्ट्रीय दुनिया में जो सब से बड़ी ज़रूरत है उसका पूरी तौर वे इसमें ज़िक्र किया गया है और एक लीड दी गयी है और मार्ग दर्शन किया गया है । इसमें कहा गया है कि ऐफ्रो-ऐशियन कान्फ्रेंन्स जो हो रही है यह अफ़रीका और ऐशिया की बहुत सी समस्याओं को हल करने वाली है । उसमें इसका समर्थन है जिसमें कि खुद रूस और चीन जैसे कई प्रगतिशील राष्ट्रों ने भी उसका समर्थन किया है । सारा भारत आज इस वक्त विश्व के साथ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें आगे बढ़ रहे हैं । जो हाइड्रोजन और ऐटम बम जैसी खतरनाक़ चीज़ हैं और जो विश्व की शान्ति के लिये गम्भीर खतरा हैं और जैसे कि जैनेवा की कान्फ्रेंस हुई थी उसी तरह से फ़ारमोसा के बारे में सब राष्ट्र मिलें और दूसरे जोर भी जो मसले हैं उनके ऊपर भी इसी तरीक़े की चीज़ होनी चाहिये ।

इसके बाद आर्थिक नीति के बारे में वे कहते हैं । अनइम्पलायमेंट की बात को कहते हुये हमारी बहिन रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में अनइम्पलायमेंट का कहीं भी ज़िक्र नहीं है । मेरा कहना यह है कि ऐतराज़ वह होना चाहिये जो गले उतरे, लेकिन ऐतराज़ सिर्फ एतराज़ के लिये करना दूसरों के गले नहीं उतरता है । अनइम्पलायमेंट का इसमें एक ज़गह नहीं दो, तीन जगह ज़िक्र है और मैं नहीं समझता कि कहां से आपने इस नतीजे को निकाला कि हम अनइम्पलायमेंट की समस्या को महसूस नहीं करते हैं । हमने कभी नहीं कहा कि हम बेकारी की समस्या को महसूस नहीं करते हैं । हमारा तो यह दावा है कि हमने देश को जिन हालात में पाया, उनमें यक़ीनन हमने तरक्क़ी की है और हम आगे बढ़े हैं और हिन्दुस्तान के लोगों में आयन्दा के लिये आगे मिल कर क़दम बढ़ाने की जुस्तजू पैदा हुई है, उनमें सेल्फ रिलायेंस पैदा हुआ है । इसमें कोई शक़ नहीं कि बेकारी कोई जादू के डंडे के जोर से तो भगायी नहीं जा सकती है । इसके लिये साफ़ कहा है कि संविधान में अगर हमको तबदीली करने की ज़रूरत हुई तो राष्ट्रपति ने साफ़ तरीक़े से पार्लियामेंट के मेम्बरों को कहा है कि आप देखिये और जो अमेंडिंग बिल आने वाला है आप उस पर गौर करें और जो लोग समाज के दुश्मन हैं वे कांस्टीट्यूशन की आड़ लेकर यदि किसी तरह से हमारे रास्ते में रुकावट डालते हैं, तो हम अपने कांस्टीट्यूशन को दलने को तैयार हैं । बेकारी को दूर करने का दूसरा तरीक़ा उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीयलाइजेशन का बतलाया । हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिये सेकेंड फाईव इयर प्लान का भी उसमें ज़िक्र है । पिछले १५ वर्ष में जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है, वह भी हमारे सामने है और जितनी ज़रूरत थी उस के लिये हमने जोर दिया है । जहां तक हमारे सामने ध्येय और आदर्श की बात है, हमने अपने आदर्श को ज़रा साफ़ किया हैं । मैं नहीं समझता कि

ऐसा हमारे करने में आपको क्या ऐतराज़ हो सकता है। अगर हम यह कहते हैं कि हम अपने देश में सोशलिस्ट पैट्र्न की समाज व्यवस्था चाहते हैं और आज जो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और शक़ की नज़र से देखते हैं तो मैं कहूंगा कि उनका शक़ बेबुनियाद है क्योंकि जैसा हमारा पिछला तजुर्बा रहा है कि जिस तरीक़े से आपने हमारी बहुत सी चीज़ों को कंडैम किया लेकिन आज धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों पर हम एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं उसी तरह इसमें भी समर्थन करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि हम सब एक ऐसी फ़िज़ा बनायें ताकि हम लोग नई नई जातियों में बंट न जायें और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमने अपने देश में जाति-पात के भेदभाव को खत्म किया है उसी तरह से राजनीतिक जातिपात खत्म करें। एक दूसरे को अछूत क़रार देना, इस तरह की अलग अलग ंटने को नीति से हम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हम भारतवर्ष में एक ऐसा वातावरण बनायें जिसमें हम प्रोग्राम और नीति के आधार पर भले ही अलग अलग पार्टियां बनायें लेकिन अगर कोई हमारा क़ौमी मसला हो जैसे कि दुनिया में शान्ति क़ायम करने का मसला है, या हमारा आर्थिक मसला है, इन मसलों पर हम स एक दृष्टि से सोचें और व्यवहार करें और ऐसे मसलों पर हमें पार्टी प्रस्टिज का ख्याल छोड़ कर सब को एक साथ मिल कर, सारी पार्टियों को मिला कर इन मसलों पर गौर करना चाहिये। शांति प्रयत्नों में और उसके हेतु जो ऐफ्रो-ऐशियन कान्फ्रैंस हो रही है, युद्ध के खिलाफ़ जो बातें हो रही हैं, उनमें और अन्तर्राष्ट्रीय नीति में अगर हम एक साथ आ सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं तो देश की जो पंच वर्षीय योजना है, क्या उसमें सारी बातें खराब हैं, क्या उसमें एक बात भी ऐसी नहीं है कि जिससे आप सहमत हों? क्या गवर्नमेंट ने जो कुछ भी आर्थिक नीति निर्धारित की है, उसमें सारी की सारी बातें खराब हैं? मैं नहीं समझता कि जिन से आप का विरोध नहीं है उनके सम्बन्ध में आप हम से हाथ क्यों न मिलायें? लेकिन जिस चीज़ में आप हमारा समर्थन करते हैं, जिस चीज़ को आप खुद कहते हैं कि वह होना चाहिये, उस के लिये कौन सी चीज़ है, कौन सी वजह है जो हम को और आप को अलग रखती है एक दूसरे की मदद करने से, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह कहना कि हम तो समर्थन करना चाहते हैं, हम साथ देना चाहते हैं, लेकिन हमारा साथ लिया नहीं जाता है, यह बात सही नहीं है। अगर कोई ऐसी बात भी हो तो भी आप को हमारा साथ देना चाहिये और आ कर बतलाना चाहिये कि यह बात गलत है। फाईव इअर प्लान जिस वक्त बना था उस वक्त ही गवर्नमेंट बेन्चेज़ से, जो हमारे ज़िम्मेदार मिनिस्टर्स हैं उन की तरफ़ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ़ से साफ़ तरीक़े से सब का स्वागत किया गया था कि यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यह क़ौम को ऊंचे उठाने का सवाल है, आइये खड़े हो कर हमे अपनी क़ौम को आगे बढ़ाने के लिये साथ दीजिये। लेकिन जो कुछ हो गया हो गया। आज भी हम समझ सकते हैं और हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप हमारा साथ दें। अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक हो सकते हैं तो कौम को आगे बढ़ाने में साथ क्यों नहीं हो सकते हैं। आप जिस सोशलिस्ट पैटर्न को लाना चाहते हैं, जिस की आप बात करते हैं उस के लिये आप को हालात पैदा करने चाहिये ताकि हम भी सोशलिज़्म की तरफ़ बढ़ें, न कि आप हमारे शक़ का इज़हार करें, न कि आप शुरू से ही हम को कंडेम करना शरू कर दें, बुराई करना शुरू कर दें। आज जो

[पंडित सी० एन० मालवीय]

सोशलिज्म की तरफ़ बढ़ रहे हैं उन को आप एक तरह से कम हिम्मत करें ऐसा नहीं होना चाहिये । लेकिन हमारे जो फैसले हैं उन पर आप की किसी बात का असर पड़ने वाला नहीं है । हम ने जो कुछ इरादा किया उस को पूरा किया और आगे पूरा करते चले जा रहे हैं । आप शक़ करेंगे तो कल खुद आप को नदामत उठानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि हां, जो तुम कह रहे थे वह सही है । हम ने जब यह कहा है कि हम सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ जा रहे हैं तो हम उस में यक़ीनन ईमानदार हैं और हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि हम उस को ले आयेंगे ।

मैनेजिंग एजेंसी के सिलसिले में आप कहते हैं । आप देखेंगे कि आप के सामने वह समस्या आने वाली है । हम ने इस सिलसिले में पूरे तौर से फैसला कर लिया है और हम उस पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ।

एकानामी की ईक्वैलिटी के बारे में जो हमारी पालिसी है उस के बारे में हमारी टैक्सेशन की नीति द्वारा आप को बतलाया गया कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं ।

इसी तरह गोआ के बारे में आप कहते हैं कि हम आगे बढ़ें । वह नाम लेते हैं शान्ति का और शान्ति के नाम पर युद्ध चाहते हैं । शान्ति के नाम पर जंग चाहते हैं । लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से फ्रेंच पजेशन्स के सिलसिले में हमारा फ़ैसला हुआ है उसी तरीक़े से यक़ीनन गोआ का मसला भी हल होगा जिस का राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में ज़िक्र किया है ।

इसलिये इस भाषण में तमाम चीज़ें हैं जिन की हमें जरूरत है । और चूंकि सब मौजूद हैं इसलिये मैं पूरी ताक़त से उस का समर्थन करता हूं । कहा गया कि इस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन को कहा जाना चाहिये था और जो नहीं कही गयी हैं । लेकिन अगर उस में पाकिस्तान और काश्मीर का ज़िक्र नहीं किया गया है तो वह करीने मसहलत ही है । उन का ज़िक्र नहीं करना चाहिये था । इस का सबब यह है कि हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिस से कि हम आगे चल कर नुक्सान उठायें । आज हमारी जो पालिसी है वह बहुत मज़बूत है । इसलिये जो मेरे मित्र श्री टी० एन० सिंह ने प्रस्ताव रक्खा है उस का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : मैं सब से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कुछ वैदेशिक नीति के बारे में कहा गया है उस का ज़िक्र करना चाहता हूं । हाउस में जब से इस विषय पर बहस चल रही है सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं और यह हमारी खुशक़िस्मती है कि जहां तक वैदेशिक नीति का ताल्लुक़ है सभी पार्टीज के मुख्य नेताओं ने उस की एक मुख से प्रशंसा की है । जब कहीं पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं, तो कुछ नुक्ता चीनी भी अवश्य की है, लेकिन उस को कुरेदने से ऐसा मालूम होता है कि वह सिर्फ नुक्ता-चीनी के लिये ही किया है ।

मेरे कुछ भाइयों ने कल इस तरफ़ ध्यान दिलाया था कि हमारे प्रधान मंत्री लन्दन में कामनवेल्थ कान्फ्रैन्स में गये और उन का यह ख़याल था कि ऐसा करना उन ताक़तों को मज़बूत करना है जो कि दुनियां में शोषण पैदा करती हैं और हमारी नीति के अनुसार प्रधान मंत्री को वहां नहीं जाना चाहिये था । साथ साथ उन की यह भी ख्वाहिश है कि दुनियां में युद्ध ख़त्म किया जाय और शान्ति लाई जाय । जब हमारे प्रधान मंत्री

चीन का दौरा करते हैं या रूस जाने की बात कहते हैं तो वह लोग बड़ी ख़ुशी से उस का आह्वान करते हैं । मगर जब उसी तरह से हमारे प्रधान मंत्री अपने ख्यालों का प्रचार करने के लिये दुनियां को अपने साथ लेने के लिये, दुनियां को युद्ध के रास्ते से हटा कर शान्ति के रास्ते की तरफ़ ले जाने के लिये, दूसरी तरफ़ जाते हैं तो उन के दिल में खलबली मच जाती है और इस सिलसिले में वह तरह तरह की नुक्ताचीनी करने लगते हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक तरफ़ जब हम ऐसी नीति की घोषणा करते हैं कि हम किसी भी ऐसी ताक़त के साथ नहीं हैं जो हमें युद्ध की तरफ़ ले जाती है और हम अपने आप को शान्ति की तरफ़ बढ़ाना चाहते हैं तो यह कैसे हो सकता है कि हम एक ताक़त की तरफ़ जायें तो हम ख़ुशी का इज़हार करें और दूसरी ताक़त की तरफ़ जायें तो हम असन्तुष्ट हो जायें और नुक्ताचीनी करने लगें । इस में मुझे सिर्फ एक ही नियत मालूम होती है कि हमारे वह भाई चाहते हैं कि हिन्दुस्तान उन ताक़तों के साथ या उन ख्यालों के साथ जुड़ जाय जिस का हम ने कठोर विरोध किया है, जिस के लिये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यह कह कर बताया है कि हम किसी भी ताक़त के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते क्योंकि जो ताक़तें इस वक्त दुनियां में आपस में कशमकश पैदा कर रही हैं उन का एक ही मक़सद है । वह नाम लेती हैं शान्ति का लेकिन तैयारी करती हैं युद्ध की । वह ऐसे काम करती हैं कि लामुहाला हमारे क़दम युद्ध की तरफ़ बढ़ते हैं । तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि वह इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हमारे रास्ते में हज़ार कांटे क्यों न बिछे हों, हज़ार मुसीबतें क्यों न खड़ी हों, हज़ारों दिक्क़तों का सामना हमें क्यों न करना पड़े, हम शान्ति की नीति से बंधे हैं दुनियां की सारी ताक़तों का मुक़ाबला कर के भी हमारी नीति वही रहेगी जिस से हम समझत हैं कि दुनियां की ताक़तों से अपने को बचा कर हम दुनियां को युद्ध ख़त्म करने की तरफ़ ले जा सकते हैं । इसलिये मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सब से बड़ी बात जो आज हमारे देश के लोगों के सामने है, दुनिया के सामने है, वह हमारी वैदेशिक नीति है ? मुझे कभी कभी ऐसा ख़याल होता है कि जब कभी हम उस की प्रशंसा सुनते हैं और हमारी आप के सामने हक़ीक़त को बयान करने की ख्वाहिश होती है तो एक झिझक सी होती है, कि कहीं ऐसा न हो कि इस नीति को आप के सामने रखते वक्त लोगों का यह ख्याल हो कि हम ख़ुशामद कर रहे हैं । सच बात तो यह है कि आज हमारी वैदेशिक नीति ने दुनिया के लोगों को इस क़दर अपनी तरफ़ खींचा हुआ है और उस ने इतनी कशिश पैदा कर ली है कि जिस को बयान नहीं किया जा सकता है । वह ऐसी नीति है कि अगर उस को लोग हक़ीक़त की बुनियाद पर अपने भाइयों के सामने बयान करने लगें तो हमें जहां ख़ुशी होती है वहां यह झिझक भी होती है कि शायद दूसरे लोगों को यह न मालूम होने लग जाय कि हम अपने प्रधान मंत्री की ख़ुशामद कर रहे हैं ।

मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने क़रीब क़रीब अपने आधे भाषण में इस बात पर ज़ोर दिया है कि आज हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति विदेशों में और अपने देश में भी एक ऐसी भावना और ऐसी प्रेरणा की प्रेरक है कि जिस से हम सही मानों में शान्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, वह ऐसी नीति है जिस का कोई भी सही दिमाग़ का आदमी समर्थन किये बिना नहीं रह सकता । जो भी नुक्ताचीनियां की जाती हैं वह उन्हीं लोगों की हैं जिन्हें नुक्ताचीनी

[श्री राधारमण]

करने की आदत है । ऐसे लोगों की कोशिश होती है कि वह सूरज और चांद में भी कोई नुक्स निकाल सकें या उन की नुक्ताचीनी कर सकें तो ज़रूर करें ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे मुल्क की जो घरेलू नीति है उस में भी हम ने बहुत बड़ा क़दम उठाया है । यह कहना कि अपने भाषण में राष्ट्रपति जी ने कोई डिनामिक बात, या कोई उत्तेजनाजनक बात नहीं की मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा । एसी बातें करना भी वाजिब नहीं है क्योंकि ऐसे मौक़ों पर हम सिर्फ़ यह ही कह सकते हैं कि हम क्या कुछ चुके हैं और आगे के लिये हमें क्या कुछ करना है । यह बताने के लिये राष्ट्रपति का भाषण जितने अलफ़ाज़ों में और वाक्यों में हो वह उतना ही ज्यादा सुन्दर और उचित लगता है अगर उसको ब्यान किया जाये एक लम्बी और तवील दास्तान के रूप में, तो उसका महत्व भी कम हो जाता है और वह चीज़ भी इतनी सुन्दर नहीं लगती है। घरेलू नीति के बारे में हम यह कह सकते है कि आज हमारे सामने बहुत सारी समस्यायें हैं जिन्हें हमें हल करना है । आज हमारे मुल्क में ग़रीबी मौजूद है, हमारे मुल्क में तंगदस्ती है, हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो छोटे आदमियों पर अपने आप को सवार कर के अपना घर भरते हैं या यूं कहिये कि उनके शोषण से अपने आप को ज्यादा मालदार बनाते चले जा रहे हैं । यह सब चीज़ें मौजूद हैं । हम यह जानते हैं कि जब तक ये सब चीज़ें रहेंगी जब तक हमारे मुल्क में वह वातावरण रहेगा जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकत है तब तक हमारा मुल्क तरक्क़ी नहीं कर सकता है । हम यथाशक्ति इस बात की कोशिश कर रहे हैं और करते जायेंगे कि हमारे मुल्क में खुशहाली यानी समृद्धि हो और हमारे आगे बढ़ने के हालात पैदा हों । हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि जब तक हम अपने इस ध्येय में सफल नहीं होते तब तक हम इन समस्याओं को सुलझाते ही रहेंगे और इन हालात पर क़ाबू पा कर ही दम लेंगे । लेकिन देखना यह है कि इस समय हम साल के ३६५ दिनों में जो काम हुआ है उसका ज़िक्र कर रहे हैं । मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि जो कुछ भी मैं ने मुल्क के कुछ हिस्सों का दौरा कर के देखा है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इस समय लोगों में एक ऐसी उमंग है, आशा है, लगन है कि जिस को यदि आप आंखें बन्द कर के ही देखना चाहें तो आपको नज़र नहीं आयेगी । जो कुछ भी मैं ने देखा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप मुल्क के किसी भी कोने में चले जायें, किसी भी गांव में चले जायें, किसी भी शहर में चले जायें आप देखेंगे लोग काम करना चाहते हैं और उनके मन में काम करने की लगन है । आज ज़रूरत इस बात की है कि इन लोगों से सही काम लेने वाले हमारे मुल्क में बहुत कम हैं । मैं मानता हूं कि अभी हमें बहुत काम करना है लेकिन इस के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि लोग कोपरेशन देने के लिये तैयार हैं, वे चाहते हैं कि आप को अपना सहयोग दें, परन्तु उनसे यह सहयोग लेने वालों की तादाद बहुत कम है । यदि ऐसे लोगों की तादाद काफी हो जाये तो मेरा पक्का यक़ीन है कि जो काम हम १० साल में करना चाहते हैं वह पांच या सात साल में या उससे भी कम समय में हो सकता है । इस वास्ते हम सब को अपने दिल को टटोलना चाहियें और नुक्ताचीनी करने के बजाये लोगों के उत्साह को ठीक तौर पर क़ायम रखना चाहिये । इसलिये निराशाजनक बातें करना हमारे लिए मुनासिब नहीं और यह हमारे लिए घातक भी सिद्ध

हो सकता है। हमें चाहिये कि जो कुछ भी हम ने किया है उस पर सन्तोष करें और आगे के लिये भरोसे और आशा के साथ काम करें। हमें क़दम उठाने चाहियें और मज़बूती के साथ आगे बढ़ना चाहिये। इसलिये राष्ट्रपति जी ने इन दोनों बातों के बारे में जो अपने ख्याल रखे हैं वे निहायत मुनासिब, सादा और संक्षेप में रखे हैं। अगर हम उनको बढ़ाना चाहते हैं तो वे बढ़ाये भी जा सकते हैं और उन पर बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी जा सकती हैं। लेकिन ऐसे मौक़ों पर यही वाजिब है कि वे अपना भाषण संक्षेप में ही दें।

इसके साथ साथ, जनाबेवाला, मैं आपका, इस सदन के सदस्यों का और सरकार का ध्यान सिर्फ दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में हिन्दुस्तान में जो शिक्षा सुधार है उस की ओर इशारा किया है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में एक बिल भी हमारे सामने मौजूद है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में सब से ज्यादा यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरी समझ में सही क़िस्म की शिक्षा की जरूरत है। आप स्कूलों में देखिये, कालिजों में जाइये, लोग बहुत निराश नज़र आते हैं। हमारी सरकार ने कोशिश की है और बेहद कोशिश की है और कर रही है लेकिन मैं यह समझता हूं कि सात साल हमें आज़ादी मिले हो गये हैं और हमें जो पहला क़दम उठाना चाहिये था वह अपनी शिक्षा सुधार का उठाना चाहिये था। अगर मुल्क में सही क़िस्म की तालीम हमारे नौजवानों को और बच्चों को न दी जाये तो आप चाहे कितनी ही कोशिश करें, आप सफलता प्राप्त न कर सकेंगे।

आप की आशायें भी बेकार होंगी। आज हमें देखना है कि हमारे बच्चों और नौजवानों में जो एक नया जीवन पैदा हो रहा है और लोग चाहते हैं कि वह मुल्क की खिदमत करें, मुल्क की तरक्क़ी के कामों में हिस्सा लें, यह सब किस तरह से हो सकता है। बड़े बड़े कैम्प लग रहे हैं और जैसा कि आप देखते हैं जो नौजवान उन में हिस्सा लेते हैं वे चार चार और छः छः घंटे स्वेच्छा से काम करने को तैयार रहते हैं, सड़कें बनाने के काम में हिस्सा लेते हैं, गंदे से गंदा काम करने में भी गुरेज़ नहीं करते हैं, नालियां खोदने का काम भी करते हैं, यह सब देख कर तो बड़ी खुशी होती है। मगर इसके साथ साथ मैं यह ज़रूर कहूंगा कि जिन स्कूलों और कालिजों में उनको शिक्षा मिलती है वहां उसके अन्दर उनको वह शिक्षा नहीं मिलती जिस के ज़रिये से उनकी ज़िन्दगी निहायत शानदार ज़िन्दगी बन सके। आजकल बच्चों को किताबी शिक्षा तो दी जाती है और इस पर बहुत ज़ोर भी दिया जाता है परन्तु उन के जीवन को सही तौर पर समझने की शिक्षा नहीं दी जाती है। आज हमें उन को सदाचारी बनाना है। इसलिये ज़रूरत इस बात की है और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि सरकार इस की तरफ़ काफ़ी ध्यान देगी। परन्तु अभी तक इस तरफ़ जितने सख्त क़दम और तेज़ क़दम हमें उठाने चाहिये, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम ने नहीं उठाये हैं। अगर उस तरफ़ हमारे क़दम बढ़े तो मुझे पूरा यक़ीन है कि बहुत सी बातें जो हमारे नुक्ताचीन कहते हैं वे नहीं कह सकेंगे। इस वास्ते हमारे क़दम इस ओर जल्दी से जल्दी और जितनी तेजी से हो सके बढ़ने चाहियें ताकि हम अपने उस मक़सद की तरफ़ तेज़ी से बढ़ सकें।

[श्री राधा रमण]

दूसरी बात जो मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं वह अनएम्पलायमेंट के बारे में है जिसका कि ज़िक्र इस हाउस में आ चुका है। पंच वर्षीय योजना के अधीन बहुत सारे काम हमारी सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं जिन में कम्युनिटी प्राजैक्ट्स और नैशनल एक्सटेंशन सर्विस को उसने विशेष महत्व दिया है। इन स्कीमों में हमारी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगी हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि इन स्कीमों से बहुत सारे गांवों की काया पलट हो सकती है। लेकिन मुझे यह कहते हुये अफसोस होता है कि उन स्कीमों से जिस पर कि हम हज़ारों और लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, जितने हमें उम्मीद थी वह अभी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही हैं। इस का जो सब से बड़ा कारण मुझे नज़र आया है वह है एडमिनिस्ट्रेशन में कमज़ोरी का। जानबेवाला, मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हम आज़ाद हो गये और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैशिनरी है वह काफ़ी हद तक बदलती जा रही है मगर यह भी सत्य है कि सरकारी कर्मचारियों में से अभी पुरानी आदतें निकली नहीं हैं। और जिन्हें तेज़ी से बदलना चाहिये उस तेज़ी से अपने आप को नहीं बदला है। उन्हें समय के मुताबिक़ तेजी से बदलना चाहिये। अगर उनके ख्याल जल्दी से और तेज़ी से नहीं बदले तो मुझे इस बात में भी शक़ नहीं है कि जितना रुपया हम अपनी योजनाओं पर खर्च करते हैं उसमें बहुत कुछ गंवाया जायगा, और मैं समझता हूं कि जो खर्च होगा उसका जो नतीजा निकलना चाहिये वह नहीं निकलेगा। तो म, जनाबवाला, ज्यादा वक्त न लेते हुये, देश की और संसद् की तवज्जह इन बातों की ओर दिलाते हुये, जो हमारे भाई श्री टी० एन० सिंह ने शुक्रिये का प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में रखा उसका हार्दिक अनुमोदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये चन्द बातें जो मैं ने आप के सामने रखी हैं ये आप की नज़र से अच्छी तरह गुज़रेंगी।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम) : राष्ट्रपति का पहली बार अपने अभिभाषण में अणु शक्ति की महत्ता की ओर निर्देश करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ठीक ही बताया है कि कुछ एक उद्जन म सारी सभ्यता का विनाश कर सकते हैं और उन्होंने यह अपील की है कि भविष्य में किसी समस्या के हल के साधन रूप में युद्ध को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिये।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि अणु-शक्ति को शान्ति के प्रयोजनों में प्रयोग किया जाये तो उसमें आशा का संदेश भी निहित है। उन्होंने कहा कि इस में इतनी शक्ति है कि इस से सारे विश्व की जनता का जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकता है। अतः उन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोगों के सम्बन्ध में जेनेवा में एक वैज्ञानिक सम्मेलन बुलाया है।

मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति इस पर और प्रकाश डालते जिस से वह इस देश में अणु शक्ति के विकास के लिये एक निदेशक के रूप में काम आता। हमारी तुलना में अन्य देश बहुत आगे बढ़ गये हैं। यदि यह शक्ति दरिद्रता बेरोज़गारी और अपर्याप्त पोषण की समस्या को हल करने में सहायक होगी तो हमें इस के लिये भरसक प्रयत्न करना होगा।

इस सम्बन्ध में हमारे प्रयत्न बहुत अपर्याप्त हैं। १९५४ में इस सभा में अणु

शक्ति की चर्चा में प्रधान मंत्री ने कहा था कि भविष्य में इस पर और धन राशि व्यय की जायेगी और अणु शवित के विकास के लिये अधिक अच्छी संस्था बनाई जायेगी । श्री रघुरामय्या ने गार्डन डीन का उद्धरण दिया था जिसमें कहा गया था कि विश्व के उन छः देशों के अतिरिक्त जिन्होंने अणु शक्ति विकास का कार्य आरम्भ किया है भारत के प्रयत्न स से अच्छे हैं ।

(**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुये)

इस का तो अभिप्राय यह हुआ कि हमारे प्रयत्न अफगानिस्तान, ईरान, आदि देशों की तुलना में अच्छे हैं, परन्तु इस पर सन्तोष नहीं किया जा सकता ।

वस्तुतः १९४९ में कहा गया था कि एक रिएक्टर बनाया जायेगा । परन्तु कल यह घोषणा की गई है कि उसे बनाने के लिये भारी उद्जन खरीदी जा रही है । यह सब आज से पांच वर्ष पूर्व क्यों नहीं किया गया ।

सारी कठिनाई तो यह है कि अंणु शक्ति के विकास से सम्बन्धित प्रशासन प्रणाली सर्वथा पीछे की ओर ले जाने वाली रही है और इस पर एक गोपनीयता का आवरण डाला गया है । यह कदापि उचित नहीं था क्योंकि हम ने पहले ही कह दिया था कि हम आक्रमणकारी प्रयोजनों के लिये इसका प्रयोग नहीं करेंगे । अन्य देशों में किये गये काम के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके विकास के लिये देश के हज़ारों वैज्ञानिकों की सहायता की आवश्यकता है । मैं सत्तारूढ़ दल से पूछता हूं कि वह इस बात का औचित्य बतायें कि उन्होंने क्यों देश के वैज्ञानिकों पर विश्वास कर के उन्हें इस कार्य में नहीं लगाया ?

हम समय नष्ट कर रहे हैं । हम स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं । हम आशा करते हैं कि सरकार देश पर विश्वास करेगी और बतायेगी कि वह क्या कर रही है ।

अमरीका में अणु शक्ति का विकास युद्ध-काल में हुआ । उन्होंने १०,००० वैज्ञानिकों को काम में लगाया हुआ था और गुप्त रूप से काम होता था । सिवाय एक दो व्यक्तियों के वहां सभी लोगों ने इस गप्तता को बनाये रखा । हमारी प्रशासन नीति ऐसी है जिससे कि हमारे हज़ारों वैज्ञानिक इस कार्य में सहायक नहीं हो सकते । जर्मनी में १९३९ में सर्वप्रथम अणु शक्ति का पता लगाया गया परन्तु क्योंकि वहां अणु शक्ति संस्था में केवल नाज़ी दल के कृपा पात्रों को ही उच्च पद दिये गये इसलिये जर्मनी अणु शक्ति के विकास में सफल न हो सका ।

कोई भी वैज्ञानिक चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो अकेला यह काम नहीं कर सकता । वैज्ञानिक कार्य अनेक विद्वानों के सहयोग का प्रतिफल हुआ करता है । अमरीका में अणुशक्ति के विकास कार्य में अनेक ऐसे लोगों ने सुझाव दिये थे जिन के हम नाम तक नहीं जानते । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इन सब मामलों पर विचार करे और इस देश में अणु शक्ति के विकास के लिये कोई दृढ़ नीति निर्धारित करे ।

हुत से वक्ताओं ने योजना की प्रशंसा की है । परन्तु किसी योजना की सफलता की कसौटी यह होती है कि उस से प्रति नागरिक आय की कितनी वृद्धि हुई है । पिछले पांच वर्षों में केवल ५ प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस से जो कोई भी गणित जानता है समझ सकता है यह कोई सुधार नहीं है । हमें इस योजना के लिये लज्जित होना चाहिये । १० रुपये की वृद्धि भी जो गत वर्ष के आंकड़ों में दिखाई गई थी शंकायुक्त है । एक या डेढ़ वर्ष पहले जब यह योजना इस सभा के समक्ष रखी गई थी तो मैं ने कहा

[श्री मेघनाद साहा]

था कि इस योजना को मूलतः बदल देना चाहिये । यदि यह परिवर्तन न किया गया तो हम सौ वर्ष तक भी जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं कर सकेंगे । जहां कहीं उत्पादन में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है वहां के इधर उधर के थोड़े बहुत ब्यौरे बताना अनावश्यक है । मैं ने बताया था कि यदि आप अच्छी योजना चाहते हैं तो आपको विनियोजन की ४ १/२ प्रतिशत की वर्तमान दर को कम से कम १० या १२ प्रतिशत बढ़ाना चाहिये । मुझे हर्ष है कि माननीय वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विनियोजन की दर को १० से १२ प्रतिशत बढ़ा दिया जायगा । किन्तु केवल अधिक विनियोजन से ही काम समाप्त नहीं हो जाता है । आप को अपना धन ऐसी संस्थाओं में विनियोजित करना होगा जिन से अच्छा लाभांश प्राप्त हो । यह एक ऐसी बात है जिसकी ओर योजना आयोग ने अब तक ध्यान नहीं दिया है ।

अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि विनियोजन उत्पादक माल, लोहा और इस्पात रासायनिक पदार्थ तथा कोलतार साफ़ करने के उद्योग आदि में करना होगा । हमारी आलोचना के फलस्वरूप लोहे और इस्पात के क्षेत्र में कुछ किया गया है । चार या पांच नये १० लाख टन वाले कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं जिन से लोहे के उत्पादन में लगभग ६० लाख टन की वृद्धि होगी । हम संरकार की इस नीति का स्वागत करते हैं । किन्तु जब हम ३०० या ४०० करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं तो विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर रहने से हमारा काम नहीं चलेगा । अन्यथा हमारी स्थिति भी ईरान जैसी हो जायगी जहां तेल के बहुत बड़े संसाधन हैं किन्तु प्रविधिक ज्ञान तथा विज्ञानवेत्ताओं के न होने के कारण विदेशी लोग ही वास्तव में उस देश के शासक बन गये हैं । यह एक बिल्कुल गलत नीति होगी यदि लोहे और इस्पात के उद्योग में हम विदेशी विशेषज्ञों को रहने देंगे । १५ या २० प्रविधिक विशेषज्ञों का एक दल बनाया जाना चाहिये जो सर्वप्रथम देश और सरकार के प्रति स्वामीभक्त रहे और इस प्रकार प्रौद्योगिक स्वायत्तशासन प्राप्त किया जाय । जब तक यह नहीं किया जायगा, तब तक सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं में विनियोजन धन निरर्थक ही रहेगा । अतः प्रौद्योगिक स्वायत्तशासन हमारा नारा होना चाहिये और हमें उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया—पूर्व) : मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं पर काफ़ी प्रकाश डाला है और वह उचित भी है क्योंकि विदेशी नीति से ही गृह नीति निर्धारित की जाती है । आज गृह नीति के बारे में बात करना पुराने युग की बात समझी जाती है क्योंकि आज सारा विश्व एक है । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह इच्छा प्रकट की है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अधिकाधिक पंचशील के आधार पर निर्भर होंगे, । मैं इस विचारधारा का समर्थन करता हूं । किन्तु सह-अस्तित्व का यह अर्थ कदापि नहीं है कि यथापूर्व नीति को बनाये रखा जाय । सह-अस्तित्व की नीति अवश्य ही परमाणु-युग की वास्तविकताओं के अनुरूप होनी चाहिये । यथा पूर्व नीति में परिवर्तन करने से विश्व-राज्य की स्थापना में अवश्य ही सुविधा होनी चाहिये ।

वर्तमान युग की प्रधान समस्या यह है कि बिना युद्ध का आश्रय लिये यथापूर्व नीति में किस प्रकार परिवर्तन किया जाय। सह-अस्तित्व का अर्थ केवल भारत, चीन, रूस और अमेरिका के लिये सह-अस्तित्व है। अमेरिका ने नयी दुनिया पर अपना प्रभाव-क्षेत्र स्थापित किया है। योरुप को रूस और अमेरिका में विभाजित किया गया है। एशिया का एक बहुत बड़ा भाग चीनी और रूसियों के बीच विभाजित किया गया है। एशिया के हुत बड़े भाग पर जो किसी गुट में अभी शामिल नहीं है, अपना प्रभुत्व जमाने के लिये रूस और अमेरिका में द्वन्द चल रहा है। यदि हम अमेरिका का साथ दें तो युद्ध होगा और विनाश होगा। दूसरी ओर हम चीन और रूस का साथ दें तो सारा एफ्रो-युरेशियन भूभाग तीन क्षेत्रों में विभाजित हो जायगा अर्थात् भारतीय, चीनी तथा रूसी। पुरानी दुनिया के इस प्रकार के विभाजन से विश्व राज्य की स्थापना में सुविधा होगी।

दिल्ली—पेकिंग—मास्को धुरी की स्थापना की प्रस्थापना अमेरिका के प्रति किसी द्वेष की भावना से प्रेरित होकर नहीं की गयी है। बिना किसी द्वेष के अथवा किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सैद्धान्तिक पक्षपात के मेरा यह विश्वास है कि अमेरिका ही वर्तमान युग का आक्रमणकर्ता है। प्रधान मंत्री ने अनेक बार अपना यह दृष्टिकोण प्रकट किया है कि रूस शान्ति चाहता है। यदि ऐसा है तो निश्चय ही अमेरिका वर्तमान युग का आक्रमणकर्ता है क्योंकि विश्व आज युद्ध की आशंका से पीड़ित है। अमेरिका का एक शक्तिशाली समुदाय इस निर्णय पर पहुंचा है कि यदि उसे चीन और रूस के साथ लड़ना है तो उसे अभी ही लड़ना होगा-क्योंकि कुछ वर्षों के बाद चीन और कम से कम रूस तो अवश्य ही सैनिक शक्ति में अमेरिका की बराबरी कर लेगा और तब रूस से युद्ध करना सम्भव नहीं होगा। इसी लिये वह शक्तिशाली समुदाय सारे एशिया पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। इसी विचार धारा के कारण मेरा यह मत है कि हम रूस को सहयोग दें।

कभी कभी मेरी यह धारणा होती है कि अभी सह-अस्तित्व के बारे में बातें करना समय से पूर्व की बात है। सह-अस्तित्व की स्थिति तब प्रारम्भ होगी जब कि रूस अमेरिका जितना ही शक्तिशाली हो जायगा। रूस के शक्तिशाली न होने के कारण ही अमेरिका एशिया में युद्ध करने का विचार करता है। जिस दिन रूस शक्तिशाली हो जायेगा अमेरिका के लोग सह-अस्तित्व की बातें करना प्रारम्भ कर देंगे।

एक और कारण है जिससे मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें रूस और चीन का साथ देना चाहिये। मुझे विश्वास है कि भारत और चीन का भाग्यसूत्र एक साथ बंधा हुआ है। यदि चीन अमेरिका के अधीन आ जाय तो वह भारत को भी नहीं छोड़ेगा। भारत की ओर उसकी ज़रा भी सहानुभूति नहीं है अन्यथा उसने पाकिस्तान को सैनिक सहायता न दी होती। यह सोचना बिलकुल ग़लत है कि पश्चिमी राष्ट्र यह सोचते हैं कि पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देकर रूस पर विजय पायी जा सकती है। क्या अमेरिकी लोग यह नहीं जानते हैं कि रूसी सैनिक स्थिति इतनी दृढ़ है कि पाकिस्तान को कितनी ही सैनिक सहायता देने पर भी वह सन्तुलन को इधर उधर नहीं कर सकते हैं। मेरा तो यह निर्णय है कि वह सैनिक सहायता भारत के विरुद्ध दी गई है, न कि रूस के। मैं आशा करता हूं कि यह स्थिति प्रत्येक के लिये स्पष्ट होगी।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं आज प्रेसीडेंट के भाषण पर केवल दो तीन ही विचार

[श्री गिडवानी]

प्रकट करना चाहता हूं । पहली बात जो मुझे आज कहनी है उसके कहने का पहले मेरा इरादा नहीं था । वह श्री अशोक मेहता के भाषण के बारे में है । उन्होंने साफ़ कहा है कि फारमोसा को ग़ुलाम बनाने की हमारी सरकार की नीति नहीं होनी चाहिये । हमारे प्रेसीडेंट ने जो यह कहा है कि फारमोसा चाईना का हिस्सा है इससे उनका विरोध है और वह समझते हैं कि अगर फारमोसा चाईना के पास चला जायगा तो फारमोसा ग़ुलाम हो जायगा । यह बात मेरी समझ में नहीं आती । मुझे अफ़सोस के साथ उनकी इस बात का विरोध करना पड़ता है । मैं मानता हूं कि फारमोसा चाईना का हिस्सा है । यह मेरा कहना नहीं है । पिछली लड़ाई के पश्चात् जितनी सन्धियां हुई उनमें खुद अमरीका वालों ने और इंगलैंड वालों ने इस बात को स्वीकार किया है और उन सन्धियों पर दस्तखत किये हैं और यह माना है कि फारमोसा चाईना का हिस्सा है । तो अगर आज यह कहा जाय कि अगर फारमोसा को चाईना का हिस्सा रखा जायगा तो फारमोसा ग़ुलाम हो जायगा । यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आज फारमोसा आज़ाद है । आज अगर फारमोसा में च्यांग काई शेक का राज्य है तो वह किसके बल पर है ? क्या लोगों को यह नहीं मालूम है कि वह आज अमरीका के बल पर राज्य कर रहा है, न केवल छिपा हुआ डालर बल्कि साफ साफ । सारी मिलिटरी ताक़त और पैसा अमरीका से आता है और च्यांग काई शेक उसी के बल पर चलता है जिस तरह कि कोई पपेट, या ग़ुलाम या कठपुतली । तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जो फारिन पालिसी अख्तियार की है वह बिल्कुल दुरुस्त है और उसका मैं पूरे दिल के साथ समर्थन करता हूं ।

मैं पिछले साल दुनिया के कुछ हिस्से का चक्कर लगा कर आया हूं । मैं ने यह देखा कि दुनिया में सिवाय अमरीका के सत्ताधारियों के कोई भी लड़ाई नहीं चाहता । इंगलैंड भी लड़ाई नहीं चाहता क्योंकि पिछली लड़ाई में जो नुक़सान और तबाही हुई थी वह आज भी उनकी आंखों के सामने है । मैं लन्दन में दस पन्द्रह रोज़ तक रहा और मैं ने देखा कि जो मकान पिछली लड़ाई में बमबारी में गिर गये थे वे सब अभी नहीं बन पाये हैं । जिस सिन्धी व्यापारी के यहां मैं ठहरा था उनका दफ्तर एक बाम्ब्ड हाउस में था । अब उसकी मरम्मत हो रही है । कुछ दिन पहले आपने अख़बार में पढ़ा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस सन्धि पर दस्तख़त किये थे जिसमें फारमोसा को चाईना का हिस्सा माना गया है । लेकिन आज वह कहते हैं कि फारमोसा को छोड़ कर बाक़ी जितने टापू हैं वह चाईना के हैं । इस पर आप समझ सकते हैं कि खुद अमरीका और ब्रिटेन के बीच में भी मतभेद है । मैं इस बात को बड़ी अहमियत देता हूं कि इस का असर न केवल हमारे देश पर, मगर दुनिया की शांति पर पड़ेगा । मैं दुनिया की शान्ति के लिये समझता हूं कि अमरीका का हाथ फारमोसा से निकल जाना चाहिये और फौरन निकल जाना चाहिये । इस लिये मुझे यह कहना पड़ा कि चुंकि मैं समझता हूं कि दुनिया का बड़ा हिस्सा जो लड़ाई में तबाह हुआ है उस का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, रशिया में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाईना में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है । अगर आज लड़ाई छिड़ जाय तो दुनिया की बड़ी तबाही होगी । इसलिये इस बारे में हमारी सरकार ने और हमारे प्रधान मंत्री ने जो कदम उठाया है वह बहुत सही क़दम है और मैं समझता हूं कि उन को इस के लिये

मुबारकबादी मिलनी चाहिये जिस से आइन्दा दुनिया में कोई लड़ाई न हो।

इतना कहने के बाद मैं दो चार बातें और कहना चाहता हू । कुछ लोगों ने कहा कि हिन्दुस्तान में बहुत कुछ हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ । मैं इस के वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता । लेकिन जो कुछ हो रहा है वह हमारी आंखों के सामने है । बहुत कुछ हुआ है, इस में कोई सन्देह नहीं है । मैं कुछ दिन हुये पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर की हैसियत से भोपाल गया और मेम्बरों के साथ । भोपाल के चीफ मिनिस्टर हमें वहां कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिये ले गये । मैं ने अपनी आंखों से देखा कि देहातों में जनता कालेज खोला गया है और समाज सेवा के काम हो रहे हैं । तो काम तो हो रहा है इसमें सन्देह नहीं, उस में रूपया कितना लगता है, यह दूसरी बात है । लेकिन जो काम पहले कभी नहीं हुआ था वह हो रहा है । हां, जितना होना चाहिये, उतना नहीं हुआ और इस के लिये हमारे राष्ट्रपति ने भी कहा कि हमें कम्प्लेसेन्ट नहीं होना चाहिये । मैं तो कहता हूं कि और भी तेजी से इस काम को करना चाहिये । इस के लिये जिस चीज़ की पहले ज़रूरत है वह यह है, हमें पहला क़दम यह उठाना चाहिये कि जितने हमारे भाई आजकल कम तन्ख्वाह पाने वाले हैं उन की तन्ख्वाहों को बढ़ाना चाहिये और जो बड़ी तन्ख्वाहों और छोटी तन्ख्वाहों में फ़र्क़ है, उस को कम करना चाहिये । इस विषय में चार पांच दिन से, जब से मैं आया हूं, मेरे पास लोग आया करते हैं । मेरा ज्यादा काम तो रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन के सिलसिले में होता है, लेकिन आज कल जितनी मुझ में शक्ति है उस से मैं कुछ दूसरे काम भी करना चाहता हूं । तीन चार दिन हुये मेरे पास कुछ ऐसे लोग आये जो कि थर्ड डिवीजन क्लर्क्स हैं । मेरे मित्र श्री दातार इस को सुने, उन लोगों ने मुझे एक हैंड बिल दिया है जिसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं । वह काली स्याही में छपा है,

"क्लर्को ! क्लर्को ! क्लर्को !—१ मार्च, १९५५ से ५ मार्च, १९५५ तक का विरोध सप्ताह मनाओ—भला क्यों ? संसद् के आयव्ययक सत्र में ५५—१३० रुपये के हमारे इस भद्दे वेतन-स्तर के खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिये, केन्द्रीय सचिवालय के क्लर्कों की सेवा (पुनर्गठन) योजना के खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिये ।"

फिर उनका प्रोग्राम है, यह है, वह है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : इन्डिसिप्लिन, इन्डिसिप्लिन ।

श्री गिडवानी : तो मैं चाहता हूं कि जब हम ने सोशलिस्ट पैटर्न का नाम लिया है, सोशलिस्ट पैटर्न या गांधी जी का राम राज्य कहिये मैं उन का अनुयायी हो सकूं इतनी योग्यता तो मुझ में नहीं है, लेकिन इस का दावा करता हूं कि १९१५ से आखीर तक मेरा उन से कुछ न कुछ ताल्लुक़ रहा है । कराची में पहली दफ़ा कांग्रेस ने अपना एकानामिक प्रोग्राम रक्खा था जब कि सरदार पटेल प्रेजिडेण्ट थे और मैं रिसेप्शन कमेटी का चेअरमैन था । उस में हम ने यह अन्तर रक्खा था, कम-से-कम और ज्यादा-से-ज्यादा तन्ख्वाहों में कि बड़ी तन्ख्वाह तो ५०० रुपये हो और छोटे को इतना मिले कि उस का पेट भर जाय । गांधी जी के मरने से पहले जब दिल्ली में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी तब मैं कांग्रेस में था । उस वक्त जो रेज़ोल्यूशन कांग्रेस में पास कराया गया था उसमें क्या था ? मुझे पूरे शब्द तो

[श्री गिडवानी]

याद नहीं हैं लेकिन उस में इस तरह कुछ बातें कही गई थीं :

> "कांग्रेसी अब राष्ट्र के सच्चे सेवक नहीं रहे । अब आत्म-निरीक्षण का समय आया है । हमें राष्ट्र के उपयुक्त सेवक बनने का पुनः प्रयत्न करना चाहिये ।"

यह रेजोल्यूशन गांधी जी ने पास कराया था क्योंकि उन के जो अनुयायी थे वे बिगड़ गये थे ताकि वे ठीक हो जायें । तो इस दृष्टिकोण से आप देखिये कि जो आप का सोशलिस्ट पैटर्न हो उस में क्या तन्ख्वाहें हों । आज हमारी तन्ख्वाहें किस तरह की हैं ? चपरासी की जो तनख्वाह है वह यह है कि ३० रुपये माहवार और ३५ रुपये तक $^1/_2$ रुपये सालाना तरक्की मुझे इस तरह बताया गया है मैं समझता हूं कि मैं ने इस में गलत नहीं समझा है । कलर्क की ५५ रुपये से १३० रुपये तक और सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की ३००० रुपये, ४००० रुपये । इससे आगे प्रेजिडेन्ट के अलावा वजीर लोगों की तन्ख्वाह बहुत बड़ी नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ?

श्री गिडवानी : यह शायद इस क़दर महदूद नहीं है । लेकिन सरमायेदार जनता का रुपया किस तरह से अपनी जेब में रखते है इस का अन्दाज़ा मुझे कुछ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर की हैसियत से मिला । अगर एक गरीब आदमी भूख का मारा हुआ एक सेर ज्वार या बाजरे का आटा चुरा कर खा ले तो उस को हमारे क़ानून के मुताबिक़, हमारे दातार साहब के कानून के मुताबिक़ छः महीने की जेल हो सकती है, लेकिन अगर एक बड़ा सरमायेदार किसी तरीक़े से एक करोड़ रुपया अपनी जेब में रखले तो उस के लिये सैंकड़ों हज़ारों एक्स्प्लेनेशन्स हमारे पास आते हैं । मेरे दोस्त श्री बी० दास और श्री टी० एन० सिंह जानते हैं कि आठ, दस महीनों में कई लाख रुपयों की गड़बड़ हुई है । मैं नहीं चाहता कि मैं बतलाऊं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को कौनसी बातें मालूम हुईं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक मिनिस्ट्री की जो आडिट रिपोर्ट आती है और उस पर जो आडिट आब्जेक्शन आते हैं उन को उस विभाग के मंत्री लोग देखें कि क्या क्या हो रहा है ? हम लोग नहीं करते हैं, आप के आडिटर जनरल करते हैं । बड़े से बड़ा अमलदार, बड़ी तन्ख्वाह पाने वाला जिस को आप चुन कर रखते हैं, वह करता है । पिछले आठ महीनों में जो आडिट रिपोर्टस आई हैं उन को अगर आप पढ़ें तो आप को बड़ी चोट लगेगी । मुझे तो बड़ी चोट लगती है ।

बाबू रामनारायण सिंह : चोट क्यों लगती है ?

श्री गिडवानी : दिल मुझे मिला है, वैसा ही दिल उन लोगों के पास भी होना चाहिये ।

श्री अलगू राय शास्त्री : जिस दिल पर मुझे नाज़ था वह दिल ही न रहा ।

श्री गिडवानी : तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह बड़ी बड़ी तन्ख्वाह पाने वाले जो सरमायेदार हैं वह किस तरह से गुट बना कर करोड़ों रुपये लेते हैं । तो जिस तरह से उन को तन्ख्वाह मिल रही है, जिस तरह से उन में करप्शन बढ़ रहा है उस को बन्द करना चाहिये । किसी भी रैडिकल, क्रान्तिकारी समाज में परिवर्तन तभी होता है जब समाज उस परिवर्तन को बुनियाद से ही लाता है । यह सही है कि हम ने पुराने ज़माने से बहुत बढ़ने की कोशिश की, यह भी सही है कि हम चाहते हैं कि हम और आगे

बढ़ें, लेकिन हमारी रफ्तार इतनी ढीली है कि जिस की मिसाल मुझे कल एक अखबार में मिली ।

मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन एक बात मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि सरदार सुरजीत सिंह के हाथ में जो मोहकमा है उस की कैन्टीन स्टोर्स के एम्प्लायीज़ बेचारों ने २२ दिन से अपनी तन्ख्वाह नहीं ली है । वे कहते हैं कि जो तन्ख्वाह हमें मिलती है, बहुत कम मिलती है । इन हालात में अगर हमारी गवर्नमेंट के मुलाज़िम, आर्डिनेंस फैक्टरियों के मुलाज़िम, कैंटीन डिपार्टमेंट के मुलाज़िम, थर्ड डिविज़न क्लर्क और टीचर्ज़ की जो हड़तालें होती हैं तो उन हालात में हम कैसे कह सकते हैं कि हम ने तरक्की की है । यह सही है कि हम ने योजनाएं बनाई हैं लेकिन हमें यह स्कीमें बना कर ही आराम से बैठ नहीं जाना चाहिये, हमें कम्पलेसेंसी से नहीं देखना चाहिये । तस्वीर का वह रुख भी हमें नहीं भूलना चाहिये कि इन हड़तालों, इन डैमंस्ट्रेशनों और काली झंडियों और झंडों के जो जलूस शहरों में से निकलते हैं उनका क्या असर होता है और वे किस चीज़ की तरफ़ इशारा करते हैं । इस वास्ते हमें कोई क्रांतिकारी क़दम उठाने की ज़रूरत है ताकि लोग यह महसूस करें कि नये भारत का निर्माण हो रहा है । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह एड-मिनिस्ट्रेशन के तंग तर्ज़े अमल के बारे में है । एक आज़ाद मुल्क में यह भी देखने की चीज़ होती है कि उस सरकार के कर्मचारी लोगों के साथ किस तरह का बरताव करते हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे देश में आज़ादी की देवी तो आ गई लेकिन देखना यह है कि क्या सरकार के कर्मचारियों के दिलों में जनता की सेवा करने की भावना आई है य नहीं । मुझे यह कहते हुये अफसोस होता है कि उनके दिलों में अभी तक कोई तबदीली नहीं आई और वे अभी तक भी अपने आप को शासक ही समझते हैं और उनके दिलों में सेवा भाव नहीं है ।

तीसरी बात मैं करप्शन और इनऐफ़िशैंसी के बारे में कहना चाहता हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि उन दोनों ख़राबियों को दूर करने के लिये हमारी सरकार ने क्या क़दम उठाये हैं । इन दोनों बीमारियों को दूर करने के लिये यदि हमारी गवर्नमेंट सख्त से सख्त क़दम उठाये तो मैं उनका स्वागत करूंगा । लेकिन आजकल होता यह है कि जब कोई छोटा कर्मचारी रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ़ तो सख्त कार्यवाही की जाती है लेकिन जब कोई बड़ा आदमी रिश्वत लेता पकड़ा जाता है तो हमें बताया जाता है कि वह भाग गया है, या पैंशन ले चुका है या सर्विस म नहीं है इस वास्ते उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता । इस वास्ते हमारी सरकार को यह देखना है कि हकूमत का ढांचा कैसे बदला जाय और यह सारी ख़राबियां कैसे दूर की जायें ।

आखिर में मैं सरदार हुक्म सिंह ने जो तरमीम दी है कि रिफ्यूजीज़ के बारे में उसके मुताल्लिक़ थोड़ा सा कहना चाहता हूं । अच्छा होता कि श्री देशमुख जी यहां होते और मेरी बात को सुन लेते । कम्पेंसेशन ऐक्ट जो पास हुआ और पास होने से पहले जब वह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया तो उस सिलेक्ट कमिटी में ५० मैम्बर थे । रिफ्यूजीज़ तो हम चार पांच ही थे ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के मेम्बर ही थे । फिर भी जो उन्होंने फैसला दिया उस पर मैं उनको बधाई

[श्री गिडवानी]

देता हूं। उन सब ने रिकमैंड किया कि कम से कम वेरिफाइड क्लेम्स की कुल रक़म को ५० फीसदी बनाने के लिये जितनी भी रक़म कम हो जाती है वह रक़म सरकार को देनी चाहिये। दूसरी सिफारिश उस कमेटी ने की वह यह थी कि जिन लोगों को छोटे छोटे क़र्ज़े दिये गये हैं वह माफ़ कर दिये जायें। मैं इसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता हूं और जब रिहैबिलिटेशन के बारे में बहस होगी उस वक्त ही बोलूंगा। इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस आदमी को अब आप दो हज़ार रुपया मुआवज़ा देते हैं उसकी पांच हज़ार की प्रापर्टी के बदले में जो कि वह पाकिस्तान में छोड़ आया है और जिस रक़म का क्लेम उसका मंजूर हुआ है तो उसमें से भी आप जो उसको क़र्ज़ा दिया गया है सात साल पहले और जिस में से उसके ऊपर अभी किराये के एरियर्ज़ बाक़ी हैं और मुआवज़े की रक़म में से वे काट लिये जाते हैं तो उसके पास बचता क्या है ? जितना भी मुआवज़ा उनको आप देने जा रहे हैं उनको वह पूरा मिलना चाहिये। इसके साथ ही साथ हमें काफी रक़म सरकारी खज़ाने से मुआवज़े के पूल में डालनी चाहिये।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय, भूतकाल की सफलताओं का पुनर्विलोकन और वर्तमान तथा भविष्य के कार्यक्रमों का परीक्षण करते समय, हमें राष्ट्रपति के दो कार्यों को ध्यान में रखना है जो राष्ट्रीय जीवन के दो अंग हैं, और वह हैं असैनिक तथा सैनिक अंग। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद ५३ के खंड (१) और (२) की ओर आकृष्ट करता हूं जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका प्रणाली और रक्षा दलों के परम आदेशक हैं। मैं सभा से यह प्रश्न पूछता हूं कि आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे राष्ट्रीय जीवन के इन दो अंगों को बिल्कुल अलग अलग क्यों रखा गया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो इसके लिये कुछ स्पष्ट कारण थे किन्तु अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी उन्हें अलग रखा गया है और परिणाम यह है कि प्रशासन में न कार्यकुशलता है और न मितव्ययता है। साथ ही इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसका अभी अभी एक माननीय सदस्य ने निर्देश किया।

पिछले कुछ वर्षों में लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों में हमें बताया गया है कि बाहर से करोड़ों रुपये की हमारी खरीद चार सेवा-निवृत्त ब्रिटिश पदाधिकारियों की एक कम्पनी के द्वारा की जाती है और उसके द्वारा दी गयी युद्ध सामग्री भारत में परीक्षण के पश्चात् अत्यन्त असन्तोषजनक पायी गयी। जिन देशों से माल खरीदा जाता है उनकी सरकारों के हम सम्पर्क स्थापित नहीं करते हैं और न उन देशों में अपने राजदूतों के द्वारा इस मामले की जांच कराई जाती है। इस प्रकार केवल ये चार पांच सेवा-निवृत्त ब्रिटिश पदाधिकारी हमारी सारी खरीद की देखभाल करते हैं और रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विदेशी खरीदों में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसे "गोपनीय" शब्द के अन्तर्गत रहस्यपूर्ण रख कर जनता से छिपाया जाता है। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि रक्षा विभाग में कुछ चीज़ें गोपनीय हो सकती हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सुरक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक बात को गोपनीय समझा जाय और उसे सरकार के अन्य विभागों से, अन्य मंत्रालयों से और संघ तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों से गुप्त रखा जाय। आयोजना कार्यक्रमों में हमारे राष्ट्रीय जीवन के दोनों अंग क्यों सम्बद्ध नहीं किये जा सकते हैं। इसका

एक कारण यह बताया गया है कि सुरक्षा एक गोपनीय विषय है जिसका कार्य आयोजना संगठन को नहीं बताया जा सकता है। मैं नहीं समझ पाता कि रक्षा संगठन में जब अत्यन्त महत्वपूर्ण सैनिक बातों के विषय में विदेशीयों पर विश्वास किया जा सकता है तो योजना आयोग के सचिवों, योजना संगठन के मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों और भारत सरकार के सचिवों पर क्यों विश्वास नहीं किया जाता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण की विवेचना करते हुये मैं यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि राष्ट्रपति असैनिक तथा सैनिक विभागों के परम प्राधिकारी हैं, फिर भी उनके अभिभाषण में सैनिक संगठन के क्षेत्रों में किये गये या किये जाने वाले कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः मैं अपील करता हूं कि जब कभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुनरसंगठन का विवेचन करें तो वे राष्ट्रीय जीवन के दूसरे अंग पर भी, जिसके कि वह प्रमुख हैं, ध्यान दें। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब संविधान के अनुच्छेद ५३(२) के अधीन यह कल्पना की जाती है कि सुरक्षा बलों के परमादेश के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की शक्तियां विधि द्वारा विनियमित की जायेंगी, अब तक इस विषय में कोई नियम नहीं हैं। अतः यह सारा विषय, जिसमें कि हमारे सामान्य आयव्ययक का ५५ प्रतिशत खर्च होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक गुप्त रहस्य बना हुआ है।

अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की इन दो प्रमुख शाखाओं का समन्वय या एकीकरण प्रत्येक दृष्टिकोण से वाछित है। नैतिक दृष्टिकोण से विचार किया जाय, तो स्वतः राष्ट्रपति तथा सम्पूर्ण दल अहिंसा के लिये वचनबद्ध हैं। अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह स्थायी संगठन केवल युद्ध की भावी सम्भावना के लिये रखा गया है अथवा उसे राष्ट्रीय जीवन से सम्बद्ध और एकीकृत किया जाना चाहिये। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, विश्व-शान्ति, सहअस्तित्व और पंचशील के कारण भारत के अपने एक स्थान विशेष का दावा है। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय जीवन के इन दोनों अंगों के एकीकरण के लिये हम सभी संभव उपायों को ढूंढने का प्रयत्न करें। आर्थिक आधार पर भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि अधिक कार्यकुशलता और अधिक मितव्ययता लाने के लिये हमारे राष्ट्रीय जीवन के ये दोनों अंग मिला दिये जायें। माननीय रक्षा मंत्री को यह देखना होगा कि विदेशी खरीद बन्द की जाय, रक्षा संस्थाओं में अधिकतम उत्पादन हो और हमारे कारखानों में यवकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधायें प्राप्त हों। मुझे गत वर्ष बताया गया था कि प्रशिक्षार्थीयों की कुल संख्या १३० थी। २२ उत्कृष्ट कारखानों में प्रशिक्षण की सुविधायें होते हुये भी वास्तव में यह बड़ी अजीब बात है कि इन कारखानों में योग्यता प्राप्त युवकों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। इन कारखानों के होते हुये भी विदेशों से उन चीज़ों की खरीद की जाती है जिन को कि ये कारखाने तैयार कर सकते हैं। यह भी बड़े दुःख की बात है कि अधिकार आयुध कारखानों में ब्रिटिश राष्ट्रजन मुख्य पदाधिकारी हैं, यहां तक कि ब्रिटिश शासन में सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर कार्य करने वाले एक मात्र भारतीय को बलात् सेवा-निवृत्त करा दिया गया। इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय ने अन्य ब्रिटिश पदाधिकारियों की भी पदोन्नति की है। आज हमारे आयुध संगठन की यह स्थिति है। इंजीनियरिंग सेवाओं में भी ऐसी ही स्थिति है। वहां भी हमें ब्रिटिश लोगों पर निर्भर रहना होता है

[श्री यू० सी पटनायक]

जब कि अनेक वरिष्ठ भारतीय पदाधिकारी भी हैं। इंजीनियरिंग सेवाओं में ९८ प्रतिशत कार्य विदेशी ठेकेदारों को दिया जाता है। अतः इस क्षेत्र में भी सैनिक तथा असैनिक कार्यों के एकीकरण की काफी गुंजाइश है।

जन-शक्ति के दृष्टिकोण से भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन दोनों राष्ट्रीय अंगों में परस्पर सहकारिता हो। उदारहणार्थ, औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों में हम नवयुवकों को उपयुक्त श्रेणियों में विभाजित कर के उन्हें अपने क्षेत्र के काम के साथ साथ प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा दे सकते हैं : इस प्रकार वे अपने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उचित रुप से कार्य कर सकेंगे और साथ ही उन्हें सैनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार बहुत कम खर्च से एक राष्ट्रीय बल तैयार हो जायगा जो कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये एक बहुत प्रभावपूर्ण संगठन होगा। यद्यपि हमारे देश में सैनिक सेवा के लिये बलात् भर्ती करना सम्भव नहीं है, फिर भी औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी श्रम के लिये बलात् भर्ती की जा सकती है और इस उद्देश्य के लिये हमें अपनी जन-शक्ति को ऐसी प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा देनी होगी जिस से कि आधुनिक युद्ध में वे शक्ति-बनाये रख सकें और आतंक को दूर कर सकें। अतः मेरा निवेदन है कि प्रत्येक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कमी थी। अर्थात् उसमें विभिन्न राष्ट्रीय कार्यवाहियों को एकीकृत करने तथा राष्ट्र को पुनरसंगठित करने, विशेषकर राष्ट्रीय-जीवन के दो प्रमुख अंगों को एकीकृत करने की ओर कोई संकेत नहीं किया गया है।

श्री हेडा : राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये उनको धन्यवाद देने वाले प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। इस ओर के तथा उस ओर के भी सदस्यों ने यह शिकायत की है कि जो काम किया जाने वाला है उसका पर्याप्त संकेत अभिभाषण में नही दिया गया है। इंगलैंड और अमेरीका के उदारहणों को देखते हुये जिनका जनतंत्रात्मक ढांचा हमारे देश से बहुत कुछ समानता रखता है, इस शिकायत में पर्याप्त औचित्य भी जान पड़ता है। परन्तु हम ने इन देशों की नकल आंख बन्द कर के नहीं की है, इसी लिये यहां तक योजना तथा आर्थिक नीति का प्रश्न है हमारा तरीक़ा इन देशों से बहुत भिन्न है। हमारी नीति "पंच वर्षीय योजनाओं" वाली है। पंच वर्षीय योजनाओं पर, योजना आयोग की सरकार की और देश की बराबर निगह रहती है। इसलिये सारे देश को बराबर मालूम होता रहता है कि सरकार क्या करने जा रही है।

जहां तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है भारत ने तटस्थता तथा शान्ति प्रियता तथा शान्ति स्थापना के लिये प्रयत्न करने में नाम कमाया है। इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के सम्बन्ध में जब कोई नाजुक परिस्थिति उत्पन्न होती है तो भारत को उसे सुलझाने के लिये आमंत्रित किया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि दोनों ही गुटों के देश हमारे प्रधान मंत्री के प्रयत्नों, उन की शक्ति तथा महानता के प्रशंसक हैं। पंचशिला आज प्रत्येक की ज़बान पर है।

देश की आन्तरिक समस्याओं के सम्बन्ध में दो एक सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जिन पर मुझे बहुत आश्चर्य है। इस से तो वे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि खाद्य समस्या हल हो चुकी है। परन्तु कहा यह जाता है कि इसका श्रेय सिंचाई परियोजनाओं को नहीं दिया जा सकता है। यह

ठीक है परन्तु सरकार की ओर से जो प्रयत्न किये गये हैं उस में केवल सिंचाई परियोजनायें ही नहीं हैं। हैदराबाद राज्य में, जहां से मैं आया हूं, प्रतिवर्ष हजारों की सख्या में इंजन तक़ावी पर दिये जाते हैं। धान की खेती के जापानी तरीक़े का प्रचार इसका एक और उदारहण है। अकेले मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में ही, जो एक छोटा सा निर्वाचन क्षेत्र है, ६५,००० एकड़ भूमि पर खेती के जापानी तरीक़े को अपनाया गया है। जिन किसानों ने इस तरीक़े को अपनाया है उन की उपज में १५ से ले कर २५ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में मुझे श्री मेघनाद साहा जैसे महापुरुष से यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि इस क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है। आज वास्तव में हमारी समस्या उत्पादन को बढ़ाने की नहीं है वरन् उत्पादन खपाने की है।

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, मूल्यों में इतनी भारी कमी हो रही है कि खेती करने वालों को कोई लाभ नहीं होता है। इसी लिये अभिभाषण के पष्ठ ५ की कण्डिका १२ में कहा गया है कि मूल्यों की गिरावट को रोकने के लिये कुछ खाद्यान्नों को निश्चित दरों पर क्रय करने का निश्चय किया गया है। यह काफ़ी आशाजनक है क्योंकि इस से केवल खेती करने वालों को ही लाभ नहीं होगा वरन् बेरोज़गारी में भी कमी होगी। खेती करने वालों की आर्थिक दशा इतनी खराब हो गई है कि छोटे छोटे क़स्बों के होटल सिनेमा तथा अन्य रोज़गार भी मद्धिम पड़ गये हैं। इस लिये हमारे सामने समस्या यह है कि खेती करने वालों की क्रय शक्ति में वृद्धि कैसे की जाय। भूमिहीन मज़दूर तथा ग्रामों के और निर्धन वर्ग कृषकों पर ही निर्भर हैं इस लिये उन की दशा खराब हो गई है। इसके लिये हमें छोटे पैमाने पर उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों पर अधिक ज़ोर देना चाहिये।

जहां तक आन्ध्र का सम्बन्ध है मेरी जानकारी यह है कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आन्ध्र भेजा गया था उनको विशेष रूप से आदेश दिये गये थे कि चाहे जितना भी क्यों न भड़काया जाये वे बराबर अहिंसक बने रहें, क्योंकि परिस्थिति कांग्रेस के अनुकूल है, इसलिये दूसरा दल शान्ति भंग करने के लिये बराबर प्रयत्न करता रहेगा। इसी का परिणाम है कि जिन लोगों को चोटें पहुंची हैं और जो अस्पताल भेजे गये हैं उन में अधिकांश संख्या ऐसे लोगों की है जो मेरे दल के हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बिल्कुल ग़लत।

श्री हेडा : जानकार व्यक्तियों को सत्यता का ज्ञान अच्छी तरह से है इसलिये यहां कहने से कुछ नहीं होता है।

सामुदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में आरम्भ में सोचा गया था कि एक परियोजना पर ६० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे परन्तु इस देश की लम्बाई चौड़ाई को देखते हुये सोचा गया कि यह राशि बहुत अधिक है इस लिये इसे घटा कर ४५ लाख रुपये कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के रूप में एक नया विचार रखा गया। इसलिये अब इन १५ लाख रुपयों के स्थान पर साढ़े आठ लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं। लेकिन मैं ने देखा यह है कि इस साढ़े आठ लाख में से भी कल्याणकारी कार्यों के लिये बहुत थोड़ा धन बच पाता है क्योंकि पांच लाख रुपये ऋण शीर्ष के अन्तर्गत हैं, तीन वर्ष में एक लाख रुपया कर्मचारियों पर खर्च हो जायगा और ५०,००० रुपया अधिकारियों के लिये क्वार्टर इत्यादि बनाने में तथा जीप गाड़ियों के खरीदने में खर्च हो जायेगा। इस प्रकार केवल दो लाख रुपया बचता है। परन्तु हमें मानना पड़ेगा कि

[श्री हेडा]

हैदराबाद राज्य के बीदर ज़िले के बीदर और ज़हीराबाद के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में, जहां का हम ने दौरा किया था, बहुत भारी परिवर्तन हुआ है । इस के दो कारण हैं । एक तो यह कि वहां के अफ़सरों ने जो के लिये जो प्रबन्ध किया गया था उस में से कुछ कटौती कर के एक प्रसूति गृह का प्रबन्ध किया है और एक चलता फिरता चिकित्सालय भी बनाया है । दूसरा यह कि उन कर्मचारियों में इतना उत्साह था कि उन्होंने इतनी सफलता प्राप्त की । इसका परिणाम यह है कि ६,००० से ले कर १०,००० रुपये की लागत के ६० विद्यालय-भवन निर्माण किये गये जिसमें सरकार का योगदान केवल ३० से लेकर ५० प्रतिशत है । मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे खण्ड हैं जहां इतना अच्छा काम नहीं हो रहा है । कारण स्पष्ट है । यह सब कर्मचारियों पर निर्भर है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जब वह ग्राम सेवकों सामाजिक संगठन कर्ताओं या अन्य अधिकारियों जैसे डिप्टी कलक्टरों को प्रशिक्षण दें तो इस बात का ध्यान रखें कि इस के लिये ऐसे लोग छोड़े जायें जिन में केवल दैनिक राजस्व कार्यों को ही करने की क्षमता न हो वरन् कल्याणकार्यों के भी करने की क्षमता हो । ऐसे कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर मुझे विश्वास है कि इस कार्य में सफलता मिलेगी ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : राष्ट्रपति नेअपने अभिभाषण के अन्त में कहा है कि हम ने जो उन्नति की है उस से हमारी जनता में भविष्य के प्रति आत्म विश्वास तथा आशा का संचार हुआ है । अब यह संसद् सदस्यों का कार्य है कि वे इस का लाभ उठायें और देश को कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की ओर तथा समाजवादी समाज स्थापित करने की ओर ले चलें ।

सत्ताधारी दल ने अपने पिछले अधिवेशन में इसका बड़ा धुआंधार प्रचार किया है कि उस ने अपना लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था बना लिया है और सरकार की नीति भी इसी के अनुकूल होगी । दो दिन से आंकड़ों के द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि उन्नति की गई है । आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है । परन्तु इसका परिणाम क्या हुआ ? इस से लाभ किसे पहुंचा है ? हमारे देश में कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य गिर रहे हैं । बंगाल, बिहार, तथा उड़ीसा के ग्रामों में बाढ़ तथा सूखे के कारण बरबादी के चिन्ह दिखाई देते हैं । हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी इतनी बढ़ रही है, मूल्यों के इतने कम हो जाने पर भी जनता में इतनी क्रय शक्ति नहीं है कि वह अनाज क्रय कर सके । इस लिये यह चिल्लाते रहना बिल्कुल बेकार है कि हम समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं । दो तीन वर्षों में हम ने जो भी उन्नति की है यदि उस का लाभ हम जनता तक पहुंचा नहीं सकते हैं तो समाजवादी व्यवस्था का ढिंढोरा पीटना बिल्कुल बेकार है । योजना के दो तीन साल बीत जाने के बाद भी सरकार निश्चित रूप से यह नहीं बता सकती है कि उसकी युद्ध सम्बन्धी नीति क्या है ?

हो सकता है कि कुछ उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि हुई हो, उदारहण के लिये सूती कपड़ा उद्योग को लिया जा सकता है । परन्तु इस से लाभ केवल मिल-मालिकों को हुआ है जिन्होंने लाभ की अतुल राशियां एकत्रित कर ली हैं । मज़दूरों की मजूरी तो और भी कम हो गई है । महंगाई भत्ता बम्बई में घटकर ६८ रुपये से ६६ रुपये हो गया है, अहमदाबाद में घटकर ८१ रुपये से ६३ रुपये हो गया है,

शोलापुर में ५८ रुपये से ४९ रुपये हो गया है और पश्चिमी बंगाल में केवल ३० रुपये है। तीन चार व्यक्तियों के परिवार के लिये पेट भरना भी दुर्लभ हो रहा है। आज प्रातः काल श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कोयले की खानों में काम करने वाले मज़दूरों की दशा का वर्णन किया है। भूमि के ऊपर तथा भूमि के नीचे काम करने वाले दोनों प्रकार के मज़दूरों का उत्पादन बढ़ा है परन्तु काम करने वालों की संख्या कम हुई है। यह संख्या १९५३ में ३,४२,२७० थी, और १९५४ में घटकर ३,२९,३८९ हो गई। इतने पर भी कोयले की खानों के मालिक लाभ एकत्रित करने में लगे रहे और उन्होंने मज़दूरों की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया। मज़दूरों की मजूरी १२ रुपये ८ आने प्रति सप्ताह से घट कर १२ रुपये ६ आने रह गई है। ऐसी हालत में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि का ढोल पीटना या समाजवादी व्यवस्था का राग अलापना बिल्कुल बेकार है। यदि हम काम दिलाऊ दफ्तरों के आंकड़ों को देखें तो हमें पता चलेगा कि कुछ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होने पर भी बेकारों की संख्या जिन्होंने दफ्तरों में अपना नाम पंजीबद्ध कराया है १९५३ में ७५,४६२ थी और १९५४ में ८५,२३६ हो गई है। हमारे देश की जनता काम करने को तथा सम्पत्ति का उत्पादन करने को तैयार है परन्तु उसे ऐसा करने का अवसर ही नहीं दिया जाता है।

सूती मिलों, जूट की मिलों तथा कोयले की खानों के मालिकों ने काम करने वाले आदमियों की संख्या को घटाकर धन का संचय करने में सफलता प्राप्त की है। इतने पर भी यह लोग चिल्लाते रहते हैं कि इन के पास धन नहीं है, इसलिये औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। हमारे नहीं वरन् स्वयं बिड़ला के पत्र, "ईस्टर्न एकोनोमिस्ट" के आंकड़े बताते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने साल भर में १०० करोड़ रुपये से अधिक लाभ का संचय किया है। अवक्षयण के लिये यदि हम इस में से ४० प्रतिशत अलग भी कर दें तो भी शुद्ध लाभ ६० करोड़ रूपये का है। यह सब रुपया कहां चला जाता है? वे इस को उद्योगों में क्यों नहीं लगाते हैं? इतना होने पर भी सरकार औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम के द्वारा इन को ७ १/२करोड़ रुपये अग्रिम देने का प्रबन्ध कर रही है जिस पर पहले १५ साल तक कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा और १५ वर्ष बीतने पर यह धन पन्द्रह बराबर की वार्षिक क़िश्तों में वापस लिया जायेगा इसके अतिरिक्त हमारी सरकार विश्व बैंक द्वारा इस संस्था को दिये जाने वाले ऋण की ज़मानत भी करने जा रही है। इतने उत्तर दायित्व को लेने के बाद भी सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व केवल एक ही संचालक द्वारा किया जायेगा।

रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय हमें पता चला था कि उस पांच करोड़ रुपये का भी उपयोग नहीं किया जा सका है जिसका कि खेती करने वालों को सहायता देने के लिये प्रबन्ध किया गया था। हमारी आर्थिक व्यवस्था आज भी कृषि प्रधान है और आने वाले कुछ वर्षों तक कृषि प्रधान ही रहेगी। उस कृषक के लिये जिस धन की व्यवस्था की गई है वह रिज़र्व बैंक द्वारा सहकारी बकों को तीन प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है और बेचारे कृषक तक जब पहुंचता है तो उस पर तीन प्रतिशत ब्याज और बढ़ जाता है। जब कि इन उद्योग पतियों को सरकार ७ $^{१}/_{२}$ करोड़ रुपया देने को तय्यार है जिस पर पन्द्रह साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा और उस पन्द्रह साल के बाद भी सरकार उसे अदा करने के लिये पन्द्रह ही साल का समय और देने को तैयार है। क्या समाज-

[श्री के० के० बसु]

वाद का अर्थ यह है कि कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिये साधारण जनता पर बोझ लादा जाये ।

आज चाय उद्योग अत्यधिक लाभ कमा रहा है । मूल्य दो सौ प्रतिशत बढ़ गये है । पहले वर्ष जब संकट का समय था तब तो मजदूरों के वेतन में कमी करना ठीक भी था किन्तु जब उद्योग की दशा सुधर गई है तब ऐसा करना अनुचित है । कल माननीय श्रम उपमंत्री ने कहा था कि १९५२ से कोयले की खानों से सम्बन्धित नियम नहीं बनाये गये हैं । हमें समाजवादी आधार पर रचनात्मक प्रगति की आवश्यकता है, केवल बातों से काम नहीं चलता है । जिस सिन्द्री फैक्टरी को सरकार ने २३ करोड़ रुपये व्यय करके बनाया उसे एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी को ठेके पर दे दिया । इसी प्रकार दामोदर घाटी निगम के कार्य को भी एक अंग्रेजी निगम को ठेके पर दे दिया गया । जिन कार्यों में जनता का रुपया लग रहा है उन को इस प्रकार ठेकों पर देकर कम्पनियों को लाभ पहुंचाना किसी भी दशा में समाजवादी रचना नहीं कहा जा सकता है ।

राष्ट्रपति के भाषण में हम से कहा गया कि समाजवादी रचना में हम अपना सहयोग दें । किन्तु यह कुछ नहीं बताया गया है कि वह सहयोग किस प्रकार दिया जाय । इस के लिये सारे देश की आर्थिक नीति में परिवर्तन करना होगा । पंच वर्षीय योजना में परिवर्तन करना होगा । सिन्द्री में और दामोदर घाटी निगम में जो दशा हुई वैसी स्थिति को भविष्य में नहीं दुहराया जाय । तभी समाजवादी रचना सार्थक हो सकती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार २५ फरवरी, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—659 LSD—23-4-55—285